Seventeenth Series, Vol. XXI No. 8 Friday, December 16, 2022
Agrahayana 25, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES
(Original Version)

Tenth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXI contains Nos.1 to 13)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan
Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Thapliyal
Joint Director

Kamala Subramanian
Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXI, Tenth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 8, Friday, December 16, 2022/Agrahayana 25, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 141 to 148	10-40
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 149 to 160	41-133
Unstarred Question Nos. 1611 to 1840	134-921

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 922-938

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(i) Statement 939

(ii) Study Visit Report 939

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

42nd and 43rd Reports 940

STAEMENTS BY THE MINISTER

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2021-22) on General Defence Budget, BRO, ICG, Defence Estates Organisation, DPSUs, CSD, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Pension (Demand Nos. 18 and 21) pertaining to the Ministry of Defence 941

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2021-22) on Army, Navy, Air Force, Joint Staff, Military Engineer Services, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme and Sainik School (Demand Nos. 19 and 20) pertaining to the Ministry of Defence 941

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2021-22) on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (Demand No. 20) pertaining to the Ministry of Defence 942

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2021-22) on 'Ordnance Factories, DRDO, DGQA and NCC (Demand Nos. 19 and 20)' pertaining to the Ministry of Defence 942

Adv. Ajay Bhatt

BUSINESS OF THE HOUSE 943

MATTER UNDER RULE 377 983-1002

(i) Need to provide Mahi river water through Sujalam Suflam canal to Jalore and Sirohi districts in Rajasthan

Shri Devaji Patel 983-984

(ii) Regarding demands of pensioners under Employees Pension Scheme (EPS)-1995

Shri Vinayak Bhaurao Raut 984

(iii) Regarding alleged unethical medical practices by private hospitals under Ayushman Bharat Scheme

Shri Sudarshan Bhagat 985

(iv) Regarding construction of a Railway under bridge at level crossing No. 82B in Pratapgarh Parliamentary Constituency

Shri Sangam Lal Gupta 986

(v) Regarding "One Nation One Voter ID"

Shri Vinod Kumar Sonkar 986-987

(vi) Regarding approval for construction of new houses under the PM Awas Yojana in rural areas of Chhattisgarh

Shri Sunil Kumar Soni 988

(vii) Need to revise the eligibility criteria for various posts in central PSUs in accordance with the Notification of National Skills Qualification Framework

Shri Vijay Baghel 989

(viii) Regarding setting up of CGHS dispensaries in Bulandshahr, Uttar Pradesh

Shri Bhola Singh 990

(ix) Need to build city gas distribution network for supply of CNG and PNG in Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency, Haryana

Shri Dharambir Singh 991

(x) Need to make available adequate quantity of DAP and Urea to farmers in Chitrakoot and Banda districts of Uttar Pradesh

Shri R.K. Singh Patel 992

(xi) Regarding appointment of farmers and their dependent family members in the Railway Department displaced under Rewa-Sidhi-Singrauli Railway Project

Shri Janardan Mishra 993

(xii) Need to increase the production of active pharmaceuticals ingredients in the country

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 994

(xiii) Regarding conduct of 3-tier panchayat elections in Darjeeling and Kalimpong districts

Shri Raju Bista 995

(xiv) Regarding construction of two expressways along the banks of Brahmaputra river from Sadiya to Dhubri

Shri Abdul Khaleque 996

(xv) Need to take urgent measures for mitigating global warming

Shri Pradyut Bordoloi 997

(xvi) Regarding demands of fishermen in Anakapalli district affected due to new Naval Base

Dr.Beesetti Venkata Satyavathi 998-999

(xvii) Regarding introduction of regular flight services from Patahi airport in Muzaffarpur district, Bihar

Shrimati Veena Devi 1000

(xviii) Regarding construction of roads in Jammu and Kashmir

Shri Hasnain Masoodi 1001

(xix) Regarding acute shortage of water for drinking and irrigation purpose in Kokrajhar Parliamentary Constituency

Shri Naba Kumar Sarania 1002

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (THIRD AMENDMENT) BILL, 2022 1003-1017

Shri Ram Kripal Yadav 1003-1006

Shri Abdul Khaleque 1006-1008

Shri Hasnain Masoodi 1009-1010

Shri B.B. Patil 1011-1013

Shri Arjun Munda 1014-1017

Clauses 2 and 1 1017

Motion to Pass 1017

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION 1018-1084

(i) Welfare Measures for Angandwadi Workers and Anganwadi Helpers 1018-1060

Shri Gopal Shetty 1018-1023

Shri Kodikunnil Suresh 1024-1028

Dr. M. P. Abdussamad Samadani 1029-1032

Shri N.K. Premachandran 1032-1036

Shri Jasbir Singh Gill 1037-1038

Shri Nihal Chand Chouhan 1039-1041

Kunwar Danish Ali 1041-1045

Shri Adhir Ranjan Chowdhury	1046-1048
Shrimati Smriti Zubin Irani	1048-1059
Resolution Negatived	1060
(ii) Beautification and modernization of railway stations under the Adarsh Station Scheme etc	1061-1084
Motion to consider	1061-1072
Shri N. Reddeppa	1061-1070
Shri Thomas Chazhikadan	1072-1074
Shri Jasbir Singh Gill	1075-1077
Shri Sangam Lal Gupta	1078-1079
Shri Mukesh Rajput	1079-1084

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	1028
Member-wise Index to Unstarred Questions	1029-1035

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	1036
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	1037

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 16, 2022/Agrahayana 25, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(Q. 141)

माननीय अध्यक्ष : आज माहौल अच्छा है। प्रश्न काल ।

प्रश्न संख्या-141, श्रीमती जसकौर मीना ।

श्रीमती जसकौर मीना: महोदय, आयुष्मान भारत योजना के कार्ड आज भी अधिकांश पात्र नागरिकों को नहीं मिले हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या बहुत है, जो लाल पत्थर की नक्काशी के कार्य करते हैं। सिकन्दरा कस्बे में हजारों की संख्या में ऐसे लोग सिलिकोसिस के शिकार होते हैं। उनकी कारीगरी की मिसाल राम मन्दिर और हमारी संसद में भी है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि क्या सिलिकोसिस के लिए सिकन्दरा में कोई स्पेशल हॉस्पिटल या व्यवस्था की जाएगी?

माननीय अध्यक्ष : मैं एक आग्रह करूंगा और पूरा सदन भी सहमत होगा कि मण्डे से माननीय सदस्य बहुत शॉर्ट में प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री जी शॉर्ट में उत्तर दें। इस तरह से सबके प्रश्नों में से 20 से 25 प्रश्न आ जाएंगे।

श्रीमती जसकौर मीना: सर, थोड़ा विस्तार तो देना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन की डिटेल्स आपने पढ़ रखी है, उत्तर आपके पास आ चुका है। उस आंसर के अलावा अब मंत्री जी आंसर देंगे।

श्रीमती जसकौर मीना: महोदय, यह उसके अलावा ही है।

श्री कल्याण बनर्जी: जितना हम लोग पूछते हैं, उससे ज्यादा मिनिस्टर लोग बोलते हैं। हम लोग एक चीज बोलते हैं तो मिनिस्टर लोग दस चीजें बोलते हैं। **… (व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : मैंने मंत्री महोदय को भी यही बोला है, केवल आपको नहीं बोला है। मैंने इधर-उधर, दोनों को एक साथ बोला है।

डॉ. मनसुख मांडविया: अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है, आपकी सलाह का मैं सचमुच पालन करूंगा और शॉर्ट में रिप्लाई करूंगा। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारा आयुष्मान भारत योजना का कार्ड कम बन रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम के लिए देश में कार्ड बनाने का काम गति से चल रहा है। आज तक हम थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्ड बनाते थे, इसलिए कम बनता था, लेकिन अब हमने एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम चालू किया है। इस सिस्टम में आज सात से आठ लाख कार्ड प्रतिदिन बन रहे हैं। अगले चार से छ: महीने में देश में 50 करोड़ लोगों को कार्ड मिले, उस दिशा में गति से काम कर रहे हैं।

श्रीमती जसकौर मीना: अध्यक्ष जी, वर्ष 2011 की सेंसस के आधार पर जो सूची बनी, क्या इस सूची को आगे बढ़ाया जाएगा?

डॉ. मनसुख मांडविया: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 में जो सूची बनी थी, उस सूची के मुताबिक इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन करना था, लेकिन जब हमने इस योजना को इम्प्लीमेंट करना चालू किया, और इस सूची के मुताबिक कार्ड बनाने के लिए व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने निकले तो बहुत कम लोग मिले, 25 प्रतिशत लोग ही मिले।

हमने कहा कि इस दृष्टि से हम 10 करोड़ फैमिलीज को कभी कार्ड उपलब्ध नहीं करा पाएंगे और 50 करोड़ लोगों को हम हेल्थ सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमने तय किया कि शायद ये व्यक्ति मिले या न मिले, लेकिन राज्य सरकार की सूची के मुताबिक हमने तय किया है कि अगर गुजरात में 50 लाख लाभार्थी हैं, उनमें से हमें 10 लाख लाभार्थी मिले और 40 लाख लाभार्थी नहीं मिले तो राज्य सरकार जो सूची देगी, उस सूची को मानकर हम 50 लाख कार्ड पूरा कर देंगे, ताकि सभी गरीब और जरूरतमन्द लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध हो जाए, उनको हेल्थ सिक्योरिटी मिल जाए।

श्री चुन्नीलाल साहू: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि ऐसे परित्यक्ता या महिला मुखिया परिवार, जिनमें वयस्क हो, लेकिन उनकी आय नगण्य हो

और दिव्यांग, जिनके घर में आय नगण्य हो, क्या ऐसे परिवारों को भी सुविधा देंगे? छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों में सुविधाएं पूरी लागत में नहीं दी जा रही हैं, क्या आप उनके लिए कोई आदेश करेंगे?

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग सचमुच गरीब हैं, नीडी हैं और यहां माननीय सदस्य ने जो सूचित किया, ऐसे सब लोग इस सूची में शामिल हैं। इन सब लोगों को पांच लाख रुपये तक की हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी। आपके यहां भी और सभी स्टेट्स में हमने पैकेज तय करके रखा है। इस पैकेज के मुताबिक जो भी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, कोई भी हॉस्पिटल 'आयुष्मान भारत योजना' में एम्पैनल्ड हो सकता है। जो हॉस्पिटल भारत सरकार की 'आयुष्मान भारत योजना' में एम्पैनल्ड है, वह तुरंत ही जैसा उसका बिल है, उसको सबमिट करे, भारत सरकार उस बिल को पे करती है।

इसलिए देश में 'आयुष्मान भारत योजना' का इम्प्लिमेंटेशन स्टेप बाई स्टेप सुदृढ़ हो रहा है। उसका नतीजा यह निकला है कि पिछले एक साल में 1500 से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल्ड जुड़े हैं, ताकि वहां लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मिले। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिनमें अपोलो जैसा बड़ा हॉस्पिटल है, जहां एक अमीर व्यक्ति का इलाज होता हो, वहां मोदी जी की इस योजना की वजह से गरीब परिवार के सदस्य का इलाज भी हो रहा है। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : मैं मंत्री जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि कई अस्पताल हैं, जो आपके कार्ड को नहीं मानते हैं। वे आपकी लिस्ट में हैं, लेकिन जब गरीब लोग वहां जाते हैं तो वे इस कार्ड को नहीं मानते हैं। क्या आपने कोई इन्वेस्टीगेशन की है, जहां पर ऐसा हो रहा है?

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आज तक 22 हजार हॉस्पिटल्स को एम्पैनल्ड किया है। जो 22 हजार हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हैं, उनमें जो भी पेशेंट जाते हैं, उनको वहां ट्रीटमेंट दिया जाता है। माननीय सदस्य अगर मुझे किसी हॉस्पिटल का इंडिविजुअल नाम बताएंगे

तो मैं अवश्य उस हॉस्पिटल के साथ बात-चीत कर उसको एम्पैनल होने के लिए आग्रह भी करूंगा, ताकि गरीब लोगों को इलाज मिलने में सुविधा रहे।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI: Hon. Speaker Sir, through you, I would like to ask a question to the hon. Minister of Health and Family Welfare. Has the Government given any thought to empanel more private hospitals as, at present, only 11,700 private hospitals are registered, as per your reply? The number of empanelled hospitals is extremely low compared to the number of vulnerable sections of people utilising the scheme. Has the Government also given any thought to include out-patient expenditure as well in the Yojana as it creates a significant burden on the beneficiary?

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के किसी गरीब व्यक्ति के यहां बिना इलाज के किसी की मुत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए, यह प्रधान मंत्री जी की सोच के आधार पर निकली हुई योजना है।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज से आठ साल पहले ओबामा ने वहां के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए 'ओबामा केयर योजना' चलाई थी। वह दुनिया में पॉपुलर हुई थी। भारत सरकार की योजना, जो मोदी जी के द्वारा चलाई गई है, वह 10 करोड़ फैमिलीज़, यानी 50 करोड़ लोगों के लिए है। यह देश और दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। देश के मरीज उसका लाभ ले रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज देश में 4.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवार के लोगों के यहां अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई है तो ऐसी स्थिति में उनको किसी साहूकार के पास जाना नहीं पड़ रहा है। वे 4.5 करोड़ लोग सीधे 'आयुष्मान भारत योजना' के एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में गए और वहां उनका इलाज करवाया

और बिना एक रुपए खर्च किए, इलाज करवाकर, वे स्वस्थ्य होकर घर आ गए। यह हमारे देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सिक्योरिटी के लिए किया गया बहुत बड़ा प्रयास है।

महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसे कोई भी अच्छे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आएं और जुड़ें। हमारे माननीय संसद सदस्यों को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी 'आयुष्मान भारत योजना' से जुड़े हुए ऐसे अस्पतालों में जाएं और वहां कुछ कमियां दिखाई दें तो हमारे संज्ञान में अवश्य लाएं। जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वे एम्पैनल्ड हों, वे जुड़ें, आप उनको भी प्रोत्साहित करें। हम उनको समय पर पैसा दे रहे हैं। यह अच्छा पैकेज है, कोई घाटे का नहीं है। मैं बार-बार हर महीने रिव्यू कर रहा हूं, ताकि कोई पैकेज कम हो तो वह आवश्यकता के अनुसार हो जाए। हर महीने जिन-जिन हॉस्पिटल्स के द्वारा हमारे पास शिकायत आती है, उस शिकायत को देखते हुए हम रिफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हर गरीब परिवार को अच्छा इलाज मिले।

श्री अधीर रंजन चौधरी: आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा गया था।

श्री मनसुख मांडविया : आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घट रहा है, वर्ष 2014 के बाद बहुत घटा है। जो आपके समय में था, अभी उससे बहुत अच्छा है।…**(**व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैंने इनको एलाऊ नहीं किया है, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं**?**

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मुझसे आग्रह करते तो मैं आपको एलाउ करता। मैं आपको मना नहीं करता हूं।

…(व्यवधान)

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत: अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नन्दुरबार में आयुषमान भारत के कार्ड्स बनवाने के लिए हमने कई कैंप्स लगवाए हैं। मेरा क्षेत्र एक ट्राइबल एरिया है और 75 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। वे बीपीएल कार्ड्स होल्डर्स हैं।

अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि एसईसीसी, 2011 का जो डेटा है, उसके ऊपर आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरीज की लिस्ट बनाई गई है। इसमें कई सारे बीपीएल कार्ड होल्डर्स छूट गए हैं। मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में बताया है कि राज्यों को उन्होंने आगे जाकर अधिकार दिया है कि जो-जो लाभार्थी जोड़ना चाहें, वे जोड़ सकते हैं।

मैं मंत्री जी से स्पेसिफिक यह पूछना चाहूंगी कि क्या केन्द्र सरकार ऐसी कोई नीति निर्धारित कर रही है, ताकि जितने बीपीएल कार्ड धारक हैं, उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले।

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा है कि एसईसीसी डेटा से भी हम आगे निकल चुके हैं और जो बीपीएल लाभार्थी हैं, वे ऑटोमैटिक उसमें इनक्लूड हो जाते हैं। ऑलरेडी, हर बीपीएल लाभार्थी को उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर कोई छूट गए हैं, तो हम उन्हें इनक्लूड कर लेंगे।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 142,

श्री चन्द्रशेखर साहू ।

(Q.142)

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU: Sir, the hon. Minister has given a very detailed answer. Still, I have a small question. You know that the unit cost of food under ICDS is now so low that there is no way in which a quality meal can be provided with that amount. It is not sufficient to provide good quality nutritious food. In fact, it is not sufficient to neutralise the effect of inflation also. Various piecemeal programmes on malnutrition merely fulfil some kind of schematic requirements with no accountability for the final impact upon the child.

Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister about the steps taken by the Union Government to provide sufficient funds to neutralise the effect of inflation and fix accountability under various schemes.

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, the question that the hon. gentleman has asked is pertaining to POSHAN and Anganwadi system. He has spoken about … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, he is an hon. Member of Parliament. He is not a gentleman!

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, through you, I would request the hon. Member, who is standing here and trying to ensure that I do not speak so that he can score some political brownie points, to cease from an intervention while I am trying to give an answer to the question of an hon. Member…

(*Interruptions*) For him to presume that the hon. Member is not a gentleman is an issue that has to deal with between that gentleman and the so-called Member.… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, what is this? She is calling an hon. Member a gentleman. He has a name.… (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, he is trying to impress upon his political master by his proclamations. … (*Interruptions*) I am sure, the political masters he is trying to impress is impressed and he has received the accolades.… (*Interruptions*) he so desired and he has impressed upon his political masters… (*Interruptions*) Now, with your permission, Sir, in a country where the Parliament prescribes free speech, I may please be allowed to continue.

The hon. gentleman who is trying to create a ruckus to impress his political master should know that they have been duly noted.… (*Interruptions*)

Sir, with your permission, now I want to proceed to give an answer to a question that has been asked by a gentleman.… (*Interruptions*) I would say, Sir, when you look at the issue of accountability, the accountability that you so desire, the accountability that is sought and impressed upon the Government of India, is technology-driven … (*Interruptions*) All the Anganwadi centres in our country are enabled through POSHAN tracker where data is put everyday by Anganwadi workers including district administration.

Accountability is affirmed technologically and also in collaborative attempts with State Governments including district authorities who tell us the infrastructural challenges, and other cost challenges.

However, Sir, given the input received from State District Administration, and understanding the trends that we have seen the POSHAN tracker, adequate support is given to all States especially districts, who want to indulge in innovative practices to meet the challenge of malnutrition.

I would also like to inform the House that our Ministry does not work in isolation. Eighteen Ministries collaborate to ensure that the Anganwadi system, and especially the challenge of malnutrition is met through convergence of efforts.

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU: Sir, the prevalence of anaemia in majority of India's population, particularly amongst adolescent girls, women and children, is a major public health challenge; and it should be tackled urgently.

The use of double fortified salt has been approved by experts saying that its use has been one of the components to tackle the anaemia problem amongst adolescent girls, women and children.

Sir, Respected Madam, during her tenure as Minister in the Education Ministry, had issued advisories to all States for use of this type of salt in Mid-Day Meal programme. I have also requested the hon. Minister that Odisha Small Industries Corporation, a unit of my State Government, produces ODI foods, has been producing this type of salt, and is able to fulfil the demand received by them.

I would like to know from the hon. Minister if the Government has any proposal for assessing similar advisories to States for the use of double fortified salt in her Ministry's programme. Sir, while I was going through the written reply, I have seen that the hon. Minister has mentioned about fortified salt and after that she has also mentioned about fortified rice … (*Interruptions*) There is a more depth to this question. But I would like to know from her in a specific way.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, the hon. gentleman, since he calls me 'Madam' respectfully … (*Interruptions*) The gentleman calls me 'Madam' respectfully, and I am grateful for the respect that he has shown… (*Interruptions*) And, now, since I am being politically hackled for courtesies been shown in the House, it is quite unnatural for a gentleman to stand up and hackle a lady … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: What is this? … (*Interruptions*) You should know how to behave with the Members of Parliament … (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Now, to concentrate, Sir, on the *mudda* on hand, and not get discouraged from the political hackling of a gentleman, let me just say this that I am grateful. I would mention that whatever was desired, has been elaborately given in the answer. Insofar as a particular vendor goes, I am sure, and the House is also aware, I cannot prescribe support to a particular vendor. That would be going against the CVC rules. So, I am sure the fact that we have introduced relevant directions that support not only fortification, but diversity would suffice.

HON. SPEAKER: Now, Shri Girish Bhalchandra Bapat: Not present;

Shri Hasnain Masoodi ji.

SHRI HASNAIN MASOODI: Sir, the hon. Minister will appreciate that we cannot device policies unless we have good ideas about the numbers of children in need of care and protection. Here, I would like to request the hon. Minister to inform the House whether all the institutions under whatever name housing the children in need of care and protection, and particularly adolescent children have been registered under the law. It is because unless and until you register these institutions, you cannot supervise and monitor their performance, you cannot ensure that the benefits under law are made available to the children.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, this House is a witness to amendments he that we brought to the Juvenile Justice Act, and many Members of this very House had pronounced their observations with regard to the said amendment which include the hon. Member who has just spoken up about the need to register. This concern has been deliberated upon continuously by this very House.

Sir, through you, I would like to inform the House that every District Authority and every State Government has not only been informed but also, we have converged efforts to ensure that CCIs are registered. Those CCIs that were not registered have been shut down. With the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, we have brought forth a new regulation. Earlier, an organisation that put in an application to establish a CCI

would deemed to have received an approval by the authorities. Now, according to the new regulation, till such time the District Authorities, which include Police, do not verify the background of the organisation that seeks to set up a CCI, no CCI can be set up. Moreover, Sir, now the rules mandate that even the people who are hired within such institutions as caregivers have to have a Police verification so that those individuals, who have a history of crime, especially crimes against women and children, are never taken into such organisations, thereby keeping our children in a safe environment.

DR. D. RAVIKUMAR: Respected Speaker Sir, the National Family Health Survey has exposed an alarming percentage of children who are stunted and wasted. In my Parliamentary Constituency, Viluppuram in Tamil Nadu, a sizeable population of children are wasted and stunted. So, through you, Sir, I would like to know whether the Ministry has any plan to allocate more funds to those areas where the percentage of stunted and wasted children is high.

Also, recently, the Chief Justice of India has expressed the need for increasing the age of consent under the POCSO Act. I would like to know whether the Government has any plan to increase that.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, the hon. Member has asked two questions conjoined under one or two different subjects altogether. However, Sir, with your permission, I would like to extend the courtesy of answering both the questions. Insofar as the reconsideration of age of consent under the POCSO Act is concerned, it is this very House that deliberated on this particular issue, and under the wisdom of this House, the age of consent was

decided. Hence, to revisit the wisdom of the House is currently not my purpose. Insofar as the question with regard to stunting is concerned, I would like to highlight here – I had done so earlier – that the challenge of malnutrition is met with the convergence of 18 Ministries, which includes the Ministry of Health and Family Welfare also. The hon. Minister of Health and Family Welfare is seated right here in the House. Sir, one of the greatest challenges when it comes to stunting is the birth of a child outside an institution. Hence, to encourage institutional deliveries, the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana has ensured that over three crore pregnant women have received over Rs. 12,000 crore into their bank accounts so that we can encourage institutional delivery of children. Post-delivery, the first thousand days of an entire child's birth cycle are also addressed through the POSHAN Abhiyaan.

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदया को बधाई देना चाहता हूं। वे अपना मंत्रालय बहुत अच्छी तरह चला रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस समय भारत सरकार की तरफ से बच्चों एवं बालिकाओं की बेहतरी के लिए तीन बड़ी स्कीम्स चल रही हैं। ये स्कीम्स 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'सक्षम आंगनवाड़ी' और 'मिशन वात्सल्य' हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान मध्य प्रदेश की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरी सरकार मध्य प्रदेश में 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' चला रही है, 43 लाख बेटियां लखपति हो चुकी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये स्कीम पूरे देश में माननीय मंत्री महोदया लागू करेंगी?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय को यह अवगत कराना चाहती हूं कि निश्चित रूप से 'लाड़ली लक्ष्मी' योजना जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से अथवा

प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसकी प्रशंसा न सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई, बल्कि देश भर में हुई थी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'सुकन्या समृद्धि योजना' अपने नेतृत्व में राष्ट्र भर में लागू कर रखी है। साथ ही पुन: मैं कहना चाहूंगी कि चूंकि माननीय सदस्य ने 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' की इस सदन में चर्चा की है, मैं इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का विशेष अभिनंदन करती हूं कि बेटियों के समर्थन में इतनी अच्छी स्कीम उन्होंने राष्ट्र के सम्मुख बहुत साल पहले ही प्रस्तुत कर दी थी।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 143,

श्री घनश्याम सिंह लोधी ।

(प्रश्न 143)

श्री घनश्याम सिंह लोधी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष डाक्टर्स या उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स कैसे उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए क्या रूपरेखा है?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : माननीय अध्यक्ष जी, सारे सदन के संज्ञान में मैं एक विषय लाना चाहता हूं । आज आयुष दुनिया में चर्चा का एक केंद्र बिंदू बन चुका है । माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन से और उनके द्वारा आयुष प्रणाली को जो महत्व दिया गया है, उसकी वजह से आयुष प्रणाली ने दुनिया में एक अलग पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। यह पांच हजार साल पुरानी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और हिंदुस्तान की असली पहचान है । यह ज्ञान, बुद्धिमता, सभ्यता, संस्कृति और परम्परा का मेल है । मुझे लगता है कि आज आयुष पद्धति द्वारा मानव समाज को अलग-अलग रोगों से राहत देने का काम हुआ है । माननीय सांसद जी ने जो सवाल किया है, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर इस पद्धति को प्रमोट करने के लिए हमने अब तक 26 देशों के साथ कंट्री टू कंट्री एमओयू साइन किए हैं और 40 इंस्टीट्यूशन्स के साथ भी कोलेबोरेटिव रिसर्च के लिए एमओयू साइन किए हैं । अलग-अलग 15 विदेशी विश्वविद्यालयों में, इंस्टीट्यूशन्स के साथ हमने आयुष पीठों संबंधी एमओयू साइन किए हैं । हर साल विदेशों के 160 विद्यार्थी हिंदुस्तान के अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई के लिए आते हैं और हम उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी करते हैं । मुझे लगता है कि जैसे गोवा में 9^{th} Edition of World Ayurveda Congress का सात दिन का कार्यक्रम हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि यह कार्यक्रम कुल मिलाकर बहुत सफल रहा । Altogether 400 delegates from 43 nations took part in the 4-day Session, and from there, on the day of Valedictory Session, the hon. Prime Minister had dedicated three world-class institutes in the name of three systems of AYUSH medicine, namely, Unani,

Homoeopathy and Ayurveda. … (*Interruptions*) This is how the Ministry is functioning under the guidance of the hon. Prime Minister.

माननीय अध्यक्ष : श्री घनश्याम लोधी जी, सैकेंड सप्लीमेंट्री।

श्री घनश्याम सिंह लोधी : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल में जिन्हें प्रश्न पूछने के लिए अलाऊ नहीं किया है लेकिन वे जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं, मैं उन्हें प्रश्न पूछने के लिए कभी अलाऊ नहीं करूंगा।

डॉ. विष्णु प्रसाद।

… (व्यवधान)

DR. M.K. VISHNU PRASAD: Sir, the entire world has witnessed the horrible dance of the COVID pandemic. So many medicines were tried out.

In the Siddha system of medicine, *Kabasura kudineer* from Tamil Nadu was proven as one of the best medicines. I think you have also made a lot of research and submitted the research materials. Since we are talking about international co-operation, so that COVID like diseases are not transmitted globally, is the Government having any specific programme to exchange the research materials and do more research on Siddha medicines as they will be useful for the entire nation?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker, Sir, regarding the integrative system of medicine, under the directions of the hon. Prime Minister, both the Ministries – the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of AYUSH – have joined hands and are working together to make available both the systems of treatment as well as medicine right from AIIMS to the State

level, district level, CHC, PHC, up to the sub-centre level and also to the Health and Wellness Centre. This is how we are working. Both the Ministries have a common goal, that is, to prevent the disease, and to preserve and promote human health. Since we have the common goal, we will have to work together. That is what the hon. Prime Minister has directed both the Ministries and we are working on these lines.

For the information of hon. Member, regarding *kabasura kudineer* of Siddha system of medicine, I agree with him that it has played a big role, particularly in the prevention of human ill-health during COVID-19 pandemic. It was a very useful product. This Ministry is also working for the promotion of Siddha.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Sir, I thank you very much.

Kerala is known as the paradise of Ayurveda. The slogan of this era itself is 'Return to Nature'. In such a situation, Ayurveda will have to play a pivotal role as far as health sector is concerned.

Sir, around four million people are coming to India every year for ayurvedic treatment and their first choice is Kerala only. In spite of this favourable point for Kerala, our humble submission, and a reasonable demand, for establishment of an Ayurveda University in Kerala is still being neglected.

We had enough discussion and an officer was appointed, but nothing has happened. What my humble submission is that looking at the Kerala's importance, we are talking about the infrastructure of international level, that

also can be considered. Hon. Minister may kindly state whether he has some kind of a strategy in this case?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker, Sir, the hon. Member of Parliament is a senior Member of this House. I pay my respects to him. His concern is definitely very relevant, but up till now, there is no proposal on the part of the Government of Kerala. I believe, this is the position at this moment. I appreciate that whatever system of treatment under the traditional system of medicine is available in Kerala, it is always praiseworthy. People not only from within the country but also from abroad are taking treatment in Kerala. In the recent past, you all know how the daughter of a former Prime Minister of Kenya got her eye-sight back, after getting treatment in an institution in Kerala. It is a unique contribution. There is no doubt about it.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, I had the opportunity to be in this Ministry for some time. So, I know that AYUSH stands for Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. In different States, it has different type of influence. In the whole of country, homeopathy treatment is best in West Bengal; Siddha is accepted in Karnataka and a few other States; and Ayurveda is best in Kerala, as the hon. Member was telling. Sir, in West Bengal, we have a very well-established Unani College with a hospital in Kolkata, but that is suffering from a huge financial crunch. I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India can look into this issue and take it up with the State Government, and provide them some financial assistance by which this very beautiful and accepted institution can survive.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Hon. Speaker Sir, if the State Government sends the proposal to the Ministry of Ayush through the State Annual Action Plan, then only the Ministry can look into the matter.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता – उपस्थित नहीं।

श्री एम. वी. वी. सत्यनारायण – उपस्थित नहीं।

श्री नामा नागेश्वर राव।

(Q. 144)

श्री नामा नागेश्वर राव: महोदय, धन्यवाद। यह प्रश्न बल्क ड्रग पार्क्स के बारे में है। बल्क ड्रग्स अभी भी देश में काफी मात्रा में इम्पोर्ट की जा रही हैं। हमारे तेलंगाना राज्य ने बल्क ड्रग पार्क के लिए एप्लाई किया है और समय सीमा के अंदर एप्लाई किया है। तेलंगाना में मेनली हैदराबाद इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कोरोना के समय में भी अधिकतम वैक्सीन हैदराबाद से प्रोड्यूस की गई हैं। फार्मा कंपनीज भी इंडिया में सबसे ज्यादा हैदराबाद में हैं। बल्क ड्रग पार्क के लिए हैदराबाद राइट प्लेस है और उसके लिए हमने बिल्कुल राइट टाइम पर अप्लाई किया है। अभी भी हम लोग चाइना से काफी मात्रा में बल्क ड्रग्स इम्पोर्ट कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में एग्री किया है कि हम लोग काफी कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इम्पोर्ट रोकने के लिए हम लोग बल्क ड्रग पार्क के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे तेलंगाना में सभी सुविधाएं हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अपने तेलंगाना के लिए हमने हैदराबाद में बल्क ड्रग पार्क के लिए एप्लाई किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसकी अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और अगर दे रहे हैं तो कब तक दे रहे हैं?

श्री मनसुख मांडविया : महोदय, बल्क ड्रग पार्क यानी कि एपीआई देश में बनना बहुत आवश्यक है। आज देश में 12 हजार से अधिक फार्मा इंडस्ट्रीज हैं और वे फॉर्मूलेशन बनाती हैं। जब हम कोई दवाई बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मैटेरियल के रूप में हमें बेसिक कैमिकल चाहिए होता है। बेसिक कैमिकल्स के बाद की-स्टार्टिंग मैटेरियल, इंटरमीडिएट और उसके बाद एपीआई यानी कि बल्क ड्रग। बल्क ड्रग आज के दिन में देश एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इम्पोर्ट भी कर रहा है। 33 हजार करोड़ रुपये का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 35 हजार करोड़ रुपये का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बल्क ड्रग देश में ही बनें, इसलिए जब कोविड क्राइसिस आया, उस वक्त हमने देखा कि देश में कई ऐसे एपीआई हैं, कई ऐसे बल्क ड्रग हैं, जिनके लिए हमें इम्पोर्ट पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसे 41 एपीआई हमने चिन्हित किए थे और देश में ही वे एपीआई बनें, उसके लिए हमने पीएलआई स्कीम लाँच की। पीएलआई वन और पीएलआई टू के माध्यम से 41 एपीआई इंडिया में

ही बनें, उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब एपीआई के लिए हम पीएलआई स्कीम लाए, इस पीएलआई स्कीम में हमने देश में तीन बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए सुनिश्चित किया था और एक बल्क ड्रग पार्क के लिए एक हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करना था । उनके लिए हमने सारे राज्यों से एप्लीकेशन मंगवाई थीं और उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा था। कुल मिलाकर 13 राज्यों से एप्लीकेशंस आई थीं और इन 13 राज्यों से जो एप्लीकेशन आई हैं, उनका इवैल्यूएशन किया गया और उसके आधार पर माननीय सदस्य ने जो कहा कि हैदराबाद भी फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि आन्ध्र प्रदेश के लिए जो एप्लीकेशन आई थी, उसे भारत सरकार ने अप्रूव किया है।

एक हजार करोड़ रुपया आन्ध्र प्रदेश के लिए मिलेगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और गुजरात है। इन तीन राज्यों के लिए बल्क ड्रग पार्क के एप्लीकेशन को इवैल्यूएशन के बाद अप्रूव किया गया है और इन्हें 300-300 करोड़ रुपया प्राइमरी बेस पर दिया भी गया है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत: महोदय, धन्यवाद।

जैसे कि इस महत्वपूर्ण योजना में देश के 13 राज्यों ने अपनी सहमति दी थी, उनमें एक महाराष्ट्र राज्य भी था। महाराष्ट्र राज्य की तरफ से रायगढ़ जिले में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की योजना थी । उसके लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, वह देने के लिए भी महाराष्ट्र ने पूरी तैयारी रखी थी। मेरी जानकारी के अनुसार, जैसे कि पार्लियामेन्टरी कमेटी में भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी और उसमें यह स्पष्ट हुआ था कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना होगी, लेकिन एकदम से कुछ ऐसी जानकारी मिली कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के बल्क ड्रग पार्क को रद्द किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण योजना में महाराष्ट्र के हिस्से में आने वाला बल्क ड्रग पार्क स्थापित न करने के क्या कारण हैं?

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है कि बल्क ड्रग पार्क का उपयोग करके देश में बल्क ड्रग्स का मैन्यूफेक्चरिंग करें। सवाल पॉलिटिकल नहीं है। पहले यह सिस्टम

चलता थी कि पॉलिटिकल बेस पर हम प्रोजेक्ट दे देते थे और बाद में उसका इम्प्लिमेंटेशन होता ही नहीं था। लेकिन बल्क ड्रग पार्क कहां देना चाहिए, उसके लिए एक सूची तैयार की थी, जहां इको सिस्टम हो, जहां व्यवस्थाएं हों। जिस-जिस टाइप के बिन्दु दिए गए थे कि इतनी-इतनी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और उसकी डिटेल्ड इवैल्यूएशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस इवैल्यूएशन के बाद सेक्रेटरी लेवल की कमेटी ने उसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करके बल्क ड्रग पार्क कहां देना है, उसमें मेरिट वन, टू, थ्री तैयार किया और उसी के आधार पर दिया गया है। यह डिसिजन कोई पॉलिटिकल डिसिजन नहीं है। किसी जगह का रद्द नहीं किया गया है। जहां दिया गया है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जहां कलस्टर हो, जहां इंडस्ट्रीज़ हों, जहां वेज हो, जहां रॉ मटैरियल की उपलब्धता हो, जहां इको सिस्टम बनी हुई हो। ऐसे प्लेस के लिए मार्किंग सिस्टम बनाई गई थी और इस मार्किंग सिस्टम के आधार पर बल्क ड्रग पार्क दिया गया है। मेरी अपेक्षा है कि तीन बल्क ड्रग पार्क बनने से देश की एपीआई की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और देश को इम्पोर्ट पर जो डिपेंडेंसी रखनी पड़ रही है, वह कम होगी।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 145 और 148 ये समान प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों को क्लब किया जाता है।

(Q. 145 and 148)

SHRI P.C. MOHAN: Sir, an elaborate answer has been given by the Ministry. The availability of Molecular Diagnostics has been scaled up to 4,716 machines covering all Districts in the country. I would like to know this. How many such machines are there in Karnataka? Are all the machines operational and giving service to the affected people? Secondly, what are the steps taken by the Government to eliminate TB in children?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो मॉलीक्यूलर डायग्नोस्टिक को लेकर सवाल पूछा है, मैं उन्हें आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहती हूं कि आज हमने मॉलीक्यूलर डायग्नोस्टिक को बढ़ावा देकर 4760 मशीन्स अवेलेबल करवाई हैं, हर जिले में इनक्लूडिंग कर्नाटक में। सर, मैं यह कहना चाहूंगी हूं कि यह सरकार की नीति है कि जल्दी डायग्नोस्टिक हो, डिटेक्ट हो, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो। जो मूल प्रश्न है, वह रजिस्टेंट (एमडीआर) को लेकर है। सरकार का यही कहना है कि पहले रजिस्टेंट पकड़ा जाए, इसलिए यह मॉलीक्यूलर डायग्नोस्टिक का काम हरेक जिले तक पहुंचा है।

माननीय सदस्य ने दूसरी चिंता यह जताई है कि बच्चों में टीबी के मामले बढ़े हैं। टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत जो केसेस नोटिफाइड करते हैं, ऐसे केसेस अभी तक लगभग 20.98 लाख डायग्नोज हुए हैं, डिटेक्ट हुए हैं और नोटिफाइड हुए हैं इनक्लूडिंग पीडियोट्रिक्स। जहां पर भी वह डिटेक्ट होते हैं, उसके लिए अलग व्यवस्था बनी हुई है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत we are providing screening and treatment through HWCs also. आपने पूछा है कि कर्नाटक में कितनी मशीन्स हैं तो वहां लगभग 200 मशीन्स लगी हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 148 – श्री राहुल रमेश शेवाले जी।

श्री राहुल रमेश शेवाले: अध्यक्ष महोदय, भारत में राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019 और 2020 के बीच रोग सूचक आबादी के एक विशाल समूह 64 परसेंट ने स्वास्थ्य सेवाओं

का लाभ नहीं लिया है । गुमशुदा मामलों को खोजने के लिए गहन जमीनी अभियान चलाने की आवश्यकता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लापता मामलों का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने टीबी पेशेंट्स को खोजने के बारे में चिंता जताई है । मैं आपके माध्यम से सदन को भी यह कहना चाहूंगी कि टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में चाहे अवेयरनैस हो, टीबी ट्रीटमेंट हो, इसमें आगे आकर काम करने की आवश्यकता है । इसके लिए सरकार ने आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में अलग-अलग योजनाएं दी हैं, जिस पर इम्प्लिमेंट और आगे बढ़ा है, जैसे कि टीबी नोटिफिकेशन । हमने जैसे ही देखा कि 20.98 लाख नोटिफिकेशन हुए हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी अच्छी मदद की है और गत आठ वर्षों में यह सिक्स टाइम्स बढ़ी है ।

जैसा कि आपने टी.बी. की डायग्नोसिस के लिए कहा, तो हम गांव-गांव में घर-घर पहुंच कर उसके डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं । इसके अलावा, नेशनल टीबी प्रीवेलेंस सर्वे के माध्यम से सेन्ट्रल टीबी डिवीजन के साथ को-ऑर्डिनेशन करके डिटेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है । निक्षय पोषण योजना के तहत हम लोग रोगियों को डीबीटी के माध्यम से मदद करते हैं, उससे भी कुछ ट्रैक होते हैं । जब पेशेन्ट डिटेक्ट होता है तो हम फैमिली को ट्रैक करते हैं । आपने एक्टिव केस फाइंडिंग का सवाल उठाया है, तो उसे भी घर-घर करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग इत्यादि हैं । सब-नेशनल डिस्ट्रिक्ट प्री-सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग अवार्ड भी देते हैं, ताकि ज्यादा काम हो और अवार्ड से वह काम और आगे बढ़े ।

सर, इसके अलावा, अभी प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा वी.सी. के माध्यम से किया गया, वह यही था कि हम उससे जुडें और हम पेशेन्ट्स को एडॉप्ट करें, हम उन्हें न्यूट्रिशनल सपोर्ट, वोकेशनल सपोर्ट और डायग्नॉस्टिक सपोर्ट दें ।

सर, मैं, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि हमारे अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स ने, इन्क्लूडिंग हमारे माननीय सदस्यों ने इसमें बहुत आगे आकर काम किया है, पेशेन्ट्स को एडॉप्ट भी किया है। यह एक अच्छी सहभागिता रही है।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे: स्पीकर महोदय, मेरे सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री से यह उत्तर हासिल हुआ है - The estimated TB cases for 2020-21, globally, and in India, is 106 lakhs and 29.5 lakhs respectively. I would like to know, through you, whether these are active cases or new cases. In any which way this is one-third of the global burden, which is from India.

महोदय, कोरोना पैनडेमिक के समय में हम देख चुके हैं कि कितनी वॉर फुटिंग पर हमने वैक्सीन्स बनाईं, जिसे पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। अगर हम वर्ष 2025 में टीबी-मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं तो क्या वॉर फुटिंग पर टीबी वैक्सीनेशन का काम करने की कोई सोच सरकार रख रही है, क्योंकि अभी जो इसके नए केसेज हम देख रहे हैं, वे यंग एडल्ट्स में हैं, जिनमें शायद बी.सी.जी., जो एग्ज़िस्टिंग वैक्सीन है, उसका इफेक्ट कम होने के बाद इसके इंफेक्शन के चांसेज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार वैक्सीनेशन के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में ग्लोबल गोल तो ऐसा है कि वर्ष 2030 में दुनिया टीबी-मुक्त हो, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने दिसम्बर, 2025 तक देश को टीबी-मुक्त करने का आह्वान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान का कल्चर, हमारी जीवन-पद्धति अलग है। हमारे यहां स्वास्थ्य, सेवा है। यह कोई कॉमर्स नहीं है, हमारे यहां यह सेवा है। देश की जनता स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहभागिता करती है। इस ताकत को देखते हुए, वर्ष 2025 के अन्त तक देश से ट्युबरक्युलोसिस के एलिमिनेशन के लिए हमने माननीय

राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति में कार्यक्रम निश्चित किया है। देश में आज तक जो 12 लाख टीबी पेशेन्ट्स आइडैंटिफाई हुए थे, जिन्हें सरकार की ओर से फ्री मेडिसिन दी जाती है, निक्षय पोषण योजना के अनुसार उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन उन्हें न्यूट्रिएंट फूड मिले, कोई उनकी देखभाल करे, उन्हें प्रोत्साहित करे, इसके लिए हमने 'निक्षय मित्र 2.0' पोर्टल लॉन्च किया और देश का आह्वान किया कि कॉरपोरेट सेक्टर, जन प्रतिनिधि, पॉलिटिकल पार्टीज़, इंडिविडुअल लोग, एनजीओज़, आप सभी आइए और हर टीबी पेशन्ट को आप गोद ले लीजिए। हमने व्यक्तिगत नाम नहीं दिए, पर किस ब्लॉक में किस प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के अन्तर्गत कितने पेशेन्ट्स हैं, इसकी सूची दी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल 14 दिनों में 44,000 लोग आगे आए और 12 लाख टीबी पेशेन्ट्स को उन्होंने गोद ले लिया। मैं देखता हूं कि हर दिन हमारे कोई न कोई गवर्नर साहब, कोई न कोई हमारे विधायक जी, कोई न कोई हमारे सांसद जी, कोई न कोई एनजीओ, वे हमारे टीबी पेशेन्ट्स के घर जाते हैं, उन्हें किट्स बाँटते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें पूछते हैं कि क्या आपने मेडिसिन्स ली, क्या आप रेगुलर मेडिसिन्स ले रहे हैं और अगर वे नहीं लेते हैं तो उन्हें लेने को प्रोत्साहित करके मेडिसिन्स देते हैं। देश की जो कुल ताकत थी, इस ताकत का उपयोग करते हुए हेल्थ के साथ जो हमारे देश की जनता का जुड़ाव है और मदद करने की हमारी जो भावना है, इस शक्ति को बाहर लाने के लिए हमने प्रयास किया है और इसमें सरकार को सफलता मिली है।

इसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि वर्ष 2025 के अंत में भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। यह अभियान सही दृष्टि से चल रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने-अपने क्षेत्र में अपने टीबी अधिकारी के साथ बातचीत करके आपके यहां जो भी टीबी पेशेंट्स हैं, उनको गोद लेने या गोद दिलाने के लिए व्यवस्था करेंगे तो मुझे लगता है कि देश में हर साल जिन डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, वे बच जाएंगे। देश को उससे बहुत बड़ा फायदा होगा, उसके परिवार को फायदा होगा और देश टीबी मुक्त होगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय मंत्री जी बड़ा अच्छा जवाब दे रहे थे कि सारे मंत्री और बड़े-बड़े लोग टीबी पेशेंट्स को देखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। टीबी एक इंफेक्शस डिसीज होती है। पता नहीं, जो उनको देखने गए थे, भगवान उनको जरूर स्वस्थ रखे होंगे।... **(व्यवधान)** ड्रग रजिस्टेंट टीबी के लिए जो नई दवायें मिली हैं उनके नाम डेलामनिड और बीडाक्विलिन हैं। खबर मिल रही है कि इनकी किल्लत बढ़ती जा रही है। आपने जवाब में कहा कि ये एवलेबल हैं। मेरा सवाल है कि ये सारे क्या आम लोगों के लिए एक्सेसेबल हैं?

मंत्री जी, आप बड़े डॉक्टर हैं। आप अभी पोषण के बारे में बता रहे थे। हिंदुस्तान भुखमरी की सूची में 101वें नंबर पर आ गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मैलनूट्रिशन हमारे देश में है और टीबी रजिस्टेंट ड्रग की किल्लत है। मेरा पॉइंटेड सवाल यह है कि जो डेलामनिड और बीडाक्विलनि मेडिसिन की बात हो रही है, क्या यह पेटेंट में है या नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में है**?** मैं सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह पेटेंटेड है या नेशनल लिस्ट में है**?**

डॉ. भारती प्रवीण पवार: सर, आदरणीय सदस्य ने चिंता जताई है कि मल्टी ड्रग रजिस्टेंट टीबी पर सरकार के क्या प्रयास चल रहे हैं**?** मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि मल्टी ड्रग रजिस्टेंट टीबी के केसेज़ बढ़ रहे हैं। सरकार ने इसीलिए यह सुविधा दी कि पहले यह ट्रीटमेंट होता था, उसके बाद यह डिटेक्ट होता था, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन ड्रग ट्रीटमेंट पर आते थे। आज सरकार ने यह सुविधा दी है कि टेक्नोलॉजी से जुड़कर हम पहले ही डायग्नोस्टिक में ही, बिफोर ट्रीटमेंट ही ड्रग रजिस्टेंस पकड़ें।

दूसरा, आपने डेलामनिड और बीडाक्विलिन के बारे में पूछा है। ये सारे सरकारी अस्पतालों में एवलेबल हैं। आपने कहा कि ये कॉस्टली हैं, इसलिए यह प्रत्येक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एवलेबल है। हमारी सरकार की यही नीति है कि ... **(व्यवधान)**

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय मंत्री जी, यह पेटेंटेड है या नेशनल लिस्ट में **है**?...(व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार: सर, यह प्राइवेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पेशेंट को ढूंढने के लिए प्रयास कर रही है। पेशेंट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आए। एक तरफ आप ही कहेंगे कि यह

कॉस्टलियर है और पेशेंट को बाहर लेना है। मेरे पास जो सेकेंड लाइन लिस्ट है, वह सरकार ने एवलेबल करा दी है । हमारा उद्देश्य यह है कि पेशेंट को वह मिले । पेशेंट को मिलना हमारी प्राथमिकता है । … (व्यवधान) सर, यह एवलेबल है । भारत सरकार ने यह कॉस्टलियर ड्रग एवलेबल कर दी है। पेशेंट को उपलब्ध कराना ही हमारा प्रयास है। … (व्यवधान) सर, हम इसे फ्री में दे रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य और मंत्री जी कभी आपस में बात नहीं करें। आसन के माध्यम से ही बात पहुंचायें। आपने जवाब दे दिया है कि एवलेबल है, बात खत्म हुई।

… (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार: सर, यह फ्री में एवलेबल है। **…** (व्यवधान) गवर्नमेंट इसको फ्री में दे रही है, फिर भी माननीय सदस्य प्राइवेट में उसे क्यों लेना चाहते हैं? मुझे पता नहीं चल रहा है कि जब सरकार फ्री में दे रही है तो प्राइवेट में क्यों लेना है? … (व्यवधान)

HON.SPEAKER: Question No. 146,

Shri Pocha Brahmananda Reddy.

(Q.146)

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY: Sir, I want to know whether the Ayurvedic system of medicines has got any international recognition and whether the medicinal use in the Ayurvedic system has any international standard?

डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा: माननीय सदस्य ने अपने आयुष डिपार्टमेंट में, विशेषकर आयुर्वेदिक में जो हमारी जड़ी-बूटियां हैं और जो आयुष सर्विसेज़ हैं, आयुर्वेदिक सर्विसेज़ हैं, उसके बारे में पूछा है। दिन प्रति दिन आयुष के बजट, सर्विसेज, इंस्टीट्यूट और मेडिकल स्टूडेंट्स, सभी जगह तरक्की हो रही है। हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी काफी इंस्टीट्यूट से हुआ है, उसमें स्पेशली अमेरिकन हर्ब एसोसिएशन के साथ एमओयू साइन हुआ है ताकि हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मेडिसीन प्रोड्यूस कर पाएं।

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY: Have any complaints been received about fake practitioners and medicines used? Does the Government intend to take strict legal action against fake practitioners who are not qualified to treat patients?

डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने फेक या क्वेक डॉक्टर्स के बारे में प्रश्न पूछा है। अगर कोई क्वेक डॉक्टर मरीज का ट्रीटमेंट करेगा तो मरीज की बीमारी तो नहीं मिटेगी, लेकिन बीमारी बढ़ेगी या उसकी पोजिशन और भी खराब हो जाएगी। एनसीआईएसएम एक्ट के अंदर प्रावधान स्ट्रिक्ट रखा गया है कि कोई भी फेक डॉक्टर इंडिया में न रहे और प्रैक्टिस भी न कर सके, एनसीआईएसएम ने इसका प्रोविजन रखा है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 147,

श्री सुनील कुमार सिंह ।

(**Q. 147**)

श्री सुनील कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और कानून मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड में 515 ई-न्यायालय चालू किए गए हैं। जिसमें से 65 मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा, लातेहार और पलामू जिले में हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ई-फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से कार्यों में वृद्धि हुई है, फिर भी देश के न्यायालयों में लगभग साढ़े चार करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ने अदालतों को पेपरलेस बनाने और उसकी कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में इनफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग का प्रस्ताव दिया है, उस पर सरकार की आगामी कार्य योजना क्या है?

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: माननीय स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी का डिजीटल इंडिया का नारा है उससे अदालतें भी अछूती नहीं रहेंगी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कानूनी कागजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली शुरू की गई है। वकीलों को 24X7 किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचाने और अपलोड करने की अनुमति देता है, जिससे कागजात दाखिल करने के लिए अदालत में आने-जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्नत संस्करण-20 भी तैयार किया गया है, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल है इसमें एडवोकेट्स, पोर्टफोलियो, बेंच क्लर्क, एंटी मॉड्यूल कैलेंडर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के साथ एकीकरण आदि जैसी उन्नत विशेषताएं हैं। न्यायिक मामलों में ई-फाइलिंग, कोर्ट फीस की ई-पेमेंट की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें कोर्ट फीस, जुर्माना और दंड शामिल है जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं।

न्यायिक मामलों की ई-फाइलिंग में न्यायालय में शुल्क ई-भुगतान की सुविधा की आवश्यकता होती है। एचटीटीपीएस पे ई-कोर्ट्स. जीओवी.इन के माध्यम से कोर्ट फीस जुर्माना, जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान शुल्क भी है, अदालती शुल्क और अन्य भुगतानों के इलेक्ट्रॉनिक

माध्यम की शुरूआत के लिए मौजूदा न्यायालय शुल्क अधिनियम में उचित संशोधन की आवश्यकता है । लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की है । गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश में कार्रवाइयों की विडियो कान्फ्रेंसिंग लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्रवाई में शामिल होने की सहूलियत मिलती है । उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एसओपी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की देखरेख में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक मॉडल व नियम तैयार करने के लिए एक उप-समिति का भी गठन किया गया है, उक्त नियम व दिशा-निर्देशों के रिपोर्ट एवं सुझाव के लिए उच्च न्यायालय की कम्प्यूटर समिति को भेज दिया गया है।

जो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई है, इससे हमारे जूनियर एडवोकेट्स को अपने घर में बैठकर सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट में की जा रही हियरिंग और गवाही के तरीके, एविडन्सेज, सीनियर वकीलों की बहस से सीखने का भी मौका मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 149 to160
Unstarred Question Nos. 1611 to 1840)
(Page No. 41-921)

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

<u>12.00 hrs</u>

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी जी ।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, with your kind permission, I beg to lay on the Table a copy of the Integrated Nutrition Support Programme – Saksham Anganwadi and Poshan (2.0), Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.766(E) in Gazette of India dated 6th October, 2022 under sub-section (3) of Section 39 of the National Food Security Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 7880/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Cochin Shipyard Limited and the Ministry of Ports, Shipping & Waterways for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7881/17/22]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाहदन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पालदन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पामदन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाहदन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पासदन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) गार्डन रीच शिपबिल्डफर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पा दन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7882/17/22]

(2) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7883/17/22]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलाईड स्पोर्ट्स, वेस्ट कामेंग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) , वेस्ट कामेंग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7884/17/22]

(4) (एक) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7885/17/22]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7886/17/22]

(ख) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7887/17/22]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7888/17/22]

(घ) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7889/17/22]

(ड़) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-डि-गामा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-डि-गामा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7890/17/22]

12.01 hrs. (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अर्जुन राम मेघवाल**): माननीय सभापति जी**,** श्री भगवंत खुबा जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7891/17/22]

(2) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 7892/17/22]

(3) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 7893/17/22]

(4) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7894/17/22]

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्रकाशित ओषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो दिनांक 20 जुलाई, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ.2899(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7895/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947:-

(i) The Indian Nursing Council (Nurse Practitioner in Critical Care Post Graduate Residency Program-Corrigendum) Regulations, 2022 published in Notification No. F.No. 11-1/2019-INC in Gazette of India dated 24th December, 2021.

(ii) The Indian Nursing Council (Post Basic Diploma in Critical Care Specialty Nursing – Residency Program) Regulations, 2022 published in Notification No. F.No. 11-1/2022-INC in Gazette of India dated 24th June, 2022.

(iii) The Indian Nursing Council (Revised Regulations and Curriculum for B.Sc. (Nursing) Program-Corrigendum) Regulations, 2022 published in Notification No. F.No. 11-1/2022-INC in Gazette of India dated 19th April, 2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. (i) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7896/17/22]

(3) A copy of the National Commission for Allied and Healthcare Professions 4th (Removal of Difficulties) Order, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.5322(E) in Gazette of India dated 16th November, 2022 under sub-section (2) of Section 69 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 7897/17/22]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940:-

(i) The Drugs (Sixth Amendment) Rules, 2022 published in Gazette of India Notification No. G.S.R. 623(E) dated 10th August, 2022.

(ii) The New Drugs and Clinical Trials (Third Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.778(E) in Gazette of India dated 14th October, 2022.

(iii) The Medical Devices (Fifth Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.754(E) in Gazette of India dated 30th September, 2022.

(iv) The Medical Devices (Sixth Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.777 (E) in Gazette of India dated 14th October, 2022.

(v) The Drugs (Seventh Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.654 (E) in Gazette of India dated 24th August, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7898/17/22]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006:-

(i) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Second Amendment Regulations, 2022 published in Notification No. F.No. STD/FA/A-1.30/No.1/2020-FSSAI(P.1) in Gazette of India dated 27th October, 2022.

(ii) The Food Safety and Standards (Approval for Non-Specified Food and Food Ingredients) First Amendment

Regulations, 2022 published in Notification No. F.No. STD/EC/T(NSF-01) in Gazette of India dated 12th October, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7899/17/22]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Department of Economics, University of Lucknow, Lucknow, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Department of Economics, University of Lucknow, Lucknow, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7900/17/22]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Department of Statistics, Patna University, Patna, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Department of Statistics, Patna University, Patna, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7901/17/22]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, University of Kerala, Thiruvananthapuram, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, University of Kerala, Thiruvananthapuram, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7902/17/22]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Himachal Pradesh University, Shimla, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Himachal Pradesh University, Shimla, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7903/17/22]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7904/17/22]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Andhra University, Visakhapatnam, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Andhra University, Visakhapatnam, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7905/17/22]

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawal, for the year 2020-21, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawal, for the year 2020-21.

(13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

[Placed in Library, See No. LT 7906/17/22]

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences Deoghar, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences Deoghar, for the year 2020-2021.

(15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

[Placed in Library, See No. LT 7907/17/22]

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Patna for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Patna, for the year 2020-2021.

(17) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (16) above.

[Placed in Library, See No. LT 7908/17/22]

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Hyderabad, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Hyderabad, for the year 2020-2021.

(19) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (18) above.

[Placed in Library, See No. LT 7909/17/22]

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Rajkot, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Rajkot, for the year 2020-2021.

(21) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (20) above.

[Placed in Library, See No. LT 7910/17/22]

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bathinda, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bathinda, for the year 2020-2021.

(23) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (22) above.

[Placed in Library, See No. LT 7911/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standard of Undergraduate Sowa-Rigpa Education) Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No.18-12/2022-BUSS (SOWA-RIGPA-UG-MSE) in Gazette of India dated 16th November, 2022 under Section 56 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020.

[Placed in Library, See No. LT 7912/17/22]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7913/17/22]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति जी, मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या 1/2022-सेवा कर जो दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगी तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाली तथा 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि में प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 के अधीन प्रकाशस्तम्भ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय द्वारा संग्रहीत "प्रकाश- शुल्क" के बारे में वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अधीन अधिसूचित किया गया है कि संदेय सेवा कर का भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना सं. 42/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के आशय वाली दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) अधिसूचना सं. 43/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के आशय वाली दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 4/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7913(A)/17/22]

12.02hrs

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(i) Statement

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to lay the Final Action Taken Statement (Hindi and English versions) of the Government on the recommendations contained in Chapter I of the Twelfth Report (17th Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes regarding Action Taken by the Government in the Fourth Report (17th Lok Sabha) pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting on the subject 'ways and means to ensure reservation for SCs and STs in the Light of privatisation, outsourcing of work and contractual employment in Government Services, PSUs and Autonomous Bodies – with special reference to Prasar Bharati'.

(ii) Study Visit Report

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI: Sir, I beg to lay the Study Visit Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Mussoorie, Hyderabad and Ooty from 18th August 2022 to 24th August 2022.

12.03hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

42nd and 43rd Reports

श्रीमती रमा देवी (**शिवहर**): माननीय सभापित जी, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति से निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) से संबंधित 'विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा संबंधी समिति का 42वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

STATEMENTS BY MINISTER

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2021-22) on General Defence Budget, BRO, ICG, Defence Estates Organisation, DPSUs, CSD, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Pension (Demand Nos. 18 and 21) pertaining to the Ministry of Defence.*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**एडवोकेट अजय भट्ट**) **:** माननीय सभापति महोदय**,** मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, कैंटीन भंडार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 18 और 21) के बारे में अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2021-22) on Army, Navy, Air Force, Joint Staff, Military Engineer Services, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme and Sainik School (Demand Nos. 19 and 20) pertaining to the Ministry of Defence*.

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**एडवोकेट अजय भट्ट**) **:** माननीय सभापति महोदय**,** मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 19 और 20) के बारे में अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library. See Nos. LT 7877/17/22 and LT 7878/17/22 respectively.

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2021-22) on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (Demand No. 20) pertaining to the Ministry of Defence.*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**एडवोकेट अजय भट्ट**) **:** माननीय सभापति महोदय**,** मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 20) के बारे में अनुदानों की मांगों (2021- 22)' पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Defence on Demands for 14 Grants (2021-22) on 'Ordnance Factories, DRDO, DGQA and NCC (Demand Nos. 19 and 20)' pertaining to the Ministry of Defence*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**एडवोकेट अजय भट्ट**) **:** माननीय सभापति महोदय**,** मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग संख्या 19 और 20) के बारे में अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library. See Nos. LT 7879/17/22 and LT 7879(A)/17/22 respectively.

12.06hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 19th of December, 2022, will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- *(it contains: -* (i) Further consideration and passing of Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022; (ii) consideration and passing of Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022; and (iii) Further consideration and passing of the Anti-Maritime Piracy Bill, 2019.*)*
2. Consideration and passing of the following Bills:-
   i. The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022; and
   ii. The Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022.
   iii. Consideration and passing of the Repealing and Amending Bill, 2022, *after its introduction.*
   iv. Consideration and agreeing to of amendments made by Rajya Sabha to the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders Second Amendment) Bill, 2022, *as passed by Lok Sabha.*

माननीय सभापति : श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल जी।

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मध्य प्रदेश एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,50,000 रुपये है, वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 2,50,000 रुपये का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था लंबी होने की वजह से कई बार सीमेंट, रेत इत्यादि लाने में काफी व्यय हो जाता है, इसलिए 1,50,000 रुपये की राशि कम पड़ती है। शहरी क्षेत्रों के लिए 2,50,000 रुपये की राशि पर्याप्त है। इसमें जो लेबर का पेमेंट होता है, कुछ जगहों पर 18,000 और 20,000 रुपये के आस-पास है। लेबर पेमेंट भी किश्तों के माध्यम से दी जानी चाहिए।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो 1,50,000 रुपये की राशि का प्रावधान है, उसको बढ़ाकर 2,50,000 रुपये किया जाए। जो लेबर पेमेंट होती है, वह धनराशि भी हितग्राही को किश्तों के रूप में दी जाए।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर) : सभापति महोदय**,** आपने आज मुझे लोक महत्व की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया है**,** उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

महोदय**,** सर्वग्राही विकास के पथ पर चलते हुए राष्ट्र कल्याण के संकल्प के साथ भारतीय राजनीति में युगांतर स्थापित करने एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक व स्वर्णिम आठ वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

सभापति महोदय, देश में बहुत समय के बाद एक कुशल नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की केन्द्रीय सरकार विद्यमान है। हमारी सरकार द्वारा बहुत से कठिन निर्णय जनता के जीवन सुधार हेतु लिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी भारत और भारतीयों के जीवन-स्तर में सुधार हेतु कड़े कदम और कठोर निर्णय लेने में सरकार कोई गुरेज नहीं करेगी।

मान्यवर, मैं इसी कड़ी में केन्द्र सरकार का ध्यान देश की दवा कंपनियों द्वारा उनके उत्पाद और अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। वर्तमान में विभिन्न दवा कंपनियां अपने उत्पाद से कहीं अधिक मूल्य एवं वास्तविक मूल्य से 10 से 100 गुना अंकित करती हैं, जिसका सीधा-सीधा लाभ दवा विक्रेताओं को मिलता है।

आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिलता है तथा मूल्य न चुकाने की स्थिति में कई बार उसे अपने परिजनों के जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। इस प्रकार से दवा कंपनियों द्वारा मनमाने तरीके से सीधा लाभ दवा विक्रेताओं को पहुंचाया जा रहा है। प्राय: देखा गया है कि कई जीवन रक्षक दवाओं की कीमत उसकी वास्तविक कीमत से 100 से 1000 गुना तक होती है, जो सामान्य परिवार की पहुंच से कहीं अधिक होती है और जिसका लाभ प्राइवेट अस्पताल या दवा विक्रेताओं को मिलता है।

अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसा कोई प्रावधान या बिल में संशोधन लाया जाए, जिससे इन दवा कंपनियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करने पर प्रतिबंध लगे तथा दंड का प्रावधान भी हो। मुझे आशा है कि इस पर वर्तमान केन्द्र सरकार जरूर ध्यान देगी।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to raise a matter of urgent public importance concerning my Parliamentary Constituency.

Hon. Chairperson, Sir, in my Parliamentary Constituency, there were proposals for the construction of eight ROBs in lieu of level crossings on railway line from Chingavanam to Thrippunithura.

Out of the eight ROBs, one at Poovanthuruth and another at Manjoor were completed at the time of doubling of railway line. In the case of two ROBs, that is, one at Caritas and another at Mulanthuruthy, the railway portion is completed and the construction of approach roads have recently been started by the Government of Kerala.

With regard to the rest of the four ROBs, *namely*, Kureekad in lieu of LC No. 11, Kaduthuruthy in lieu of LC No. 21, Kuruppanthara in lieu of LC No. 22, and Kothanalloor in lieu of LC No. 23, even though the Railways have given approval for the construction of these ROBs, the work has not started so far. There is heavy road traffic through these level crossings. Therefore, the construction of these four ROBs is very important.

Hon. Chairperson, Sir, through you, I request the hon. Railway Minister to intervene in this matter and give directions to expedite the construction of these four ROBs at Kureekad, Kaduthuruthy, Kuruppanthara, and Kothanalloor.

Thank you, Sir.

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र सलेमपुर की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के गोरखपुर-भटनी-छपरा रेल खंड पर भाटपार रानी रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर समपार संख्या 112, भटनी रेलवे स्टेशन के पूर्व की ओर समपार संख्या 115 तथा गोरखपुर-भटनी-वाराणसी रेल खंड पर बेल्थरा रेलवे स्टेशन के दक्षिण ओर समपार संख्या 19 पर रेल ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इसी रेल खंड पर पीवकोल रेलवे स्टेशन के उत्तर की ओर अंडरपास रेलवे द्वारा पास होने के बावजूद भी नहीं बन पा रहा है।

सभापति महोदय, उपर्युक्त रेलवे फाटक पर आए दिनों लंबे-लंबे जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि रेलवे की जो गाइडलाइन है कि कैसे समपार पर ओवरब्रिज बनाना है, उसकी क्यूआरबीटी एक लाख से ऊपर होती है और रेलवे के सर्वे में हर रेलवे फाटक पर एक से डेढ़ लाख की क्यूआरबीटी पाई गई है। इसलिए ओवर ब्रिज न होने के कारण कई बार दुर्घटना की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों की जान-माल का खतरा बना रहता है। लोग जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार करने लगते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

अत: सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के गोरखपुर-भटनी-छपरा रेल खंड पर भाटपार रानी रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर समपार संख्या 112, भटनी रेलवे स्टेशन के पूर्व की ओर समपार संख्या 115 तथा गोरखपुर-भटनी-वाराणसी रेल खंड पर बेल्थरा रेलवे स्टेशन के दक्षिण की ओर समपार संख्या 19 पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण करवाने व साथ ही भटनी-वाराणसी रेल खंड पर पीवकोल रेलवे स्टेशन के उत्तर की ओर अंडरपास बनवाने की कृपा करें।

श्री छेदी पासवान (सासाराम): धन्यवाद सभापति महोदय ।

महोदय, बिहार राज्य के कैमूर जिले के अधौरा प्रखण्ड अथवा रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखण्ड में एक सैनिक स्कूल की स्थापना करने का मेरा निवेदन है।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम, बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिले सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं आवागमन के दृष्टिकोण से बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से निकट होने के कारण उपयुक्त एवं प्रासंगिक हैं, जहां सरकार की नई उम्मीदों को अवसर में बदलने के लिए एक सैनिक स्कूल की स्थापना की अपेक्षा है, जिससे संभावनाशील प्रतिभाओं को श्रेष्ठ नागरिक बनने का अवसर प्राप्त हो सके।

अत: विशेष आग्रह है कि कैमूर जिले के अधौरा प्रखण्ड अथवा रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखण्ड में एक सैनिक स्कूल की स्थापना करने हेतु सदन के माध्यम से संबंधित निर्देश देने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, आपने मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, रीवा लोक सभा क्षेत्र के उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल के तहत आने वाले डभौरा रेलवे स्टेशन पर लॉक डाउन से पहले बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 01107-08), क्षिप्रा एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 02911-12), काशी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 15018-17) व कामायनी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 11071-72) का ठहराव कई वर्षों से हो रहा था। कोविड काल में इन गाड़ियों को बन्द कर दिया गया था। अब इन गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है, परन्तु गाड़ियों का वहां ठहराव नहीं किया जा रहा है। इससे रीवा जिले की 40 प्रतिशत आबादी के सामने मरीजों एवं यात्रियों को मानिकपुर या प्रयागराज से गाड़ियों में यात्रा करनी पड़ रही है।

अत: आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इन गाड़ियों का ठहराव डभौरा रेलवे स्टेशन पर पुन: शुरू कराने की कृपा करें।

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Hon. Speaker, Sir, a large number of customers are still using the services of BSNL without switching over to any other private players in spite of the poor connectivity due to their devotion to the nation and State owned firm BSNL. Due to the operation of BSNL with 3G facility, the customers are complaining that they were getting disturbed calls, slow mobile data and network signal problem. I urge upon the hon. Minister for Communication to extend 4G/5G facility immediately to State owned BSNL to hold on to the customer base. I request the Government to take up the UT of Puducherry as a model region to provide 4G/5G facility to BSNL in the Puducherry region, the capital of the Union Territory.

श्री जगदम्बिका पाल (**डुमरियागंज**): अधिष्ठाता महोदय, भारत की संसद ने पहले लोक सभा में दि कांस्टीट्यूशन (शेडयूल्ड ट्राइब) ऑर्डर (फर्स्ट अमेंडमेंट) बिल पास किया था, जिसे कल राज्य सभा ने भी पारित कर दिया। दोनों सदनों में पारित होने के बाद यह उत्तर प्रदेश के गौड़ समाज, धूरिया समाज और पठारी समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से इस समाज के लोगों ने जो योगदान दिए हैं, चाहे वे इनके महापुरुष होमाराम भीम जी हों, संग्राम शाह हों, मोती कंगाले हों – इन सब लोगों का और गौड़ समुदाय के लोगों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है। उनको जो पहले मिलना चाहिए था, जिससे उनका सम्मान हो, उनके रोजगार की बात हो, उन्हें आरक्षण मिलने की बात हो, मैं बधाई दूंगा कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दोनों सदनों से जनजातीय लोगों को यह अधिकार कानून के माध्यम से प्राप्त हुआ है। केवल वह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, उन्होंने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया, ताकि पूरा देश अपनी उन जनजातियों के योगदान को, उनके संघर्ष को, चाहे भगवान बिरसा मुण्डा हों या हमारे यहां के गौड़ समाज के लोग हों, उनके योगदान को याद कर सके।

देश के हर राज्यों में जनजातीय समूह के लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। हमारी सरकार ने 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की स्थापना की है। वह पूरे देश में एक-एक राज्य में रहने वाले उन जनजातीय लोगों का सम्मान है और उनको देश की मुख्य धारा में लाने का भी काम है। आज जिस तरीके से चाहे, वह मणिपुर की रानी गाइदिन्ल्यू का ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट हो। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप विषय पर बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं विषय पर आता हूं। विषय यह है कि आज उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में उन गौड़ समाज के लोगों को एसटी की श्रेणी में रखा गया है। इस विधेयक से चार वे जनपद, जैसे बस्ती से अलग हुआ संतकबीर नगर, भदोही, जो बनारस से अलग हुआ, चंदौली और कुशीनगर, अब इन जनपदों के गौड़ और धूरिया समाज के लोगों को भी एसटी में रहने का मौका मिलेगा। वर्ष 2017 के नगर पंचायत और नगरपालिका के चुनाव थे।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप क्या चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं यह चाहता हूं कि उनको नगर पालिकाओं में आरक्षण था। … (व्यवधान) अधीर रंजन जी, पेशेंस रखिए, आपको मालूम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नगर पालिका, नगर महापालिका पंचायतों में वर्ष 2017 में जनजाति का भी आरक्षण था, लेकिन इस बार वह आरक्षण नहीं हुआ है। एक तरफ हमारी केन्द्र सरकार ने इनके लिए विधेयक पारित किया, जिसका लाभ एसटीज़ की दस लाख के बड़े समूह की आबादी को मिल रहा है, लेकिन आज इस चुनाव में आरक्षण नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले इस नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका के चुनाव में पहले इन जनजातीय लोगों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था, जिसका संविधान के अनुच्छेद 243 में अधिकार है, उनको वह आरक्षण दिया जाए, जिससे हमारे गौड़ समाज, धूरिया समाज और जनजातीय समाज को आरक्षण मिल सके। धन्यवाद।

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज मैं ओडिशा राज्य के मिनरल माइनिंग सेक्टर (खनिज खनन क्षेत्र) में हो रही व्यापक अनिमितता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ओडिशा राज्य में आर्थिक वर्ष 2020-21 में बहुत सारे आयरन ओर माइन्स राज्य सरकार द्वारा नीलाम किए गए थे। बहुत आश्चर्य की बात है कि तुरंत आर्थिक वर्ष 2021-22 से नए नीलामधारियों ने खनन किए गए आयरन ओर में लो ग्रेड आयरन ओर का परिमाण बहुत अधिक दिखलाना शुरू कर दिया।

सर, मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि 55 प्रतिशत फेरस कंटेंट से कम वाले आयरन ओर को हम लो ग्रेड आयरन ओर कहते हैं और इसका मूल्य बहुत कम होता है। आर्थिक वर्ष 2019-20, यानी माइन्स नीलाम होने से पहले लो ग्रेड आयरन ओर का प्रतिशत इन माइन्स में 0.9 प्रतिशत था। एक वर्ष के अंदर इन नए नीलामधारियों ने इस 0.9 परसेंट को 27.3 परसेंट दिखलाया कि लो ग्रेड आयरन ओर इतना बढ़ गया।

सर, 20-30 सालों से जिन माइन्स में हाई ग्रेड आयरन ओर होता था, वहां वर्ष 2020-21 और 2021-22 में बढ़कर 27.3 प्रतिशत हो गया। अप्रैल, 2022 और मई, 2022 में यह प्रतिशत बढ़कर 42.3 प्रतिशत और 58.9 प्रतिशत हुआ। इससे यह हुआ कि एवरेज सेल प्राइस कम हो गया, बिड अमाउण्ट कम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड में कम पैसे आने लगे और राजकोष को करोड़ों का नुकसान हुआ तथा जनकल्याणकारी कार्य दुर्भाग्यवश बुरी तरह से प्रभावित हुए। इसमें बड़ी बात यह है कि मेरे हाथ में एक पत्र है। इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स ने सरकार को लिखा और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा। यह चिट्ठी दिनांक 11.08.2022 की है।

इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार ओडिशा को तुरंत लिखा जाए और तदर्थ कि्या जाए, मॉनिटरिंग की जाए एवं इंवेस्टिगेशन हो, रिपोर्ट मांगी गई, तलब की गई, लेकिन ओडिशा राज्य सरकार ने कर्णपात नहीं किया। अभी तक किसी भी तरह की इंक्वायरी नहीं हुई है और इससे राजकोष को बहुत नुकसान पहुंचा है। यह दु:ख की बात है कि जनकल्याणकारी कार्य बहुत कम संख्या में हो रहे हैं।

सर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि ओडिशा राज्य एक गरीब प्रदेश है, उसकी जनता प्रभावित हो रही है, तो मैं आपके दरख्वास्त करना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार तुरंत राज्य सरकार से फिर से रिपोर्ट मांगे, इंक्वायरी हो और इस दिशा में सुधार लाया जाए।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to flag the attention of this august House with regard to the Achilles Heel in our strategic planning about poor indigenous production of rare earth materials, which is abysmally low. Sir, the reason is that till now, our Government has been importing more than 90 per cent of rare earth minerals from China.

Sir, the rare earth materials consist of 17 very critical elements and critical minerals which are applied on more than 20 items of our globe, ranging from nuclear power to magnet, electric vehicles etc. So, this kind of dependence upon a hostile country, I think, will not augur well for our nation. This is why I thought it prudent to flag the attention of this House.

Sir, India has six per cent of world's rare earth reserves. But we have failed to explore less than one per cent of global output. The rare earth materials include Lanthanide, Cadmium, Ethereum etc. These rare earth elements are important components because of their wide range of application which I have already stated. It is indispensable for manufacturing everything.

The House must be aware that rare earth materials are indispensable for manufacturing everything, starting from smart phone to wind turbines etc. So, certainly, they have some sort of sustainability paradox attached to it.

It is known as Green Gold. Rare earth materials are recognised as Green Gold. So, I would request this Government that mineral exploration has

to be given due priority and the rare earth materials that have strategic importance should not be ignored.

माननीय सभापति: कुमारी गोड्डेति माधवी जी।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हम इस तरह के नहीं है कि पांच मिनट तक बोलते रहेंगे।

माननीय सभापति: आप ऐसा नहीं बोला कीजिए। It is not good. आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं।

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Sir, the Coffee Board had passed a resolution to seek the approval of the Ministry to fill up the vacant posts immediately to meet the requirements of the Coffee industry, especially the recruitment for the posts of Scientific and Technological Advisers.

Sir, a total of 152 vacancies have arisen out of the revised sanctioned strength of 547 which are to be filled by promotion as well as by direct recruitment. Sir, being a member of the Coffee Board, I strongly feel that it is very essential to fill up these posts for the smooth and efficient functioning of the organisation as most of the Coffee Board offices are located in remote places/plantation areas.

Sir, in a Circular dated 22.02.2017 of the Department of Commerce, it is stated that no vacant post should be filled up and no promotion should be made without the prior approval of the Department of Commerce. This is causing terrible delays in filling up of the vacancies within the revised sanctioned strength of 547. So, I request the hon. Minister of Commerce and Industry, through you, to kindly withdraw the Circular dated 22.02.2017 and

empower the Coffee Board to make timely promotions as well as fill up the vacancies by direct recruitment.

Sir, I would also urge upon the Government to grant permission to fill up 152 essential posts by promotions/deputations or direct recruitment.

Thank you.

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise a very important issue.

My Tirupati Parliamentary Constituency has a lot of potential resources to become a part of 'Gati Shakti Initiative' such as Krishnapatnam Port, Sri City stretch, Naidupeta stretch and EMC I & II.

Tirupati International Airport is close to Bengaluru and Chennai. There is a demand from the industry for integrated development of infrastructure, and more cargo terminals in Tirupati Parliamentary Constituency.

I would, therefore, request the hon. Railway Minister to establish a Multi-Model Cargo Terminal in Tirupati Parliamentary Constancy under PM Gati Shakti Framework to provide efficient mode of transport. It is essential for more freight to reduce the logistics cost of the industry.

Thank you.

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Respected Sir, it has been a demand of the Employees Provident Fund pensioners numbering over 65 lakhs to increase the minimum monthly pension from the present amount of Rs. 1,000 to Rs. 9,000 including Dearness Allowance.

The demand of the EPF pensioners who had served the country in various roles, is genuine. The pension amount which is being paid to them is not sufficient even to meet their needs of a few days due to high inflation facing the country.

Sir, they are also not able to afford the medical expenses on this account. I would, therefore, urge upon the Government to enhance the monthly pension amount to Rs. 9,000 as well as to implement better medical facilities for them.

Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Those of you who want to associate, may send the slips mentioning their names.

Now, Shri Hanuman Beniwal-ji.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक संवेदनशील विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

हमने देखा कि आज देश में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस तरह की फिल्में, टीवी धारावाहिक आदि दिखाए जा रहे हैं, उनमें हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की जाती है। उस फिल्म या सीरियल को हिट कैसे करें, इसके लिए प्रयास किये जाते हैं।

मैं ऐसा ही एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सोनी टीवी पर पुण्य श्लोक अहिल्याबाई नामक टीवी धारावाहिक प्रसारित किया जा रहा है, उसमें 17 नवम्बर, 2022 के एपिसोड में हमारे

राजस्थान के भरतपुर के अजेय योद्धा महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसको लेकर राजस्थान सहित देश भर में महाराजा सूरजमल जी में आस्था रखने वाले लोगों और जाट समाज सहित सर्व समाजों में भारी रोष व्याप्त है।

महोदय, इससे पूर्व पानीपत फिल्म में भी महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को गलत रूप से दर्शाया गया था, जिसका सड़क से लेकर इस सदन तक हमने भी विरोध किया और तमाम लोगों ने भी विरोध किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाद में, हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से मिले और उसके दृश्यों को हटाया गया।

मेरा निवेदन है कि इस तरह से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले योद्धाओं के इतिहास को गलत रूप से फिल्म या धारावाहिक के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले लोगों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए।

सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले पुण्य श्लोक अहिल्याबाई नामक धारावाहिक के निर्माता-निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी जाए, इसके प्रसारण पर रोक लगायी जाए। इसके साथ ही, जिस एपिसोड में महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को गलत रूप से दिखाया गया है, उसको सभी प्लेटफॉर्म्स से हटाया जाए और इसके निर्माता-निर्देशक पूरे देश से माफी मांगें क्योंकि महाराजा सूरजमल जी ऐसे योद्धा और शासक थे, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा और हमेशा देश की अखंडता की रक्षा की और महाराजा सूरजमल जी का अपमान किसी भी रूप में देश में स्वीकार्य नहीं है। महाराजा सूरजमल जी एक धर्म रक्षक और अजेय योद्धा थे।

मेरा निवेदन है कि राजस्थान पत्रिका एवं देश के प्रमुख अखबारों ने इसे प्रमुखता से उठाया और सरकार से मेरी मांग है कि सोनी टीवी के इस सीरियल को बैन किया जाए क्योंकि देश के नवयुवकों के अन्दर भारी रोष है और इसकी पुनरावृत्ति न हो ताकि देश की कानून-व्यवस्था न बिगड़ सके।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान झारखण्ड में हो रहे अवैध खनन और उसमें मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अवैध रूप से संलिप्तता के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

महोदय, मैं संथाल परगना के इलाके से आता हूँ, वहाँ माइनिंग के सिवाय रोज़गार का कोई दूसरा साधन नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ 19 लाख करोड़ साल पुराना फॉसिल है, जो विश्व की धरोहर है।

उसके ऊपर बीरबल साहनी ने पूरा रिसर्च किया और उत्तर प्रदेश में बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ में है। उस सारे फॉसिल की भी स्टोन माफिया ने पूरी तरह क्रशिंग कर दी है। मुख्य मंत्री जी के सचिव जेल के अंदर हैं, मुख्य मंत्री के बिजनेस पार्टनर जेल के अंदर हैं, जो माइनिंग सेक्रेट्री थे, वे भी जेल के अंदर हैं। उनके सीए के यहां 20 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। ईडी ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई, तो उस जांच में यह पता चला कि यह पूरा स्कैम 10 हजार करोड़ रुपए का है।

यह स्कैम कितना बड़ा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रक्स साहिबगंज और मनिहारी जो घाट हैं, सभापति महोदय, आप चूंकि बिहार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वहां दस ट्रक्स डूब गए। दस ट्रक्स डूब गए और आज तक, छ: महीने हो गए, उन ट्रकों का मालिक कौन है? उन ट्रकों को लेने के लिए कोई नहीं आया। ट्रक में जो ड्राइवर बैठा हुआ था, उसकी डेथ हो गई, उसके लिए कोई नहीं आया, जिस खलासी की डेथ हो गई, उसके लिए कोई नहीं आया।

मेरा यह मानना है कि एनजीटी के रूल्स का वॉयलेशन हो रहा है, माइनिंग एक्ट के रूल्स का वॉयलेशन हो रहा है, गिट्टी और बालू का अवध पैमाने पर केवल खनन ही नहीं हो रहा है, ये बांग्लादेश तक जा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगा हुआ है। सारे माफिया बांग्लादेश और आईएसआई कंट्रोल्ड हैं। ये सारे पैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट में बाहर चले गए हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सारे रूल्स भारत सरकार के हैं। माइनिंग एक्ट भारत सरकार का है और एनजीटी एक्ट भारत सरकार का है। वहां का आम आदमी

परेशान है। मुख्य मंत्री खुद इसमें इनवॉल्वड हैं। मुख्य मंत्री के सचिव के यहां जब रेड होती है, तो उनके ब्लैंक चेकबुक्स नजर आते हैं।

अत: इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, इसकी एनआईए की इंक्वायरी हो क्योंकि यह बांग्लादेश जा रहा है। हमको इससे मुक्त कीजिए और देश के दस हजार करोड़ रुपए, जो बाहर चले गए हैं, उनको वापस लाकर गरीबों में बांट दीजिए।

धन्यवाद।

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार) : चेयरमैन सर, थैंक-यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर, मेरा असम के मेरे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है । कोच राजबंशी, आदिवासी, आहोम, मोरान, चुटिया और मोटक को एसटी का दर्जा देने के लिए असम सरकार द्वारा मंत्रियों के गुट के जरिए मॉडलिटी तैयार करके केंद्र सरकार को सिफारिश करना था। लेकिन अभी तक इन छ: समुदायों का जनजातिकरण नहीं हुआ है।

इन छ: समुदायों के लोग वर्षों से यह मुद्दा उठाते रहे हैं, आंदोलन पर आंदोलन करते रहे हैं और प्रधान मंत्री सहित बीजेपी के लोगों द्वारा वादे पर वादे किए गए हैं।

मेरा केंद्र सरकार और असम सरकार से आग्रह है कि इन छ: समुदायों को इस शीतकालीन सत्र के दौरान जनजाति का दर्जा दे दिया जाए।

सर, इसके साथ ही वहां की जो कालीता जनजाति है, वे लोग भी बहुत पहले से मुद्दा उठा रहे हैं। उनका भी एसटीकरण किया जाए। इसके साथ ही जो गोरखाली हैं, वे भी मांग कर रहे हैं।

मेरा असम और यूनियन सरकार से यही आग्रह है कि इनको जल्द से जल्द जनजातिकरण के अधीन लाया जाए।

थैंक-यू, सर।

श्री पी. पी. चौधरी (**पाली**) : महोदय**,** आज हमारा देश आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। साथ ही**,** मैं धन्यवाद ज्ञापित

करता हूं माननीय रेल मंत्री जी का, जिन्होंने मेरे क्षेत्र से जुड़ी रेल की प्रत्येक मांग पर उचित कार्यवाही हेतु कदम उठाए हैं।

महोदय, मैं अपनी लोक सभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण रेलों के ठहराव के लिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत करवाना चाहता हूं। भगत की कोठी - पुणे एक्सप्रेस का रानी में ठहराव, बांद्रा टर्मिनस - भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का पाली में ठहराव, साबरमती – अजमेर इंटरसिटी एक्सप्रेस का सोजत रोड और सोमेसर में ठहराव, अरावली एक्सप्रेस का जवाली में ठहराव, स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस का मारवाड़ जंक्शन पर ठहराव, रणथम्बोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का पीपाड़ रोड में ठहराव, रानीखेत एक्सप्रेस का तिंवरी में ठहराव, रणकपुर एक्सप्रेस का नाणा में ठहराव, जैसलमेर – जोधपुर एक्सप्रेस और जम्मू तवी – जैसलमेर एक्सप्रेस का औसियां, तिंवरी व मथानिया में ठहराव।

मान्यवर, ये सभी मांगें पिछले कई सालों से लंबित चल रही हैं। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन मांगों पर आमजन हितार्थ जल्द ठहराव स्वीकृत करने की कृपा करें और मेरे क्षेत्र के पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में बसे प्रवासियों के लिए जोधपुर से पाली, मारवाड़ होते हुए अभी सिर्फ सप्ताह में एक डायरेक्ट ट्रेन है, उसके फेरे बढ़ाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, fulfilling the long-felt aspirations of the people of north coastal Andhra Pradesh and fulfilling the pressing need of the newly bifurcated State of Andhra Pradesh, to have a separate railway zone, the Union Government has announced the formation of a new South Coast Railway Zone with its headquarters at Visakhapatnam in Andhra Pradesh. I thank, on behalf of the State of Andhra Pradesh and the people of Uttara Andhra, the Minister of Railways and also the Union Government for this.

This move shall go a long way in ensuring the development of the State in a balanced manner, in synchrony with the wishes of the State Government under the leadership of our dynamic Chief Minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu. However, we wish to bring to your notice that the proposed merger of Andhra portion of bifurcated Waltair Division with Vijayawada Division may not be in the best interest of the State of Andhra Pradesh and the people of Uttara Andhra. Being a 125-year-old Divisional Headquarters, with many important A1 category stations located there, this move, if implemented, may cause concern among the people of north coastal Andhra Pradesh along with the railway employees. Given its significance in handling many engineering challenges due to difficult terrain in the Eastern Ghats section, along with providing connection between the ports and the iron ore belts located in the hinterlands, such a move would also be against the spirit of Item 8 of Schedule VIII of Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. Therefore, hon. Chairperson, Sir, through you, we urge the Union Government to provide

for the retention of the bifurcated Waltair Division as a separate division alongside the formation of a new South Coast Railway Zone with headquarters at Visakhapatnam.

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र गोवालपारा ईस्ट-वेस्ट और उसके बाद बिलासीपारा ईस्ट-वेस्ट में जंगलों से हाथी उतर आते हैं और वे लोगों के घरों को तोड़ देते हैं। लोगों के घर पूरी तरह से उजड़ जाते हैं और हाथी उनकी खेती भी बर्बाद कर देते हैं।

यह समस्या हर साल होती है और लोगों को न खेती बर्बाद होने का कोई मुआवजा मिलता है और न ही घर बर्बाद होने का मुआवजा मिलता है। यह बहुत गंभीर विषय है। अभी हाथी जंगलों से उतरने शुरू हो गए हैं और पूरी सर्दी पूरे असम में जंगलों से उतर आएंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि तुरंत फारेस्ट्स को बंद किया जाए और लोगों को नुकसान का मुआवजा दिया जाए।

[جناب بدرالدین اجمل (دھبری): جناب چیرمین صاحب، میرے حلقہ گوالپارا ایسٹ۔ویسٹ اور اس کے بعد بِلاسی پارا ایسٹ۔ویسٹ میں جنگلوں سے ہاتھی اُتر جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے گھروں کو توڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کے گھر پوری طرح سے اُجڑ جاتے ہیں اور ہاتھی ان کی کھیتی بھی برباد کر دیتے ہیں۔

یہ مسئلہ ہر سال پیش آتا ہے، اور لوگوں کو نہ کھیتی برباد ہونے کا اور نہ گھر برباد ہونے کا کوئی معاوضہ ملتا ہے۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ ابھی ہاتھی جنگلوں سے اُترنے شروع ہو گئے ہیں اور پوری سردی پورے آسام میں جنگلوں سے اُتر جائیں گے۔

جناب، میں آپ کے ذریعہ سے سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوراً فوریسٹس کو بند کیا جائے اور لوگوں کو نقصان کا معاوضہ دیا جائے۔]

माननीय सभापति: जिन माननीय सदस्यों के नाम लिस्ट में नहीं आ पाए थे, उन्हें अब बोलने का मौका मिलेगा। कृपया सभी एक मिनट के समय में अपनी बात कहें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जो माननीय सदस्य पहले कई बार बोल चुके हैं, वे कृपया शांत बैठें।

… (व्यवधान)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, working long hours has many ill effects on health and wellbeing. It is not just that, but it also decreases the overall productivity of a person, and also affects the cognitive ability. The Labour Code enacted by the Government of India has provision for four working days a week but the bankers of the nation work six days a week on alternate week ends. The Bank Employees' Association has been demanding to have five working days. They are ready to compensate for the couple of Saturdays by working extra hours on week days. This is a justified demand.

I would request the Government to intervene and look into the matter to make it possible. This will help in bringing positive effects and in bringing down the mental health issues being faced by the bankers in India, which is clearly reflected in the high suicide rate amongst them.

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): माननीय सभापति महोदय, महेसाणा में रेलवे यार्ड के कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन रेलवे यार्ड कार्यरत नहीं है। महेसाणा में पहले यार्ड हुआ करता था। अभी की अगर हम बात करें, तो महेसाणा उत्तर गुजरात का केंद्र बिंदु है। पाटण, बनासकांठा जिले की सारी ट्रेनें महेसाणा से होते हुए जाती हैं और महेसाणा से वडनगर से अम्बाजी से राजस्थान को जोड़ता हुआ नया रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। महेसाणा में यार्ड फिर से शुरू करने से ट्रेनों के

रख-रखाव में काफी फायदा होगा और यार्ड कर्मचारी मौजूद होने से अतिरिक्त आर्थिक भार भी नहीं होगा।

आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान महेसाणा में रेलवे यार्ड फिर से कार्यरत करने हेतु आकृष्ट करना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के नॉन पैरा बैंकिंग के रूप में सहारा इंडिया नाम की संस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सहारा इंडिया के एजेंटों ने जो भी पैसे जमा कराए हैं, उनका भुगतान, समय पूरा हो जाने के बाद भी नहीं किया जा रहा है। लोग अपने पैसों के लिए आज सहारा इंडिया बैंक एवं सहारा एजेंट्स के चक्कर लगा रहे हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी एवं मध्य वर्गीय परिवार के लोग अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई को ऐसी स्कीमों में इसलिए लगाते हैं, ताकि उनकी बेटी की शादी और उनके बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से हो सके।

समय बीत जाने के बाद भी भुगतान न होने के कारण मेरे क्षेत्र व उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरी वित्त मंत्रालय से यह मांग है कि जनहित में इसका संज्ञान लेकर अतिशीघ्र उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे पीड़ित लोगों का भुगतान अतिशीघ्र हो सके। धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र सहित पटना जिला के किसान, जो अन्नदाता हैं, उनकी समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, पटना जिले में पिछले वर्ष की तुलना में धान की उपज अधिक हुई है, परंतु दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार ने धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य पिछले वर्ष के मुकाबले 23 परसेंट घटाने का काम किया है। पिछले साल लक्ष्य 2 लाख 81 हजार मीट्रिक टन था, जिसे 23 प्रतिशत घटाकर लक्ष्य 2 लाख 15 हजार 949 मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिसमें सबसे कम पटना जिले में किया गया है।

हालांकि उपज अधिक है, पर लक्ष्य कम करने का काम किया गया है, जो किसानों की समझ से परे है। अत: वहां के किसानों में बहुत आक्रोश है। लक्ष्य घटाने का मुख्य आधार यह होता है कि या तो सूखा पड़ा हो, या धान की रोपाई का आच्छादन पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ हो, परन्तु इन दोनों कारणों में से कोई भी कारण पटना जिले पर लागू नहीं होता है। अगर सूखा पड़ा होता, तो सरकार पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित करने का काम करती, लेकिन पटना जिले की एक भी पंचायत सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित नहीं की गयी है।

महोदय, इस वर्ष सरकार ने सभी जिलों के समानुपातिक लक्ष्य घोषित किए हैं। यानी जहां नहरीकृत सिंचाई व्यवस्था है और जहां गैर-नहरीकृत सिंचाई की व्यवस्था है, दोनेां में बिहार सरकार ने एक ही तरह के उत्पादन का मानक माना है, जो युक्तिसंगत नहीं है। हमारे यहां पूरी सिंचाई होती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाइए। यादव जी, आप बोलिए। इनका कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। ...*

… (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: सर, उत्पादन का मानक कम है, जो युक्तिसंगत नहीं है। सोन नहर प्रणाली से सिंचित शाहाबाद के सभी जिलों को 'धान का कटोरा' कहा जाता है। उन सभी जिलों का लक्ष्य पिछले साल से कम कर दिया गया है। केवल पटना में ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों पर भी किसानों के प्रति सरकार अन्याय कर रही है।

महोदय, किसानों में घोर आक्रोश है। कुछ विरोध औरंगाबाद जिले में हुआ।… (व्यवधान) वहाँ लक्ष्य पूर्ति हो गई।… (व्यवधान) परन्तु पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, सासाराम आदि जिलों के लक्ष्य में सुधार नहीं किया गया है।

* Not recorded

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि धान अधिप्राप्ति लक्ष्य में सुधार हो और किसानों द्वारा उत्पादित धान की पूरी खरीदी हो सके। मेरे संसदीय क्षेत्र में किसान उग्र हैं, वे आन्दोलन कर रहे हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है।… (व्यवधान)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, I rise to draw the attention of the hon. Civil Aviation Minister regarding the inconvenience faced by the passengers during their air travel. While cancelling the tickets, the airlines are taking more than 75 per cent of the funds. Hardly any amount is being returned to the passengers who are cancelling the tickets.

The second point is that abnormal and unreasonable taxes, varieties of taxes are being levied. They are inventing new names through the taxes. For example, airlines are charging 'aviation security fee', user development fee' etc. Recently, there is a tax introduced by Indigo airline called 'CUTE tax'. This is for common use of terminal equipment by the passengers. Airport Authority is levying its own tax.

Sir, the pathetic thing is that some of the airlines like Indigo is auctioning the seats. In the web check-in, if you do not pay, you will not get a boarding pass at all and you have to get it at the airport. It is a very difficult thing when you rush to the airport to catch a flight. So, all these things should be taken care of. We have a dynamic Civil Aviation Minister. He should apply his mind and look into it, so that the passengers do not face any inconvenience.

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदोई में कोविड के बाद ट्रेन संख्या 15895/15896 मुरकंगसेलेक-रंगिया एक्सप्रेस, 15613/15614 लाचित एक्सप्रेस, 15815/15816 इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन्स के कई स्टॉपेज गोरेस्वर, खोराबारी, टांगला, रोवत, मजबत आदि में अभी तक बंद हैं। मैं आपके माध्यम से रेल विभाग से माँग करूँगा कि इन स्टेशंस को जल्द खोला जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

मेरी दूसरी डिमांड है कि रंगिया में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का एक स्टॉपेज तत्काल हो। तीसरा, 40 लाख लोग, वेस्टर्न ओडिशा के लोग वहाँ पर हमारे क्षेत्र में रहते हैं। वेस्टर्न ओडिशा के लिए कोई डायरेक्ट रेल की कनेक्टिविटी नहीं है। इसीलिए डिब्रूगढ़ से जगदलपुर वाया रंगापाड़ा, रंगिया, संबलपुर, टिटलागढ़ होकर एक नई रेल उस क्षेत्र के लिए दी जाए। मैं रेल मंत्री जी से यही डिमांड करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI NUSSRAT JAHAN (BASIRHAT): Sir, I would like to draw the kind attention of the Government to the need of around 10 to 13 villages in Basirhat and Hasanabad P.S. Most people of the village of Uttar Debipur and the adjoining villages earn their livelihood through cultivation. They are workers; they are doctors. Their only mode of transportation is railways between Champapukur and Barasat or Champapukur and Kolkata. A new railway station, named `Uttar Debipur Halt Station' has been proposed by the hon. Railway Minister during his 2012-13 Railway Budget Speech. An Enquiry Committee was formed for selecting an appropriate location for constructing the said platform, that is between Champapukur station and Bhabla halt station. Uttar Debipur halt station will be helpful to the passengers, not only for

the nearby villages, but also for four municipal wards of Basirhat Municipality. The Eastern Railway Division has examined the place of Uttar Debipur halt station over Hasanabad-Sealdah Section. A detailed report has already been sent to the Railway Board on 7th April, 2014. This is 2022 which is ending in the next few days, but we have not heard anything from the Railway Ministry in this regard. So, I would request the Government, through you, to kindly sanction Uttar Debipur halt station as soon as possible, as thousands of people commute through this route.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): महोदय, वर्तमान में सोमनाथ से हरिद्वार तक सीधी ट्रेन नहीं होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को हरिद्वार जैसे पवित्र तीर्थस्थान के दर्शन के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। सोमनाथ से हरिद्वार तक सीधी ट्रेन हो जाने से केवल अमरेली ही नहीं, बल्कि जूनागढ़, भावनगर, राजकोट, गिर-सोमनाथ के लोगों को भी अति सुविधा होगी। इसलिए सोमनाथ से हरिद्वार तक एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की अत्यंत आवश्यकता है । यह ट्रेन सोमनाथ, जूनागढ़, जैतलसर, अमरेली, ढसा वाया अहमदाबाद होते हुए हरिद्वार तक पहुंचे । महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र से हरिद्वार आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है, परन्तु सीधी ट्रेन की सुविधा का अभाव होने के कारण यात्रियों को घूम-फिरकर काफी लम्बी यात्रा तय करनी होती है। इससे समय की बर्बादी के साथ यात्रियों को असुविधा भी होती है। इसलिए यदि सोमनाथ से हरिद्वार तक के लिए सीधी सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाती है तो यह ट्रेन कई धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी और महत्वपूर्ण ट्रेन सिद्ध होगी । देश में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यदि वहां से हरिद्वार के लिए ट्रेन चलेगी तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अलावा कम से कम पाँच डिस्ट्रिक्टस के 40-50 लाख लोगों को सुविधा होगी और पाँच संसदीय क्षेत्रों को पार करके यह सोमनाथ से हरिद्वार के लिए ट्रेन चलेगी। मैं आपके माध्यम से रेल विभाग से मांग करता हूं कि सोमनाथ से हरिद्वार तक के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए। धन्यवाद।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairman, Sir.

The decision to annul the Maulana Azad National Fellowship is an anti-minority and anti-education move by the Government that jeopardizes the idea of Right to Education and access to education without hindrance for the economically weaker students from six notified minority communities, namely Muslim, Buddhist, Christian, Jain, Parsi and Sikh. The move is an insult to Maulana Azad, and it also disregards all the freedom fighters and their memories of sacrifice.

The decision would make higher education inaccessible to the under-privileged students from minority communities, and it has a national impact as the Scheme covered all institutions recognized by the University Grants Commission.

The anti-minority sentiment behind the decision is evident, and the Union Minority Affairs Minister, Shrimati Smriti Irani told the Lok Sabha that the Maulana Azad National Fellowship was overlapping with other schemes under which the minority students were also covered. The excuse defies logic as any overlap can be identified by linking the Fellowship with Aadhaar or other universal documents. … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, it is a very serious matter. … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: The decision affects all minority students in higher education as students from six notified minority communities, namely Muslim, Buddhist, Christian, Jain, Parsi and Sikh received financial help from

the Scheme for higher education in MPhil. and Ph.D programmes, which will be affected as their scholarship is to be cancelled. … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, it is a very important issue. … (*Interruptions*) We want a response from the Minister. … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Today morning, I gave an Adjournment Motion on this issue. … (*Interruptions*) Minority student organisations are agitating in various parts of the country … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, we are all supporting the point. … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I would like to request the hon. Minority Affairs Minister, through you, that this Fellowship should be restored. … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): It is sheer discrimination of the minority community of the country. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : रिक्वैस्ट आई होगी और मिनिस्टर चाहेंगे तो वह रिस्पोंड करेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी।

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर) : महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।… (व्यवधान)

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सोलापूर के पंढरपुर शहर को दक्षिण की काशी कहा जाता है। पंढरपुर शहर के पूर्व की ओर स्थित शेगाव-दुमाला राष्ट्रीय महामार्ग 561 रिंग रोड विकसित करने की आवश्यकता है।

12.59 hrs. (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

पंढरपुर शहर से सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, अहमदनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, विजापूर तक यातायात की जाती है। इसके चलते शहर में अधिकतर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। पंढरपुर शहर में चैत्र, आषाढ़, कार्तिक, माघ मास में प्रमुख यात्रा होती है, जिसमें लाखों दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं।

13.00hrs.

इसके लिए ट्रैफिक को उपरोक्त रूट से डायवर्ट करना पड़ता है। पंढरपुर शहर के पूर्व में तीन मार्ग शेगांव, दुमला से मंगलवेढ़ा पंढरपुर रोड, राष्ट्रीय महामार्ग 56 को रिंग रोड बनाने की जरूरत है।

मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय महामार्ग 561 को रिंग रोड में विकसित करने के लिए उचित कार्रवाई हो। इसके साथ ही साथ, चन्द्रभागा को 'नमामि गंगे' के रूप में विकसित करने का निवेदन करता हूं।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश का 'ऑक्सफोर्ड' कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ ले जाना चाहती हूं, जहां पिछले लगभग 100 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर एक ऐसे कुल सचिव की नियुक्ति कर दी गई है, जो तानाशाह है और जिसने स्टूडेंट्स से मिलना तक जरूरी नहीं समझा। वहां बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वे उनसे मिल कर अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन कुलसचिव जी के पास इतना समय नहीं है कि वे उनसे मिल सकें।

सर, मैं चाहती हूं कि आपसे एक निर्देश प्राप्त हो, जिससे वहां की स्टूडेंट्स की फीस की वृद्धि में कमी की जाए और उसी अनुपात में एस.सी./एस.टी., ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की जाए और ज़ीरो बैलेंस पर एडमिशन किया जाए।

सर, इसी तरह के आंदोलन उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में, जैसे बी.एच.यू., पूर्वांचल और आज़मगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में भी जारी हैं। केन्द्र और राज्य, दोनों में

आपकी सरकार चल रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें हस्तक्षेप करें और गरीब, शोषित, वंचित छात्रों की मांगों को पूरा करें। महोदय, मैं एक और समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।... (व्यवधान) आज़मगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में अभी बी.एड. की काउंसलिंग कराई गई, जिसमें लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल में कम नम्बर्स दिए गए। अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में वहां के छात्रों को काफी कम अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे छात्रों ने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में एडमिशन नहीं लिए हैं। इसके कारण हजारों सीट्स खाली रह गई हैं।... (व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर (**कौशाम्बी**): सभापति महोदय, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, भारत सरकार का जो खनिज एक्ट है, उसके अन्तर्गत जिला खनिज निधि (डी.एम.एफ.) का प्रावधान है, जिसके माध्यम से जहां पर भी खनन होता है, वहां पर क्षेत्रीय विकास के लिए 10 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी उस पैसे को खर्च करती है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से दो निवेदन हैं। एक निवेदन यह है कि जो जिला खनिज कमेटी है, उसका अध्यक्ष जिलाधिकारी के बजाय सांसद को बनाया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वे पैसे खर्च हो पाएं। माननीय सभापति महोदय, दूसरा विषय यह है कि जो 10 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है, उस पैसे की वसूली नहीं हो रही है क्योंकि उसमें प्रावधान यह है कि जिस रेट से खनिज का एलॉटमेंट होगा, उस पर टैक्स लगेगा। उस विवाद को लोग कोर्ट में ले गए, जिसके कारण जिला खनिज निधि का पैसा वसूला नहीं जा रहा है और हजारों-करोड़ों रुपये खनिज वालों पर बाकी हैं। महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पैसे की वसूली के लिए भी नियम बनाए जाएं और इसका अध्यक्ष भी सांसदों को बनाया जाए।

श्री सुनील कुमार सोनी (**रायपुर**): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जैन तीर्थंकरों और अनन्त संतों की मोक्ष स्थली श्री समवेद शिक्षर जी पारसनाथ पर्वतराज, गिरिडीह, झारखंड की पहचान बनाए रखने के लिए उसे पर्यटन के लिए घोषित इको

सेंसिटिव ज़ोन का मास्टर प्लान, जिसे राज्य सरकार ने घोषित किया है, उससे बाहर किया जाए। सरकार से मेरा निवेदन है कि उस स्थल पर मदिरा एवं मांस विक्रय करने को प्रतिबंधित किया जाए। जैन समाज के हजारों लोगों ने इसके लिए अन्न त्याग दिया है और वे इस मांग के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से पुन: आग्रह है कि इसके ऊपर तत्काल हस्तक्षेप करने का कष्ट करें।... (व्यवधान)

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में अति लोक महत्व का विषय उठाते हुए कहना चाहती हूं कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी आज भी बिहार में मात्र 210 रुपये है और साल में मात्र 100 दिन काम की समय सीमा है। इस समय देश में बढ़ती हुई मंहगाई के कारण ग्रामीण बेरोजगार मजदूरों का शहर की ओर पलायन होने से खेती के लिए मजदूरों का मिलना मुश्किल हो गया है।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार में मांग करती हूं कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 400 सौ रुपये की जाये और साल में 200 दिन काम की समय सीमा तय की जाये। इससे ग्रामीण मजदूरों का शहर की ओर पलायन रुकेगा और खेती के लिए किसानों को मजदूरों की समस्या भी नहीं होगी।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): सभापति महोदय, राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.) एक सरकारी उपक्रम है। इसमें भ्रष्टाचार खूब बढ़ रहा है। व्यवसायियों का एक गिरोह हेरफेर करते हुए लगभग सभी बड़े अनुबंध अनुगृहीत करके आर.एस.एम.एम. को करोड़ों रुपए का घाटा दे रहा है। निविदाओं की शर्तों को भी प्रभावित कर स्वयं के अनुकूल बनवाया जा रहा है और इन सभी अवैध गतिविधियों में स्थानीय और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर झामरकोटड़ा में ओ.एंड एम., पूर्व में आर.एस.एम.एम. द्वारा ही संचालन व रख-रखाव का कार्य संपादित किया जाता था। इसे अब नियोजित तरीके से ऐसी कम्पनी को दे दिया गया, जिसे सम्बधित कार्य का कोई अनुभव नहीं है।

झामरकोटड़ा माइनिंग कान्ट्रैक्ट वर्तमान में मौजूद ठेकेदार का अनुबंध समय से पूर्व खत्म करते हुए निविदा चहेती कम्पनी को दिया जाना निश्चित है। इसकी समय सीमा भी 20 वर्ष तक कर दी है। सेकेन्ड्री ओ.आर.ई. कान्ट्रैक्ट भी बी.आर.पी. प्लांट स्थापित करने हेतु किसी निजी कंपनी को दे दिया गया है। इसके लिए भूमि आबंटन वर्तमान में प्रतीक्षित है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच करायी जाए।

*__श्री मोहम्मद सदीक (फरीदकोट):__ Thank you Sir. Sir, wise people say, money is not the be all, end all of life. But, without money, nothing can be done in the world. The Central Government is not treating the farmers of Punjab in a good way. The Government had promised to double the income of farmers. However, it was never done. Now, the input cost of farming has doubled since then. Fertilizers, tractor parts, pesticides, diesel – everything has become costly. GST tax has made life miserable. Government is only looking after itself.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री मोहम्मद सदीक: Sir, Sanyukt Kisan Morcha on 21st November, 2021 had raised certain demands with the Government in a letter. In response, the Agriculture Secretary Shri Agrawal ji had vide letter No. 8AFW/2021 had promised to the farmers that their demands will be met. However, nothing has been done for the farmers and poor.

---

* English translation of the speech originaliy delivered in Punjabi.

Sir, Hon. Prime Minister has given a lovely slogan called 'Sabka Saath, Sabka Vikaas'. Please add a relevant line to it: 'Rights of the poor will be crushed'.

Thank you.

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति महोदय**,** मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर संसद के माध्यम से इस देश को बताना चाहता हूं और संसद सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अपने**-**अपने क्षेत्र में इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए।

वहां लाखों एकड़ जमीन पर जल जमाव के कारण एक भी फसल नहीं हो पाती है। मेरे संसदीय क्षेत्र बलिया में कटहर नाला, भागड़ नाला और सुरहा ताल एशिया की सबसे बड़ा झील है। वहां हजारों एकड़ जमीन पर जल जमाव के कारण खेती नहीं हो पाती है। मेरे क्षेत्र में गाजीपुर और बलिया दोनों आते हैं। मैं वहां के जिलाधिकारी सौम्य अग्रवाल और अखौरी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को उनसे सबक लेनी चाहिए कि किस तरह से शासन के सहयोग से प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं और किसानों की समृद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं। आज जल संरक्षण देश की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रधानमंत्री जी जल, जंगल, जमीन और जानवर के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों को जल संरक्षण के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में कार्य करना चाहिए।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Mr. Chairman, Sir, global warming is creating a lot of problems especially in the Arabian Sea. It affects very badly the fishermen community and the people who make a living depending on the sea. Due to the changed global climate, the situation in the coastal areas has become very vulnerable, especially in Kerala where we have a long coastal area on the western coast. Due to climate change, many fishermen are in deep trouble as they do not have enough work. They need special support from the

Government. India has a very long coastline but sadly terrorists and smugglers penetrate our country through this coast and cause damage to the country. To stop this, we should guard our coastline like we guard our borders. … (*Interruptions*)

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): सभापति महोदय, मर्यादा पुरुषोतम राम जी की नगरी चित्रकूट जहां पर 12 साल भगवान राम जी ने तपस्या की थी। वहां से गुजरने वाली एनएच-35 झांसी, बांदा, अतर्रा, चित्रकूट, प्रयागराज से वाराणसी तक जाती है। उस मार्ग में अतर्रा और चित्रकूट दो ऐसी नगरपालिकाएं हैं, जहां यह मार्ग अंदर से गुजर कर जाता है और वहां जाम की स्थिति बनी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदियत्यनाथ जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को उसी मार्ग में जोड़ दिया है, जिससे वहां और ज्यादा जाम हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि अतर्रा और चित्रकुट नगरपालिकाओं में बायपास बनाकर जाम से निजात दिलाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Chairperson, Sir, the Law Minister of the country recently gave a statement saying that Supreme Court should not hear frivolous PILs and bail applications. He further went on to say that Supreme Court judges take too many vacations, and then questioned the process of appointments to the higher judiciary. It raises a very fundamental question, Mr. Chairperson. Does this Government believe in liberty? Does this Government believe in Article 21? Is this Government trying to orchestrate a confrontation with the judiciary? … (*Interruptions*)

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): माननीय सभापति, आपने मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र के जनहित मुद्दे उठाने का सौभाग्य दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान में खाटू श्याम तीर्थ है। मेरे लोक सभा क्षेत्र सिरसा से रोजाना हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री वहां जाते हैं। वहां

पर सीधी कोई रेल सेवा नहीं है। इस साल के शुरुआत में खाटू धाम मेले को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 09711/12 नरवाना-जयपुर वाय रिंगस मेला स्पेशल और सिरसा-जयपुर वाया रिंगस का संचालन किया था और वह बेहद ही सफल रहा। लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय सभापति जी, पिछले एक माह से मेरे संसदीय क्षेत्र के बांदीकुई में लगातार धरना चल रहा है। दिल्ली-बडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेस हाई वे के चैनल 169.800 पर बांदीकुई जयपुर से कनैक्टिविटी दी जा रही है। इस कनैक्टिविटी में बांदीकुई के सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं और किसानों की जमीन दो तरफ हो रही है। हमें राजमार्ग-25 को जोड़ने के लिए, एंट्री और एग्जिट प्रदान किया जाए। हमारे संसदीय क्षेत्र के अधिकांश लोग धरने पर बैठे हैं।

KUMARI CHANDRANI MURMU (KEONJHAR): Thank you, Sir. Elephants move a long distance in search of food and require a substantial area. But habitat loss, expansion of human habitation and fragmentation of traditional elephant corridors have forced the elephants to split into a number of metapopulations or herds and move to new areas in search of food and shelter. As a result of this, the interface of elephant and man has increased manifold.

Elephant corridor acts as a passage for the animals to move from place to place without any hindrance. However, there is a concern with regard to safety of the animals in the mining areas. It is often seen that in mining areas large mass of land caves endangers the lives of these precious animals. Under such a scenario, there is a need to ensure safety of elephant corridors both in mining areas and other areas where corridors exist.

Therefore, I urge upon the Minister of Environment, Forest and Climate change to make a study on the safety of elephant corridors and also take necessary steps to safeguard these corridors.

Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Duggal *ji*, please make your final point and then conclude.

सुश्री सुनीता दुग्गल: मैं बताना चाहती हूं कि जो मेला स्पेशल ट्रेन्स शुरू की गई थी, वह ट्रेन अब बंद हो गई हैं। जाखल से जयपुर वाया रिंगस नई ट्रेन दी जाए और कोटा से हिसार एक्सप्रेस को सिरसा तक बढ़ाया जाए। रेल बोर्ड ने इन ट्रेन्स की पहले भी मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इसका विस्तार नहीं हुआ है। 09705-06 जयपुर सादुलपुर पैसेंजर ट्रेन का विस्तार अलाहाबाद के रास्ते हनुमानगढ़ तक किया जाए।

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Thank you, Chairman, Sir. This matter is arising out of a strike by the lawyers of the western part of Odisha demanding a permanent Bench of Odisha High Court in the western part of Odisha. Since last Monday, 43 lawyers have already been arrested. The Bar Council of India has suspended the licence of all the members of Bar, including me. There is an unpleasant and tense situation, and the court proceedings have collapsed.

I would request the Law Minister to kindly take up the matter with the Chief Minister of Odisha and the Bar Council of India … (*Interruptions*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान चाइनीज़ मांझे के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

यह मांझा जानलेवा होने के साथ ज़हरीले नॉन-बायोग्रेडेबल संठगकों से निर्मित होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत हानिकारक है । कुछ प्रदेशों, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत चाइनीज़ मांझा की बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया हुआ है। इस प्रतिबंध के बावजूद मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर प्रभावकारी रोक नहीं लग पाई है। दुर्घटना होने पर मांझा प्रयोग करने वाले व्यक्ति को पहचानना व पकड़ना मुश्किल होता है तथा मांझा बेचने वाले के विरुद्ध कार्रवाई का कोई सख्त प्रावधान नहीं होने के कारण मांझे के विक्रेता कानूनी दायरे से बाहर चले जाते हैं। चाइनीज मांझे के कारण निरंतर दुर्घटनाएं हो रही हैं।

इस मांझे की चपेट में आने वाले टू-व्हीलर पर चलने वाले व्यक्तियों की गर्दन कट जाती है तथा यह मांझा विद्युत का संचालक होने के कारण हाई टेंशन तारों को छूता हुआ राह चलते व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पर्यावरण एवं जीवन के लिए खतरनाक चाइनीज़ मांझा अथवा इसी प्रकार के हानिकारक मांझे के भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध लगाया जाए। इस प्रतिबंध का अनुपालन न करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

श्री रवि किशन (गोरखपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं आपके समक्ष बहुत ही अहम मुद्दा रखना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना आरंभ की, जिसके तहत व्यक्ति को इलाज हेतु भारत सरकार द्वारा पांच लाख रुपये की सहायता मिलती है। इस योजना के अंतर्गत सभी सैक्टर्स के लोग इसका लाभ सफलतापूर्वक ले रहे हैं। इस योजना में 14.75 करोड़ परिवार सहित 72 करोड़ लोग शामिल हैं। केंद्र सरकार की सोच और मंशा के अनुरूप सभी पात्रों को लाभ मिलना बहुत आवश्यक है, इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसका प्रचार और प्रसार गांवों तक होना चाहिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my submission is in respect of increasing the ceiling limit of the salary and wages of the employees for availing ESIC benefits. The ESIC has decided and recommended to the Government to enhance the ceiling limit of the monthly salary of the employees, who are working in establishments, from Rs.21,000 to Rs.40,000. Unfortunately, the decision of the ESIC is pending with the Union Government. The wages and salaries of the employees were increased due to inflation and price hike. Hence, I would request the Government of India, especially the Ministry of Labour and employment, to initiate immediate action to enhance the ceiling limit of the monthly salary from Rs.21,000 to Rs.40,000 so that the employees could avail ESIC benefits.

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Gajendra Umrao Singh Patel	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Bhagirath Choudhary	Shri P. P. Chaudhary Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ravindra Kushawaha	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Chhedi Paswan	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Janardan Mishra	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ve. Vaithilingam	Shri Parvesh Sahib Singh Verma
Shri Jagdambika Pal	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri P. P. Chaudhary Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Aparajita Sarangi	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary
Shri Maddila Gurumoorthy	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri V. K. Sreekandan	Shri N.K. Premachandran

Shri Hanuman Beniwal	Dr. Manoj Rajoria Shri Girish Chandra Shri Sumedhanand Saraswati
Dr. Nishikant Dubey	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary Dr. Manoj Rajoria
Shri P. P. Chaudhary	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. Beesetti Venkata Satyavathi	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Pratima Mondal	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Sharda Anil Patel	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Naranbhai Kachhadiya	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Kodikunnil Suresh	Shri N.K. Premachandran
Shri Arjunlal Meena	Dr. Manoj Rajoria Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Virendra Singh	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Sushri Sunita Duggal	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ravi Kishan	Dr. Manoj Rajoria Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Sangeeta Azad	Shri Girish Chandra
Shri Ramshiromani Verma	Shri Subhash Chandra Baheria
Shri Rajendra Agrawal	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Dr. Manoj Rajoria

Shri Vinod Kumar Sonkar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Sunil Kumar Soni	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Veena Devi	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri R.K. Singh Patel	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Jaskaur Meena	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

HON. CHAIRPERSON : The House stands adjourned to meet again at 2.20 p.m.

13.21 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Twenty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.27 hrs.

The Lok Sabha reassembled at Twenty Seven Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

14.27½ hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

माननीय सभापति: नियम **377** के अधीन मामले, श्री देवजी पटेल ।

(i) Need to provide Mahi river water through Sujalam Suflam canal to Jalor and Sirohi districts in Rajasthan

श्री देवजी पटेल (जालौर): धन्यवाद सभापति महोदय ।

महोदय, जालौर सिरोही को कडाणा बांध पर निर्मित सुजलाम सुफलाम नहर से माही जल उपलब्ध कराने हेतु खोसला कमेटी रिपोर्ट 01.09.1965 के अनुसार गुजरात-राजस्थान बॉर्डर पर कडाणा बांध बनाना प्रस्तावित किया गया। 01.10.1966 को राजस्थान एवं गुजरात राज्य के बीच माही जल बंटवारा समझौता के तहत कडाणा बांध का निर्माण हुआ, जिसमें पैरा संख्या-01 में वर्णित है कि जब खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित होगा, तब कडाणा बांध के पानी का 2/3 भाग राजस्थान का तथा 1/3 भाग गुजरात का होगा। यह पानी हाई लेवल नहर से जालोर सिरोही को दिया जाएगा। समझौता अनुसार शर्तों की पूर्ति 2005 में हो गई थी, जबसे खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित होने लगा था। इसके बाद कडाणा बांध का पानी 337 किलोमीटर सुजलाम सुफलाम नहर बनाकर उत्तरी गुजरात में उपयोग किया जा रहा है, जो समझोते के विरूद्ध है। कडाणा बांध 37 साल में 27 बार ओवरफ्लो होने के कारण पानी व्यर्थ में बह गया। 15.07.2019 को कडाणा से करीब 5.47 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बड़ोदरा में बाढ़ आई। दीपक दोषी (Water Resources Engineer), Rajasthan River Basin and Water Resource Planning

Authority की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2018 में दिया गया है कि 10.01.1966 के समझौते के अनुसार सुजलाम सुफलाम नहर से जालौर सिरोही को जल उपलब्ध कराया जाए।

(ii) Regarding demands of pensioners under Employees Pension Scheme (EPS) – 1995

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Sir, several demands of pensioners under Employees Pension Scheme (EPS) 1995 for revision of their pension, D.A. and other retirement benefits, etc. have been pending with the Government of India for a long time for settlement. However, till date, their demands have not been fulfilled by the Government of India in spite of several Memoranda/Representations submitted by the Pensioners' Associations/Unions to the concerned Central Government Authorities from time to time. An All-India Convention of EPS Pensioners was also held on 7th December, 2022 at Ramlila Ground, New Delhi under the auspices of EPS Pensioners United Action Committee. After detailed deliberations on the long pending demands of the pensioners under the EPS-1995, the EPS (1995) Pensioners United Action Committee submitted a detailed memoranda on their demands to the hon. Minister of Labour and Employment and Central Provident Fund Commissioner for early settlement. I would, therefore, request the hon. Minister of Labour and Employment, Government of India to kindly consider the long pending demands of pensioners under EPS 1995 for revision of their pension, D.A. and other retirement benefits, etc. favourably at the earliest.

माननीय सभापति: श्री सुकांत मजूमदार।

... (व्यवधान)

श्री सुदर्शन भगत जी।

(iii) Regarding alleged unethical medical practices by private hospitals under Ayushman Bharat Scheme

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा) : महोदय, भारत सरकार की जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से देश का बड़ा वर्ग लाभान्वित हो रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी जी के योग्य नेतृत्व में प्रारंभ की गई यह योजना आज करोड़ों लोगों की सहायता कर रही है। मैं सरकार का ध्यान आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध ऐसे अस्पतालों की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ, जो फर्जी और अनधिकृत पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पर आयुष्मान लाभार्थी रोगियों का इलाज करते हैं। आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से अशक्त परिवारों के लिए चिकित्सा के संबंध में एक मजबूत सहारा बन गई है, किंतु कुछ निजी अस्पतालों द्वारा अपने निजी स्वार्थों के इसके दुरुपयोग की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई अथवा वित्तीय दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान किया जाए, जिससे कि फर्जी और अनधिकृत पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पर आयुष्मान लाभार्थी रोगियों का इलाज करते पाए जाने की घटनाओं पर रोक लग सके और इस योजना का लाभ सभी जरूरतमंद लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।

मैं सरकार से पुन: आग्रह करूंगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के क्या-क्या प्रावधान हैं, यह बताने का कष्ट करें एवं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की कृपा करें।

(iv) Regarding construction of a Railway under bridge at level crossing No.82B in Pratapgarh Parliamentary Constituency

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के जनपद मुख्यालय पर स्थित रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ जंक्शन के सन्निकट चौक घंटाघर से जेल रोड जाने वाले रेलवे समपार संख्या 82 बी पर ट्रैफिक चार लाख से ऊपर होने के बावजूद निरंतर हो रही मांग और आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक आर यू बी के निर्माण की प्रक्रिया लंबित है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन घंटो-घंटो जाम झेलना पड़ता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि रेलवे समपार संख्या 82 बी जेल रोड से चौक घंटाघर पर तत्काल रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कराने का निर्देश देने की कृपा करें।

(v) Regarding 'One Nation, One Voter ID'

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मतदान को न केवल एक नागरिक कर्तव्य बल्कि एक नागरिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। हमें मूल मतपत्र की सुगमता सुनिश्चित करने और भूले हुए प्रवासी मतदाता को सशक्त बनाने के लिए 'वन नेशन वन वोटर आईडी' की देश में शुरुआत करनी चाहिए। जिस प्रकार से देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को सक्षम करने के लिए 'वन नेशन वन राशन कार्ड' की शुरुआत की गयी थी जो बिलकुल सफल हुई है और आज कोई भी राशन कार्ड धारक देश में किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकता है।

'वन नेशन, वन वोटर लिस्ट' से चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा देश की चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की पहल की गई है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि हमें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए

'वन नेशन, वन वोटर लिस्ट' और 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की चर्चा करते रहना चाहिए जिससे मतदान प्रक्रिया में सुधार होगा।

इसलिए मै भारत में 'वन नेशन वन वोटर आईडी' की व्यवस्था की मांग करता हूँ। इसके लागू होने से सरकार के राजस्व का बहुत बड़ा अंश देशहित के अन्य कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपने जो लिख कर दिया है, उससे काफी अलग बोला है।

श्री विनोद कुमार सोनकर: सभापति महोदय, विषय वही है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, विषय वही है, लेकिन रिकॉर्ड में वही जाता है।

(vi) Regarding approval for construction of new houses under the PM Awas Yojana in rural areas of Chhattisgarh

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): सभापति महोदय**,** हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इच्छा अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक का अपना पक्का मकान हो इस हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की । इस हेतु मै माननीय प्रधानमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उनकी इच्छा के अनुरूप आज करोड़ों देशवासी अपने स्वयं के मकान में निवासरत हैं । मैं माननीय विभागीय मंत्री जी का छत्तीसगढ़ राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । छत्तीसगढ़ राज्य में नये प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति विगत 3 वर्षों से नहीं दी जा रही है । इससे ग्रामीण अंचल में नवीन आवास का निर्माण नहीं हो पा रहा है । इसके अतिरिक्त पूर्व में स्वीकृत आवास की द्वितीय, तृतीय किस्त की राशि समय पर जारी नहीं करने के कारण से हजारों लोगों के मकान अधूरे पड़े तथा वे बेघर हो गए हैं । अतः मेरा माननीय विभागीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों की समीक्षा बैठक करें जिससे कि पात्र लोगों को उनको पक्के मकान की सुविधा प्राप्त हो सके तथा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा, कि सभी का अपना पक्का मकान हो, पूरी हो सके ।

(vii) Need to revise the eligibility criteria for various posts in central PSUs in accordance with the notification of national skills qualification framework

श्री विजय बघेल (दुर्ग): सभापति महोदय, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एन एस क्यू एफ) अधिसूचना भारत के गजेटियर भाग I, खण्ड 2 संख्या 19, नई दिल्ली, दिन शुक्रवार, दिनांक 27 दिसंबर 2013 की मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्र. 16-17 के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने की तीसरी वर्षगांठ के पश्चात भारत सरकार और केंद्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के भर्ती नियम एन एस क्यू एफ के स्तरों के अनुसार सभी पदों हेतु पात्रता मानदंड स्पष्ट करने के लिए संशोधित किये जाने का प्रस्ताव था, जो अभी तक लंबित है, जिस वजह से कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त युवाओं को भर्ती हेतु निकाले जाने वाले पदों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः मैं समस्त मंत्रालय के माननीय मंत्रियों से अनुरोध करता हूँ कि दर्शित नियम का अनुपालन कड़ाई से करने हेतु समस्त मंत्रालयों को तत्काल निर्देशित किया जाये ताकि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य तीव्र गति से हो सके।

माननीय सभापति : श्री छतर सिंह दरबार - उपस्थित नहीं।

श्री रामदास तड़स - उपस्थित नहीं।

श्री अजय निषाद - उपस्थित नहीं।

श्री भोला सिंह।

(viii)Regarding setting up of CGHS dispensaries in Bulandshahr, Uttar Pradesh.

SHRI BHOLA SINGH (BULANDSHAHR): Bulandshahr District is a part of Delhi NCR, and it is growing rapidly. It is well connected *via* road through the Delhi-Agra Expressway and Meerut Expressway. Here, more than 50,000 serving Central Government Employees and pensioners' families are living, and they are covered under the Central Government Health Scheme (CGHS) but for the treatment, they are bound to go to Delhi, Ghaziabad, Meerut, Aligarh, Greater Noida, etc. In view of this, I request the hon. Minister of Health and Family Welfare for the inclusion of Bulandshahr in the list of CGHS cities and set up CGHS dispensaries in the city so that thousands of families will be benefited.

(ix) Need to build city gas distribution network for supply of CNG and PNG in Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency, Haryana.

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): माननीय सभापति महोदय, प्रदूषण एक बहुत ही भयंकर समस्या है । खासकर दिल्ली एनसीआर में इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा सीएनजी/पीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जगह-जगह सीएनजी/पीएनजी की लाइनें भी बिछाई जा रही हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र भिवानी-महेंद्रगढ़ दिल्ली एनसीआर से मात्र 130 से 140 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी तक वहाँ सीएनजी/पीएनजी की लाइनें नहीं बिछाई गई हैं। अत: मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हरियाणा के जिला रेवाड़ी-महेंद्रगढ़-चरखी दादरी-भिवानी-हिसार-सोनीपत-पानीपत-करनाल आदि में भी पीएनजी/सीएनजी लाइनें बिछाई जाएं ताकि उद्योगों व वाहनों को गैस सप्लाई आसानी से हो सके और प्रदूषण पर कुछ हद तक अंकुश लग सके।

(x) Need to make available adequate quantity of DAP and Urea to farmers in Chitrakoot and Banda districts of Uttar Pradesh.

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट एवं बांदा में खाद की समस्या बनी हुई है। जिले के किसान अत्यधिक परेशान हो रहे हैं। साधन सहकारी समितियों में खाद का अत्यधिक अभाव बना हुआ है। किसानों को अधिक रेट पर मजबूरी में प्राइवेट दुकानों से अधिक मूल्य पर डीएपी एवं यूरिया लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं डीएपी उपलब्ध न होने से समस्या बनी हुई है। किसान कई-कई दिनों तक लाइनों में लगकर खाद लेने का इंतजार करते रहते हैं।

अत: आपसे अनुरोध है, उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट एवं बांदा में पर्याप्त मात्रा में डीएपी एवं यूरिया उपलब्ध कराकर किसानों की समस्या का समाधान करने का कष्ट करें।

माननीय सभापति : श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया - उपस्थित नहीं।

श्री जनार्दन मिश्र।

(xi)Regarding appointment of farmer and their dependent family members in the Railway Department displaced under Rewa-Sidhi-Singrauli Railway Project.

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): माननीय सभापति, पश्चिम-मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के अंतर्गत रीवा-सीधी-सिंगरौली तथा सतना-पन्ना नई रेल लाइन परियोजना के भूमि अधिग्रहित किसानों के आश्रितों को नौकरी देने के प्रावधान के अनुसार मेरे निर्वाचन क्षेत्र रीवा के कुछ किसानों के आश्रितों को नौकरी दी गई, परन्तु अभी भी काफी संख्या में नौकरी की पात्रता रखने वाले वंचित हैं। जबलपुर मंडल द्वारा ऐसे पात्र व्यक्तियों की सूची भी तैयार की गई तथा उनके दस्तावेजों का सत्यापन, पेपर स्क्रीनिंग, मेडिकल तथा नियुक्ति का संभावित शेड्यूल भी जारी किया गया, परन्तु उस शेड्यूल के अनुसार रीवा-सीधी-सिंगरौली के लिए बनाई गई सूची क्रमांक 1077 से 1605 तक के नामों पर दस्तावेजों का सत्यापन व स्क्रीनिंग की संभावित समय सीमा… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य महोदय, आपने केवल दो लाइनें ही लिखकर दी है, आपको पूरा लिखकर देना चाहिए था।

चलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री जनार्दन मिश्र: संभावित समय सीमा अगस्त, 2020 से अक्तूबर, 2020, मेडिकल जाँच की समय सीमा नवम्बर, 2020 से जनवरी, 2021 तथा नियुक्ति की कार्यवाही की समय सीमा मार्च, 2021 से मई, 2021 तक तथा सूची क्रमांक 1808 से 1926 तक दस्तावेजों का सत्यापन एवं पेपर स्क्रीनिंग संभावित समय सीमा फरवरी, 2021 से अप्रैल, 2021 मेडिकल जाँच की संभावित समय सीमा मई, 2021 से जून, 2021 तथा नियुक्ति की कार्यवाही की समय सीमा अगस्त, 2021 से सितम्बर, 2021 तक निर्धारित की गई थी। परन्तु आज तक उक्त सूची के आधार पर चयनित व्यक्तियों के नौकरी हेतु कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अत: आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से आग्रह है कि सूची के अनुसार चयनित आश्रितों को अविलम्ब नौकरी दी जाए। धन्यवाद।

(xii) Need to increase the production of active pharmaceuticals ingredients in the country

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर) : माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। विशेषज्ञों की मानें तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के पास दवा कारोबार सबसे बेहतर विकल्प है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में भारत वैश्विक स्तर पर फार्मास्युटिकल क्षेत्र में दवाइयों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साथ ही, भारत इस क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक भी बन गया है। परंतु अभी भी भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों की दवाइयों के उत्पादन में आवश्यक रसायनों और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रिडिएंट्स (एपीआई) के लिए चीन पर निर्भरता चिंता का विषय है। एपीआई किसी भी औषधि के प्रमुख घटक होते हैं। एपीआई की आपूर्ति के स्त्रोतों का विकेंद्रीकरण करने से भविष्य में विषम परिस्थितियों में भी एपीआई की निर्बाद आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकेगा। एपीआई के उत्पादन के लिए स्थानीय क्षमता के विकास से दवाइयों की लागत में कमी आएगी और भविष्य में इस क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाया जा सकेगा। दवा उत्पादन से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

भारत सरकार एपीआई के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनने एवं देश में एपीआई उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

(xiii) Regarding conduct of 3-tier panchayat elections in Darjeeling and Kalimpong dstricts.

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Sir, the hilly regions of Darjeeling and Kalimpong have run without Panchayat since 2006. Our region was kept deprived of the Constitutionally guaranteed grassroots level governance system for 16 years. This has resulted in massive developmental depravation in the region. Various Central Government schemes initiated by the hon. Prime Minister have not reached the people properly. Our people are deprived of basic roads, drinking water, schools, healthcare and all Government schemes. Apart from not conducting Panchayat elections, the Government of West Bengal was appropriating the Panchayat funds meant for hilly regions of Darjeeling and Kalimpong districts. The Central Government finally stopped funding meant for Panchayats in the hills under the 14^{th} Finance Commission. Following which, the West Bengal Government announced for conducting Panchayat elections in the region. The West Bengal Government says that they will only conduct 2-tier Panchayat elections. This is being done to further deprive our region and people, as 2-tier Panchayat system is unconstitutional. It is because of such deliberate acts of discrimination and deprivation by the West Bengal Government like this that there have been *andolans* for separate State of Gorkhaland. Therefore, respecting the sentiments of people, I request the Ministry of Rural Development to order conducting of 3-tier Panchayat Elections in the Darjeeling and Kalimpong Districts.

(xiv)Regarding construction of two expressways along the banks of Brahmaputra river from Sadiya to Dhubri.

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, during the Budget Session 2016, the Government of Assam in 2016 announced that it would build two expressways along both the banks of the Brahmaputra from Sadiya to Dhubri. The expressways would connect the eastern and western points of the State.

Once constructed, both the expressways will open up huge development opportunities not only for the people of Assam but also for other States of the region. There will be ease of doing business as these would connect many lesser-known places along the route. Expressways would facilitate easy movement of people and goods reducing cost and time incurred due to transportation. It would also act as embankment for Brahmaputra, thus, minimising flooding as well as erosion of land, a major flood related problem in the State. However, apart from the announcement of the conceived project, nothing substantial has been done in this regard. The project announced by the State Government seems to be currently at a slow pace and needs to move at a much faster rate. Therefore, I would urge upon the Government of India through the Minister of Road Transport and Highways to impress upon the State Government so that the expressways are completed and people are benefited.

HON. CHAIRPERSON : Shri K. Muraleedharan – Not present.

Now, Shri Pradyut Bordoloi.

(xv) Need to take urgent measures for mitigating global warming.

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Sir, black carbon is a major short-term contributor to global warming, with warming effects second only to carbon dioxide, heat-trapping power is a million times more than carbon dioxide and has capacity to travel long distances on air currents. Recent studies have shown that increasing black carbon emissions in North East India has led to a decrease in low-intensity rainfall in the pre-monsoon season and a rise in severe rains. Independent research has also indicated a relationship between high levels of black carbon pollution in Guwahati with accelerated glacier melt. In the Brahmaputra River basin region, black carbon signatures, formed from incomplete burning of fossil fuels, biomass and biofuels, have been observed from vehicular emissions, brickkilns, tea gardens and agricultural and household biomass burning. Given the dual effect of black carbon on climate change and air pollution, there is a need for urgent and consolidated measures to mitigate and offset these emissions. This must include improved and regular monitoring of emissions as well as steps to ensure effective implementation of clean cooking and transport fuel schemes such as enhancing fuel efficiency standards for vehicles, phasing out diesel vehicles and accelerating the use of LPG for cooking.

HON. CHAIRPERSON: Dr. D. Ravikumar – Not present

Shri S. Jagathrakshakan – Not present.

(xvi) Regarding demands of fishermen in Anakapalli district affected due to new Naval Base.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, the INS VARSHA is a new Naval base developed by Indian Navy at Rambilli and S. Rayavaram Mandals in Anakapalli District. Initially, it was proposed to construct two fishing jetties, one for Kothapatnam, Vada Narsapuram and other for Bangarammapalem. The survey was conducted by CICEF (Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries), Bangalore and given feasibility to construct fishing harbour at Pudimadaka of Atchutapuram only. Therefore, the construction of fishing jetty to Vada Narsapuram, Kothapatnam and Bangarammapalem is not possible in-between Seethapalem of Rambilli and Dondawaka of Nakkapalli Mandal. Further, the Navy may not allow to create marine-based infrastructure in the area. The Fishermen of Vada Narsapuram and Kothapatnam conduct fishing with base of Sharada river bank. The river bank area was acquired by Naval Alternative Operation Base (NAOB) and compound wall with two sub-gates at Kothapatnam and Vada Narsapuram was constructed. The NAOB imposed restrictions in view of the safety reasons for entry of fishermen into NAOB area to conduct fishing. Further, the Navy will close all sub-gates in future. The fishermen staged agitation/protest in front of

NAOB main gate from 17.10.2022 demanding package for their livelihood since they are not permitted to conduct fishing from Sharada river bank.

MAJOR DEMANDS OF FISHERMEN

The fishermen demand that if the fishing jetty construction is not possible, livelihood package of Rs.11,500 per month to each family should be provided until rehabilitation of fishermen villages of Vada Narsapuram, Kothapatnam and Bangarammapalem (about 4,000 families) is done. Besides, Health and education and other infrastructure facilities should be provided to the PAF and PDF Villages. Separate residential school to fishermen should be sanctioned and employment must be given to the skilled and eligible persons and also separate skill development for villagers in order to provide suitable employment to them.

HON. CHAIRPERSON : Dr. G. Ranjith Reddy – not present.

(xvii) Regarding introduction of regular flight services from Patahi airport in Muzaffarpur district, Bihar.

श्रीमती वीणा देवी (**वैशाली**): महोदय, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र मुजफ्फरपुर जिला, बिहार जिसे भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया है, यहां पताही हवाई अड्डा में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। यहां से नियमित हवाई यात्रा शुरू करने से उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, छपरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, आदि अनेकों जिले हवाई मार्ग से जुड़ जायेंगे और सरकार को भी भारी राजस्व की प्राप्ति होगी एवं विकास के मार्ग खुलेंगे।

अत: इस संबंध में केंद्र सरकार से निवेदन है कि पताही हवाई अड्डा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से नियमित हवाई यात्रा सेवा शुरू करने की दिशा में शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(xviii)Regarding construction of roads in Jammu and Kashmir.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): चेयरमैन सर, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने नियम-377 के तहत रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी की मसाइल के बारे में बोलने की इजाजत दी। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने इंग्लिश में दिया है, उसी को पढ़ दीजिए। That would be better.

SHRI HASNAIN MASOODI: Sir, the road connectivity has been a major problem in Jammu and Kashmir. Recent blockage of NH No. 44 due to repeated landslide was a major setback to the fruit industry. The road to Tangla, Gurez, Mughal road and other high altitude roads remain closed. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You read the text. Only text will go on record.

SHRI HASNAIN MASOODI: To enhance road connectivity, it is important to construct (1) Dessa-Kapran, (2) Sadhna Pass Tunnel, (3) Rajdhani Tunnel, (4) Zazran tunnel, and construct Lehndajan-Batnoor, Syedabad-Wahab Saheb and other roads so as to ensure all weather connectivity in Jammu & Kashmir.

(xix) Regarding acute shortage of water for drinking and irrigation purpose in Kokrajhar Parliamentary Constituency.

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कोकराझार (असम) के भूटान से लगते बॉर्डर एरिया में पीने और खेतों के लिए पानी की बहुत किल्लत होती है । वहां बहुत सी नदियों का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है।

मेरी सरकार से मांग है कि उत्तरकुचि, सूपनकाटा (बकसा जिला) कंक्रीट खटम्ब बांध बना के मोरापागलदिया नदी के ऊपर से एकवाडेम जैसा टेक्निक से नाले बनाके पानी लाने की व्यवस्था करने से शाऊलकाटा, हस्तिनापुर, निकासी ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक आदि क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को पानी की किल्लत खत्म हो जायेगी।

15.00hrs.

माननीय सभापति: अब आइटम नंबर 15 - संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पर बहस कंटिन्यू होगी।

श्री राम कृपाल यादव जी।

15.01 hrs.

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (THIRD AMENDMENT) BILL, 2022*....Contd.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): महोदय, सबसे पहले तो मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 का समर्थन करता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं, जिनके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उनके लिए हमारी सरकार ने अनेकों काम किए हैं। चाहे समाज का दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि सभी लोगों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। कल माननीय मंत्री जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तब जनजातियों के लिए जो कार्यक्रम भारत सरकार के माध्यम से चलाये जा रहे हैं कि किस तरह से उनका जीवन सहज हो सके, वे अपलिफ्ट कर सकें, उन्होंने विस्तार से कई ऐसी योजनाओं का जिक्र किया था। पिछले 8 वर्षों के हमारी सरकार के कार्यकाल में ऐसे बहुत से काम हुए हैं और उनका बहुत सार्थक असर हुआ है। हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग और हर तबके की चिंता करने का काम किया है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो विकास से अछूता है और जिसे गरीबी, बदहाली, अशिक्षा आदि से निकालने का काम न किया हो। खास तौर पर उस जमाने से ये आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो वंचित

* Further discussion on the motion for consideration of the Bill moved by Shri Arjun Munda on 9.12.2022.

समाज रहा है, जिनके ऊपर आजादी के बाद से ही जितना ध्यान देना चाहिए था, पूर्ववर्ती सरकार ने इनके ऊपर ध्यान नहीं देने का काम किया। ये लोग उस बदहाली से आज भी गुजर रहे थे। वर्ष 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनती है, तो उन्होंने जो सार्थक प्रयास किए हैं, उसके परिणाम आज दिख रहे हैं। उनके बच्चे पढ़-लिख रहे हैं, रोजी, रोजगार पा रहे हैं, उनके रहन-सहन आदि सभी चीजों में तब्दीली हुई है।

महोदय, एक्चुअली यह बिल तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, मगर मैं सरकार और माननीय मंत्री जी से बिहार की लोहरा जाति के संदर्भ में आग्रह करना चाहूँगा। इस जाति के लोग बहुत परेशानी की हालत से गुजर रहे हैं। बिहार में लोहरा जाति की बहुत बड़ी व्यापक संख्या है। वर्ष 1950 से ही जनजातीय सूची में क्रमांक नंबर 20 पर यह अधिसूचित है। वर्ष 1976 में भी क्रमांक नंबर 22 पर हिन्दी और अंग्रेजी में भी इसे अधिसूचित किया गया है। 30 वर्षों के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय हिन्दी में दर्ज लोहार को बदलकर लोहरा कर दिया गया, जो संवैधानिक रूप से गलत था। इस तरह से लगभग 30 लाख लोहार को संवैधानिक हक से असंवैधानिक तरीके से वंचित करने का काम किया गया। यह केवल शब्द का खेल है, लोहरा और लोहार। हमारे यहाँ लोहार जाति कोई नहीं है, अनुसूचित जाति है, लोहरा है और यह वही लोहरा है, जिसे लोहार बोलते हैं। बिहार सरकार वर्ष 1916 से लोहार जाति को जनजाति की सारी सुविधा देने का काम कर रही थी। जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक अधिनियम 48/2006 की वजह से मूल जनजाति समुदाय लोहार को जनजाति के लाभ से वंचित होना पड़ा, सरकार की इस पॉलिसी के अनुसार। बिहार सरकार ने लोहार जाति को वर्ष 2006 तक जनजाति की सुविधा देते रहने का काम किया था, परन्तु वर्ष 2015 में इस असंवैधानिक, गैर कानूनी और निरर्थक अधिनियम संख्या 48/2006 को एक्ट नंबर 23/2015 से रिपील करने का काम किया गया।

लेकिन आज तक जनजातीय कार्य मंत्रालय में हिन्दी में लोहरा दर्ज है, उसको अभी तक जीवित रखने का काम किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के इस रवैये की वजह से किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। बिहार में जो लोहर जाति के लोग हैं, उनको किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा है। लोहरा और लोहर में जो विभेद करने का काम किया है, यह उसकी वजह से है। क्योंकि बिहार में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोहरा नाम की कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। हमारे यहां झारखंड के बंटवारे के बाद जनजातियों की संख्या बहुत कम हो गई है। वह लगभग 2 परसेंट है।

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 242 के अंतर्गत जनजातीय सूची तैयार की जाती है। बिहार में लोहार जाति अधिनियम संख्या 108/1976 के जनजातीय सूची में हिन्दी में दर्ज है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार आज तक कायम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि बिहार के लोहार समुदाय को अधिनियम संख्या 108/1976 के आधार पर बिहार सरकार को लोहार जाति को जनजाति की सारी सुविधाएं देने के लिए आदेशित किया जाए। मैं पुन: चाहूंगा कि जो पहले से आदेश था, उस आदेश को आप पुन: अपने स्तर पर निर्देशित करें। बिहार के लाखों लोग, जो लोहार हैं, जो जनजाति समुदाय से हैं, वे लाभ से वंचित हो रहे हैं। आप उनकी तरफ मुखातिब होइये और यह आदेश दीजिए, ताकि बिहार के लाखों लोहार समुदाय के बच्चों का भविष्य खराब न हो, क्योंकि वे परेशानी से गुजर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का, सदन का, सब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बिहार में जो गलती हुई है, लोहार जाति को हिन्दी और अंग्रेजी में उलझा कर राज्य सरकार ने केन्द्र को गलत जानकारी दी है, जिसकी वजह से वह लाभ से वंचित हो रहे हैं।

मैं अंत में निवेदन करूंगा, हमारे मंत्री जी बहुत सेंसेटिव हैं और पहले बिहार के ही बेटे थे। अब झारखंड और बिहार दो राज्य हो गए हैं। ये बिहार में माननीय विधायक भी थे। बिहार की पीड़ा से ये अवगत हैं। बिहार के बेटे होने के नाते और देश के बेटे होने के नाते, न सिर्फ बिहार में लोहार जाति है, बल्कि हिन्दुस्तान के हर इलाके में लोहार जाति है, जिनको लोहरा के नाम से

जाना जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि उनके साथ न्याय कीजिए और उनको रिजर्वेशन का जो लाभ पहले मिल रहा था, जिससे वह विगत वर्षों से वंचित हो रहे हैं, आप यहां से राज्य सरकार को निर्देश दीजिए ताकि उनको वह सुविधा फिर से मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त कर हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री अब्दुल खालेक जी। आप चार-पाँच मिनट में अपनी बात कहिए।

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): माननीय सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश के ट्रांस गिरि इलाके के हाटी ट्राइब को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए, जो बिल सदन में लाया गया है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इस बिल पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको और अपनी पार्टी को बहुत-बहतु धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, देश में सिर्फ हाटी ट्राइब ही नहीं है, बल्कि काफी ट्राइब्स हैं। जिन-जिन ट्राइब्स में जनजाति के सारे करेक्टरस्टिक्स हैं, वे जनजाति की मांग कर रहे हैं लेकिन ट्राइबल या जनजाति का दर्जा उसको नहीं मिल रहा है। वह काफी सालों से मांग कर रहे हैं।

सभापति महोदय, सरकार को एक साथ इन सारे मुद्दों को लेना चाहिए। अगर हम लोग आज सदन के बिजनैस को देखें तो हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग बिल लगा है और कर्नाटक के लिए एक और बिल लिस्ट में है। पहले के सेशनों में भी कभी त्रिपुरा के लिए, कभी जम्मू कश्मीर के लिए दूसरी-दूसरी ट्राइब्स को ट्राइबल का दर्जा देने के लिए बिल लाए गए।

सभापति महोदय, हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी मांग है, उन सभी मांगों को कम्पोजिट करना चाहिए और एक साथ सारी मांगों पर विचार करना चाहिए। जैसे असम की मांग है, अभी तो ठीक है कि मैं हिमाचल प्रदेश के इस बिल का समर्थन करता हूं।

हिमाचल प्रदेश की जनता ने सत्ता पक्ष को रिजेक्ट किया, हमारे समर्थन में मैनडेट दिया। … (व्यवधान) महोदय, मैं बिल के ऊपर ही बोल रहा हूं।… (व्यवधान) वर्ष 2016 में असम में

भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। सोनोवाल जी अभी यहां पर हैं, तब वे वहां के मुख्य मंत्री बने। उन्होंने वादा किया था । असम की छ: कम्युनिटीज़ हैं । कोच राजवंशी है, चाय बागान की कम्युनिटी है। यहां हमारे मंत्री जी मुंडा जी बैठे हैं। असम में भी हमारे एक मंत्री एतोवा मुंडा थे। मुंडा जी को ट्राइबल स्टेटस है, लेकिन एतोवा मुंडा जी को ट्राइबल स्टेटस नहीं है। झारखंड या बिहार में कुरमी को ट्राइबल स्टेटस है, लेकिन असम में नहीं है । हमारे यहां चाय बागान की कम्युनिटी भी है। कोच राजवंशी को वर्ष 1996 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने ऑर्डिनैंस के थ्रू ट्राइबल स्टेटस दिया था। कोच राजवंशी को बंगाल में दूसरा स्टेटस है। वह मेघालय में एस.टी. है, लेकिन असम में नहीं है । अनडिवाइडेड ग्वालपारा के जो कोच राजवंशी हैं, वे सारे बैकवर्ड हैं। असम के ही सारे बैकवर्ड हैं, लेकिन अनडिवाइडेड ग्वालपारा के कोच राजवंशी सबसे बैकवर्ड हैं। उन लोगों की भी मांग है। हमारे अहोम कम्युनिटी, मोरान, मटक की जो मांगें हैं और देश के दूसरे हिस्सों के लोगों की जो मांगें हैं, उन सारी मांगों पर एक साथ विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे असम में कालिता कम्युनिटी की सबसे पुरानी कम्युनिटी अल्पाइन कालिता है। उन लोगों की भी एक मांग थी। उसके ऊपर भी विचार-विमर्श करना चाहिए। हमारे यहां गोरिया मुसलमान, देसी मुसलमान, जिनका ऑरिजिन भी ट्राइबल और दूसरी कम्युनिटीज की थी, इन लोगों की मांगों पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, यह बोला जाएगा कि यह दूसरा विषय है, पर ये दूसरे विषय आ ही जाते हैं। सरायघाट की लड़ाई के हमारे वीर लचित बोरफुकन की 400वीं जयन्ती सरकार ने मनायी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सरायघाट की लड़ाई हिन्दू-मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। लचित बोरफुकन ने असम के लिए जंग की थी। उस जंग में मुगल हिन्दुस्तान के शासक रहे। मुगलों के सेनापति राजपूत राम सिंह थे । सरायघाट की लड़ाई में लचित बोरफुकन के लेफ्टिनेंट बाघ हजारिका थे। हम लोग जिसे गोरिया कम्युनिटी कहते हैं, वे बाघ हजारिका के वंशज हैं। आजकल तो सत्ता पक्ष के कुछ लोग यह कहते हैं कि बाघ हजारिका का एग्ज़िस्टेंस ही नहीं है। डॉ. सूर्य कुमार भूइयां असम के मशहूर इतिहासकार थे। वे यह लिख कर गए।... (व्यवधान) सोनोवाल जी

ऐसा नहीं कहते हैं। सोनोवाल जी के ऊपर हमारा भरोसा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। सोनोवाल जी तो आपके पास हैं, लेकिन वे बिल्कुल सेक्युलर हैं। सभापति महोदय, गोरिया मुसलमान का मैटर भी है। मणिपुर की पंगाल कम्युनिटी भी जनजाति स्टेटस देने की मांग कर रही है। इस मांग पर भी विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, उन्हें सिर्फ ट्राइबल स्टेटस दे देने से कुछ नहीं होगा। अभी सरकार एकलव्य मॉडल स्कूल्स चला रही है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। एकलव्य मॉडल स्कूल्स की मोडैलिटीज़ के बारे में कहा गया कि जिस ब्लॉक में 50 फीसदी ट्राइबल्स हैं, उसी ब्लॉक में सिर्फ यह मॉडल स्कूल खोला जाएगा। इस पॉलिसी को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। अगर हम लोग आदिवासियों को, जनजातियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे विचार से जिस-जिस ब्लॉक में 25 फीसदी ट्राइबल्स हैं, उन ब्लॉक्स को भी ट्राइबल स्टेटस देना चाहिए।

महोदय, बी.टी.आर. के हमारे सरनीया जी कहां हैं? बी.टी.आर. के बारे में हमारे सोनोवाल जी को पता है। वहां एक छोटी-सी कम्युनिटी मदाही ट्राइब है। उनकी भी कुछ मांग है। उसके ऊपर भी सरकार को कुछ विचार-विमर्श करना चाहिए।

सभापति महोदय, आप बेल बजा रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बस यह कहना चाहता हूं कि केवल ट्राइबल स्टेटस दे देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ट्राइबल लोगों के जीवन को डेवलप करना होगा, उन्हें शिक्षा देनी होगी, उनका विकास करना होगा, उन्हें पीने का पानी देना होगा और उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं, उन सबका समाधान करना होगा।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): चेयरमैन साहब, दी कांस्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2022 पर मुझे बोलने की इजाजत देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। कल भी मैंने कहा था कि मैं इरादा उसका करता हूं कि यह सारा मामला एक कॉस्मैटिक मामला है। उसूली तौर पर किसी जाति को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या उसको इससे आप वे सुविधायें दे रहे हैं, जो उससे आज तक दूर हैं। ट्राइब में जिस कम्युनिटी को आप इंक्लूड करते हैं, लेकिन, उससे उनके बारे में जो भी अप्रोच है, माइंड सेट है, वह बदलता नहीं है। जो होना चाहिए, वह होता नहीं है। वे इनलिस्ट होने के बावजूद भी बिल्कुल ही डिप्राइव्ड रहते हैं, डिसएम्पॉवर्ड रहते हैं, अनअटेम्प्टेड रहते हैं। असली फोकस यह रहना चाहिए था कि हमने जो भी इनलिस्ट किए या करते जा रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कोई बुनियादी काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वरना सारी एक्सरसाइज मीनिंगलेस होगी। मैं जम्मू-कश्मीर की बात करूंगा। हमारे यहां गुज्जर और बकरवाल एक बड़ा तबका है। उनकी तकरीबन दस लाख या उससे भी ज्यादा आबादी होगी। सबसे ज्यादा जो कोविड लॉकडाउन की वजह से अफेक्टेड रहे, इसमें वही बच्चे रहे, जो स्कूल से बाहर हो गए। उनको हम आउट ऑफ स्कूल, ओएस कहते हैं। ओएस में तादाद सबसे ज्यादा गुज्जर और बकरवालों की है, क्योंकि उनके पास स्मार्ट फोन नहीं है और कनेक्टिविटी भी नहीं है। उनका ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। उनके पास वे साधन नहीं हैं, जिनसे वे डिजटिल एजुकेशन के जरिए, उसका लाभ हासिल करते। जनाब, जो डिजिटल डेफिशिएंसी हम कहते हैं या लैक ऑफ डिजटिल एक्सेसिबिलिटी, वह सारी बकरवाल और गुज्जर तबके में हैं। इसी तरह से बाहर बाकी जगहों पर भी होगी, जो मुल्क में बाकी जगह हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टेड वहीं हैं और सबसे ज्यादा काम वहीं किया जा रहा है। आज भी उस तबके की, उस कम्युनिटी की कोई दो महिलायें हैं, उनको भी तालीम का लाभ नहीं मिला है। खवातीन में कुल 18 पर्सेंट के करीब लिट्रेसी रेट है। जनाब, एक्सेज टू हेल्थकेयर तकरीबन न के बराबर है। अंडर प्रिविलेज और बिलो जो इस वक्त पॉपुलेशन का सेगमेंट है, वह सबसे ज्यादा यही है, जिसको आप इनलिस्ट करते हैं।

जनाब, आपने उज्ज्वला योजना बनायी, ताकि हम खवातीन की मदद करें। उनको जो पोल्युशन के असरात होते हैं, जो कि चैलेंज होते हैं, उससे उनको निजात मिले। यहां पर जो जंगलों में रहते हैं, उन तक इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। उनके लिए कोई आउटलेट नहीं है, जहां पर उनको ये जो आपका इतना एंबिशस प्लान है कि हम हर एक घर में गैस सिलेंडर देंगे, वह उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। जो अमली कदम उठाने हैं, वे अमली कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सारे कश्मीर में तो 40 पर्सेंट से कम आबादी को मिलता है, तो वहां तो बिल्कुल ही नहीं है, बिजली भी नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे, जहां पर भी बिजली है, वहां बारबेड वायर पर बिजली दी जा रही है। बिजली की एक्सिसबिलिटी है। महज एक कम्युनिटी को आप इनलिस्ट कर रहे हैं, कि हमने आपको भी शेड्यूल ट्राइब बनाया। असल लाभ जो है, वह लॉ देने का है। न ही एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर में है, न ही इंप्लायमेंट में है, न ही डिजिटल एजुकेशन में है और न ही डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में है। कहीं पर भी उनका कोई परिवर्तन और वेलफेयर नहीं हो रहा है। मेरी यह गुजारिश होगी कि अगर आप कर रहे हैं तो इसके साथ-साथ हमारा एफर्ट सिंकनाइज होना चाहिए, एक हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, ताकि इनका वेलफेयर हो सके।

अब जो बच्चे कोविड के बाद वापस आ रहे हैं। उनमें शेड्यूल ट्राइब्स की तादाद कम है, क्योंकि वे अपनी एजुकेशन को कांटीन्यू नहीं रख सके। एक्सेसिबिलिटी नहीं रही, उनके पास कोई स्मार्ट फोन है ही नहीं। इसमें गर्ल चाइल्ड्स ज्यादा मुतासिर रही, क्योंकि घर में अगर स्मार्ट फोन आता भी है तो वह लड़कों को दिया जाता है, लड़की को नहीं दिया जाता है। मेरी सरकार से यह गुजारिश होगी कि उनके कल्याण के लिए अमलीजामा हो।

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं इन समुदायों को शामिल करने का समर्थन करता हूं। केवल अनुसूचित जाति की सूची में समुदायों को शामिल करने के कारण आदिवासी समुदायों को लाभ नहीं मिल सकता है। हमारे देश में आदिवासी समुदायों के विकास के लिए उचित वित्तीय सहायता बहुत आवश्यक है।

आदिवासी और दलित अधिक वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार उन्हें कोई सहायता देने को तैयार नहीं है। सरकार सोचती है कि एससी और एसटी सूची में उनके नाम शामिल होने से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में उनके लिए नई जगह बनेगी, लेकिन भारत में वास्तविकता क्या है, यह आपको पता ही है। देश में सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र में 13 लाख पद खाली पड़े हैं, उसी तरह सेना में 1 लाख 31 हजार पद खाली पड़े हैं और रेलवे में 2 लाख 26 हजार पद खाली पड़े हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कई पद खाली पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है**?**

पिछले पांच सालों में इस सरकार ने दो लाख से भी कम पद भरे हैं, यानी प्रति वर्ष 40,000 खाली पद ही भरे जा रहे हैं। मैं यहां रेखांकित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले पांच सालों में एक भी सलाही या दलित को दूरसंचार विभाग में नौकरी नहीं मिली है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा निजीकरण के कारण हुआ है। यह सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण देने को तैयार नहीं है। वे इतना निजीकरण कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों और दलितों को रोजगार नहीं मिल रहा है। निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण बहुत जरूरी है। आदिवासियों को निजी क्षेत्र में भी शामिल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में खासकर उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की क्या स्थिति है? 21 केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में पिछले एक साल में एक भी आदिवासी रिसर्च स्कॉलर को प्रवेश नहीं मिला है।

पिछले एक साल में एक भी दलित शोघ छात्र को केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश नहीं मिला है। अधिकांश आदिवासी सरकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र पर निर्भर हैं, लेकिन

सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के धन के आबंटन को कम कर रही है, इसे ठीक करना बहुत जरूरी है।

सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। आदिवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण बहुत अधिक है। इन सब बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर, हमारे सीएम के.सी.आर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारे तेलंगाना राज्य में हमने सर्वसम्मति से तेलंगाना विधान सभा में आरक्षण विधेयक पारित किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के.सी.आर ने अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया है।

हमारे राज्य में एससी/एसटी और सभी गरीबों को उनके उत्थान के लिए हर महीने 2116 रुपये पेंशन दी जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के.सी.आर ने दलित बंधु के रूप में जानी जाने वाली एक योजना शुरू की, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को बिना पुनर्भुगतान के 10 लाख रुपये की ग्रांट दी जाती है। तेलंगाना सरकार ने अधिक से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को यह लाभ देने के लिए काम किया है। इसके अलावा आदिवासी बहनों व लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी योजना के तहत हम लोग 1,00,116 रुपये देते हैं। इस तरीके की स्कीम्स तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही है। आंध्र प्रदेश में अधिनियम 2014 की धारा 94 के तहत तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए केन्द्र सरकार को सभी आवश्यक व्यवस्था बनानी थी। इस संबंध में वारंगल के पास मुलुगु मंडल के जकारम गांव में 512 एकड़ भूमि को इस संस्थान की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। यह भारत सरकार के पास विचाराधीन है, लेकिन यह कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि तेलंगाना राज्य के आदिवासी और दलित समुदायों के समर्थन और उत्थान के लिए इस प्रक्रिया को तेज करें

और ऐसी योजनाएं भी लाएं जिससे न केवल तेलंगाना बल्कि देश में सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की वास्तविक बेहतरी हो।

मैं तेलंगाना की तरफ से बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति विशेष विकास निधि के तहत वर्ष 2017-18 में 14375 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। मैस/डाइट शुल्क के लिए 32 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। हमारी सरकार ने बहनों की शादी के लिए वर्ष 2017-18 में करीब 210 करोड़ रुपये आबंटित किये थे।

माननीय सभापति: आप बिल के ऊपर बोलिए।

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): सर, यह सुनना जरूरी है। अम्बेडकर विदेशी विद्या निधि योजना के तहत छात्रवृत्ति अनुदान को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर विदेश में उच्च अध्ययन के लिए प्रति अनुसूचित जाति के छात्र को 20 लाख रुपये तक देने का कवर किया है।

इंटर कास्ट मैरिज के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से 50 हजार रुपये का इन्सेन्टिव दिया जाता है। 268 समाज कल्याण स्कूल और कॉलेजों के लिए 1151 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। तेलंगाना सरकार द्वारा स्पेशल डेवलपमेंट के लिए 16,453 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। अपलिफ्टिंग के लिए ये सब करना जरूरी है, ये सब बातें बताना बहुत जरूरी थीं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): माननीय सभापति महोदय, सदन में हिमाचल राज्य से संबंधित जनजाति सूची में सम्मिलित करने की दृष्टि में कल से माननीय सदस्यों ने बड़ी मात्रा में इस बिल की चर्चा में भाग लिया । इसमें श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, श्री सुरेश कश्यप, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्री अरविंद सावंत, कुमारी गोड्डेति माधवी, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ. एस. टी. हसन, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, श्री हनुमान बेनिवाल, श्रीमती नवनीत रवि राणा, श्री पी. रविन्द्रनाथ, श्री इंद्रा हांग सुब्बा, श्री नव कुमार सरनीया और श्री राम कृपाल यादव सहित कई सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक का समर्थन भी किया । सभी माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए और इस बिल का समर्थन किया, मैं उनका आभारी हूं।

सभापति जी, आज संविधान संशोधन विधेयक, 2022 हिमाचल राज्य के संबंध में प्रस्तुत किया गया है । हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो वर्षों से सुदूरवर्ती, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रहते आए हैं, के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान सीमित क्षेत्रों के लिए किया है, हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्रों के लिए नहीं है । हिमाचल प्रदेश का ट्रांस-गिरी एक रीजन है, एक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में सीमित लोगों के लिए प्रावधान है क्योंकि वे आदिकाल से अपनी परंपराओं के साथ रह रहे हैं जो जनजातीय चरित्र को परिदर्शित करता है । इस देश में जो मानक हम सबने तय किया है, उस मानक के आधार पर जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए, सदन में पारित कराने के पहले जो विधियां अपनाई जाती हैं, जो मोडेलिटीज़ हैं, सब मोडेलिटीज़ की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए यह बिल सदन में लाया गया है।

महोदय, यह वह क्षेत्र है जो उत्तरांचल से लगा हुआ है और इससे आगे बार्डर है। ट्रांस-गिरी, जौनसारी और सिरमौर, सिरमौर बहुत पहले एक रियासत होती थी और एक ही रियासत में जौनसारी रियासत भी थी और ट्रांसगिरी भी थी । जौनसारी में ऑलरेडी ये सारी कम्युनिटीज़ अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध हैं जो उत्तरांचल में रहने वाली हैं, लेकिन हिमाचल में रहने वाले

उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के परिवार, वैसे ही लोग, इस सूची से वंचित हैं। सभापति जी, कल भी मैंने सदन में इस बात का जिक्र किया था कि इस बात को ध्यान में रखें कि ऐसे लोग जो संविधान की व्यवस्था में आधिकारिक होते हुए इससे वंचित हैं, उन्हें इसमें कैसे लाया जाए। तमिलनाडु में सुदूरवर्ती जंगल में रहने वाली मात्र 27,000 आबादी है, कल हमने सदन में इस बात को रखा और उन्हें सूचीबद्ध कराने के लिए सदन में प्रस्ताव पारित किया। हमने इसी तरह से ट्रांस-गिरी एरिया के चार ब्लॉक्स में रहने वाले लोगों को इसमें सम्मिलित किया। सभापति जी, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव उन्हें न्याय और सुविधा देने वाला प्रस्ताव है, जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं।

माननीय सभापति: यदि सदन की सहमति हो तो मंत्री जी का उत्तर पूर्ण होने तक, बिल पर निर्णय होने तक इस आइटम का समय बढ़ाया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

श्री अर्जुन मुंडा : सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में बोलूंगा। माननीय सदस्यों ने इसके साथ कुछ अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विषय भी जाहिए किए हैं। मैं निश्चित रूप से उनका ध्यान कुछ चीजों के बारे में आकृष्ट कराना चाहूंगा। सप्तगिरी उलाका जी ने ट्राइबल लैंड एलीनेशन के बारे में कहा है। हम सभी राज्यों के साथ इस विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है और जो नियम है, जो प्रावधान है, हम राज्य के कानून के माध्यम से ही उसको संरक्षित कर रहे हैं। संविधान में यह कहा गया है कि लैंड एलीनेशन रुकना चाहिए, लेकिन लैंड एलीनेशन राज्यों के व्यवस्था प्रबंधन के आधार पर एवं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी राज्य इस बात को सुनिश्चित करें कि ट्राइबल लैंड एलीनेशन न हो। हम केन्द्रीय स्तर पर भी हमेशा यह स्मरण और रिव्यू करते रहते हैं और इस पर बातचीत जारी है।

महोदय, इसी तरीके से कल और आज भी धनगड़ और धनगर कम्युनिटी के बारे में कहा गया है। सुप्रिया सुले जी और एस. टी. हसन जी ने यह विषय उठाया था। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह मामला हमारे यहां लंबित नहीं है। सन् 1979 में यह मामला आया था। सन् 1981 में राज्य सरकार ने खुद ही इसको विद्ड्रॉ कर लिया था, इसलिए यह विचाराधीन नहीं है। इसके

अलावा भी जितने भी विषय कम्युनिटी से संबंधित हैं, मेरा मंत्रालय हमेशा संबंधित राज्य को जानकारी भेजता है और उनसे सारी सूचनाएं प्राप्त करता है एवं अग्रतर कार्रवाई करता है। इस ढंग से मेरा मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। महोदय, इस अवसर कुछ माननीय सदस्यों ने, खासकर नवनीत राणा जी ने कुपोषण एवं सिकल-सेल से संबंधित मामले को भी उठाया है। ट्राइबल हेल्थ के बारे में मेरा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर कार्य-योजना पर काम कर रहे हैं कि इस तरह की सिकल-सेल की जो समस्या है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए और उस पर ब्लड टेस्ट की कार्रवाई भी चल रही है। उसमें अच्छी प्रगति हो रही है। हम इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। इसी तरीके से कई माननीय सदस्यों ने एजुकेशनल फैसेलिटी के बारे में कहा है। मैंने कल भी कहा था कि हम लगातार ऐसे स्थानों का गैप एनॉलिसिस करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष तौर से कहा है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। कुल-मिलाकर इस विधेयक से संबंधित जो विषय हैं, मैंने उनको आपके सामने रखा है। कई माननीय सदस्यों ने जो भी विषय उठाए हैं, अगर वे अलग से भी बात करना चाहते हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा। अब मैं आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अर्जुन मुंडा : माननीय सभापति महोदय**,** मैं प्रस्ताव करता हूं**:**

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15.34 hrs.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS

(i) Welfare measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers*

माननीय सभापति : अब आइटम नंबर – 18.

संकल्प पर चर्चा चल रही थी - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय।

श्री गोपाल शेट्टी जी, आप अपना वक्तव्य पूरा करिए।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, श्री रितेश पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत जो प्राइवेट मेंबर बिल है - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं के कामकाज और उनके जीवन में बदलाव आए, यह इस प्रकार का प्रस्ताव है। मैं इस पर अपने विचार रखने से पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस संकल्प बोलने का मौका दिया है। सुरेश जी, पहले नंबर पर बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे उनसे पहले बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय जी, मैं बड़ी ही खुशी और गर्व की अनुभूति महसूस करता हूं। जब मैं पहली बार सन् 1922 में मुंबई शहर में पार्षद बना था।

मैं भी झुग्गी बस्तियों में से काम करते-करते यहां तक पहुंचा हूँ। वे झुग्गी-बस्तियों की बहनें भी मुम्बई महानगर पालिका के साथ जुड़ीं। आपके साथ बहुत सारे लोगों को इस बात पर आश्चर्य होगा कि उन्होंने उन दिनों 100 रुपये के मानदेय से काम प्रारम्भ किया था। वे 100 रुपये बढ़कर 400 रुपये हुए, फिर 800 रुपये हुए और फिर बढ़ते-बढ़ते मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आज उनको बहुत अच्छा मानदेय मिलता है, लेकिन एक सम्मानजनक मानदेय मिलता है। यह मानव जीवन की अपेक्षा होती है कि जितना ज्यादा मानदेय मिले, उतना अच्छा है। उसके लिए वे स्वयं भी मांग

---

* Further discussion on the resolution by Shri Ritesh Pandey on 20th March, 2020.

करते रहे हैं और जनप्रतिनिधि तथा सरकार भी समय-समय पर उसके ऊपर विचार करती रहती है। मैं मानता हूँ कि इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है। मैं यह कहूंगा कि सरकार के माध्यम से अगर किसी स्कीम को लोगों तक पहुंचाना है तो करोड़ों रुपये की एडवरटाइजिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये आंगनवाड़ी सेविकाएं सरकार की सभी योजनाओं को सामान्य परिवार की बहनों तक पहुंचाने का काम करती है।

खासकर, अगर हम सरकार की अनेक योजनाओं के साथ-साथ एक योजना की बात करते हैं तो इस योजना के लिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी सेविकाएं सरकार की सारी योजनाओं को प्रत्येक घर की महिलाओं के दिल और दिमाग तक उतारने का काम करती हैं।

हम सब जनप्रतिनिधि हैं। हम कोरोना काल को नहीं भूल पाएंगे। कोरोना काल में कोई भी काम करने के लिए आगे नहीं आता था। झुग्गी-झोपड़ बस्तियों में बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग अपना जीवन जीते हैं, जहां पर हेल्थ सेन्टर नहीं होता है और लोगों को वहां पर पैसे नहीं होने की वजह से दवाखाने तक जाने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे समय पर इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बहुत बड़ा काम किया था। कोरोना काल में हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों का और हमारे सांस्कृतिक प्रयासों का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। थाली बजाने से लेकर दिया जलाने की बात पर लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं मानता हूँ कि थाली बजाने और दिया जलाने की संस्कृति की वजह से ही हमारे देश में कोरोना लोगों के बहुत नजदीक नहीं पहुंच सका और हमने दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। कोरोना के दूसरे दौर में जब वैक्सीनेशन का काम प्रारम्भ हुआ, उस वैक्सीनेशन के काम में भी हमारी आंगनवाड़ी बहनों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन करना, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करना, उनको वैक्सीनेशन सेन्टर तक पहुंचाना और फिर वैक्सीनेशन के बाद उनको कोई पेरशानी है या नहीं, इन सारी बातों का ख्याल करते हुए, जो पीड़ित लोग हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उनको डायरेक्ट सरकार के साथ में जोड़ने का काम इन आंगनवाड़ी बहनों ने किया था।

मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत सरकार के हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं हैं, उदाहरण के तौर पर देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी 'आयुष्मान भारत योजना' लेकर आए। लोगों को बड़े पैमाने पर इस योजना का लाभ मिलता है, लेकिन वर्ष 2011 की सेंसस में जिनका नाम दर्ज है, उनको ही इसका लाभ मिलता है। वर्ष 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है तो हम सभी माननीय सांसद इस बात की मांग करते हैं कि एक बार फिर से सेंसस हो, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ जाएं। मेरी अपनी मांग है कि सेंसस में जैसे येलो राशन कार्ड हो या जाति के माध्यम से जिस तरह की बातें होती रहती हैं, चूँकि हमें एक बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई जाति है तो वह गरीबी है। इसलिए गरीब लोग जो 300 फीट के घर में रहते हैं, उन सारे लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इस मांग के बारे में मैं हमेशा से कहता आया हूँ। जब तक मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिलता रहेगा और जब तक इसमें बदलाव नहीं आता है, तब तक मैं इसके बारे में बोलता रहूंगा। चूँकि यह मेरा स्वभाव बन गया है कि मैं जिस भी विषय को हाथ में लेता हूँ, उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूँ। किसी भी विषय को बोलकर छोड़ दिया, दूसरे दिन दूसरे विषय पर हाथ डाल दिया तो इस तरह का मेरा काम करने का तरीका नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इन आंगनवाड़ी सेविकाओं को परमानेंट हेल्थकार्ड दिया जाए। उनका नाम 2011 की सेंसस में नहीं है तो उनको इसमें जोड़ देना चाहिए।

'आयुष्मान भारत योजना' को सभी राज्यों की सरकरों ने अमल में लाया है। राज्य सरकार भी इस पर बड़े पैमाने पर खर्चा करती है, केन्द्र सरकार के माध्यम से भी होता है। इसलिए इसमें और अधिक लोगों को जोड़ने में कोई दिक्कत है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसमें ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जगह है।

इन सारी बहनों को इसका लाभ मिले, क्योंकि वे दूसरे की चिन्ता करती हैं, भगवान करें कि कभी उनके जीवन में इस प्रकार की आपत्ति न आए, वे बीमार न पड़ें, लेकिन अगर वे बीमार पड़ती

हैं तो पार्लियामेंट के माध्यम से हमें उनके लिए चिन्ता करनी चाहिए। इसलिए इसका लाभ मिले, उनको प्रायरिटी में इसके साथ जोड़ा जाए, यह भी माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका मैने यहां पर उल्लेख किया है। मैं इसके साथ एक अन्य बात जोड़ना चाहूंगा कि जो भी इस प्रकार से मानदेय के आधार पर काम करते हैं, उनकी एक अपेक्षा होती है हमको एक जॉब मिले और उसमें भी अगर सरकार की नौकरी मिलती है तो उनको एक लाइफटाइम एचीवमेंट मिल गई है, इस प्रकार की मानसिकता एक सामान्य परिवार के लोगों की होती है। मैं चाहूंगा कि चाहे कारपोरेशन में हो, राज्य सरकार में हो या केन्द्र सरकार में हो, जो आंगनवाड़ी सेविकाओं के रूप में काम करती हैं, इनमें से अच्छी बहनों का चयन करके क्यों न हम उन्हें नर्स बनाएं और उन्हें नर्स के काम से जोड़ा जाए। उनको जो एक साल या दो साल की ट्रेनिंग देनी हो, वह भी सरकार के माध्यम से दे सकते हैं। उनका अपना पहले का अनुभव होता है, उसका भी लाभ मिलेगा। साथ ही, आने वाले दिनों में आंगनवाड़ी क्षेत्र में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग सामने आएंगे, क्योंकि इनमें से उनका डायरेक्ट प्रमोशन हो सकता है, उनकी इस प्रकार की एक मानसिकता तैयार होगी और इससे सरकार को भी बड़ा लाभ मिलेगा। हम डायरेक्ट इन लोगों में से चयन कर सकते हैं, उनके अनुभव का लाभ ले सकते हैं और हमारे सामान्य परिवारों के जो बच्चे पढ़कर बाहर निकलते हैं, अगर उनकी प्रायरिटी में हेल्थ सेक्टर में काम करना होगा तो ऐसे लोगों में नर्स बनने की बहुत उत्सुकता होती है।

प्रधानमंत्री जी की स्किल डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में ऐसा किया है और बहुत से अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसको प्रारम्भ किया होगा, जिसमें हमने नर्सेज का कोर्स प्रारम्भ किया है। इसमें बड़े पैमाने पर बच्चियां कोर्स करने आती हैं। मैं चाहूंगा कि कारपोरेशन, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में जहां भी जॉब्स क्रिएट होती हैं, उनमें इनका चयन हो, इस प्रकार का प्रयास हमें करना चाहिए।

देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आठ वर्षों में लाने का काम किया है, चाहे वह 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना हो। जब भी दुनिया के इतिहास में जब कभी भी इसके बारे में इतिहास लिखा जाएगा, तब यह लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति सरकार के किसी भी पैसा का उपयोग न करते हुए, सिर्फ अपने विचारों के माध्यम से, अगर वह लोगों से अपील करते हैं, तो कोई कायदा न बनते हुए भी लोग उसका पालन करते हैं। सभापति जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि हम लोग पार्लियामेंट में और विधान सभाओं में बैठकर कायदा बनाते हैं। उस कायदे को कितने लोग मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते हैं, इस पर कभी डिबेट हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक अपील पर देश भर में बच्चियों का जन्म होना बढ़ गया, बच्चियों को पालने-पोसने से लेकर, उनकी पढ़ाई से लेकर उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए, इसका प्रयास हर मां-बाप करने लगे हैं। एक जमाना था जब हमारी भारतीय संस्कृति में अगर घर में बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी आई है, ऐसा कहा जाता था, लेकिन बीच के दो-तीन दशक हमने इस प्रकार के पाए, जिनमें बेटियों के साथ किस प्रकार से पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद जुल्म होता था, यह हम सब लोगों ने देखा है। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अपील करने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देश में आया है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, देश विकास की ओर जा रहा है। हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी बनने की बात कर रहे हैं। विकसित देशों में अगर आप देखेंगे तो घर में पति-पत्नी, दोनों काम करते हैं। अगर आप अमेरिका की बात करें, वहां से जो लोग आते हैं, वे बताते हैं कि उनके घरों में जो बच्चे होते हैं, वे भी अपनी पढ़ाई और पॉकेट मनी के लिए काम करते हैं। हमारा एक ऐसा देश है कि अगर घर में मैक्सिमम दो लोग काम करते हैं तो आठ लोगों का परिवार चलता है। ऐसा हमारा एक सिस्टम डेवलप हुआ है। आने वाले दिनों में अगर देश को तेजी से आगे जाना हो, अभी हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी बनने की बात करते हैं, बहुत जल्दी ही जम्प करके और भी आगे जाएंगे, ऐसे समय पर पति-पत्नी, दोनों को काम करना पड़ेगा। इन दिनों बड़े पैमाने पर बच्चियां और

महिलाएं काम करने लगी हैं, लेकिन उनको सम्मानजनक ढंग से काम मिले और काम का सही दाम मिले, इस प्रकार की भी एक व्यवस्था देश में निर्माण होती जा रही है। उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं और बहनों को अधिक लाभ किस तरह से मिले। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, फिर एक बार इस बात को मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं।

जो भी बहनें सेविका बनकर या आंगनवाड़ी सेविका बनकर काम में लगी थीं, उनके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, उनकी इस प्रकार की सोच नहीं थी। उनकी सोच यही थी कि हम समाज के लिए अपना कुछ योगदान दें। हमारा जो सिस्टम है, उसमें कॉर्पोरेशन हो या राज्य सरकार को हम मदद करें, इस प्रकार की सोच से वे आई थीं, जबकि यह विषय पूरे देश में इतना बड़ा हो गया तो उनकी छोटी-मोटी कुछ अपेक्षाएं जागी हैं। उन अपेक्षाओं पर हम सब लोगों को मिलकर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे सूचित करना है कि इस संकल्प पर पहले ही पांच घण्टे का समय लिया जा चुका है। इसलिए इस पर विचार करने के लिए आवंटित समय लगभग समाप्त हो चुका है। इस संकल्प पर बोलने के लिए अभी चार माननीय सदस्य इच्छुक हैं। यदि सभा सहमत हो और माननीय मंत्री जी का रिप्लाई भी होगा तो इसका एक घण्टे समय और बढ़ा देते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, क्या आज ही रिप्लाई कराएंगे?

माननीय सभापति : देखेंगे, जैसा सदन चाहेगा।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Member, Shri Ritesh Pandey moved a Resolution on Welfare Measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers. Today, I am going to speak in my mother tongue, Malayalam.

माननीय सभापति : क्या आपने सूचित तो कर दिया था?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Yes, Sir. On every occasion, almost all the regional languages are spoken in this House. But Malayalam is spoken very rarely in this House. That is why, today, I am going to speak in Malayalam.

*Sir,

This resolution is concerning the welfare of Aganwadi workers and helpers. Hon'ble Member from BSP, Shri Hritesh Pandey had introduced this resolution. During the last few hrs. we were discussing it in this august House. The discussions are moving towards it's conclusion. The Hon'ble Minister has arrived in the House to make his reply. This was informed to us from the Chair. I am happy that such a discussion about the welfare of the Aganwadi workers and helpers is taking place in this House. Because there are lakhs of Aganwadi workers in this country and they have many burning issues, which they want to bring to the notice of the Central Government. This discussion, has brought to limelight many such burning issues. All the Members in this House, cutting across the political differences, have supported this resolution.

---

* English traslation of the speech originally delivered in malayalam.

I agree with all the issues raised by former Members. When the Hon. Minister will reply to this resolution, it should not be a formal reply. Because we should remember that lakhs of Aganwadi workers and helpers are looking towards the Government, with great expectation , to see what steps you are going to take.

Therefore, I request that the Minister's reply should not be a mere formality. Because there are burning issues, and long pending demands, the Government must accept these demands and act accordingly.

Chairman Sir, the Aganwadi workers have been demanding for many years that their salaries and wages should be upgraded from time to time. For many years now they have carried out dharnas in front of the State Secretariats and Raj Bhawans raising their demands. Even the Parliament Street and Jantar Mantar has witnessed many such dharnas.

Lakhs of workers and helpers had participated in such dharnas. Some or the other Aganwadi workers Organisation carries out a dharna during every Parliamentary Session. Therefore, I would like to tell this august House that the rights of the aganwadi workers and their demand for income to match the cost of living that exists today, should be taken to consideration. Salaries and other incentives, should be given. This is the concern of this House which the Government must accept. I urge the Central Government and the Social Welfare Ministry to take appropriate steps.

Sir, what are the services that an anganwadi worker performs? At 9 'o' clock morning, the parents hand over their children to the care and protection

of the Aganwadi workers. The parents only come back to the aganwadi to call back their children at four or five in the evening. So from 9 a.m. to four to five evening, all the feeding, sleeping, playing, singing teaching of alphabets all these activities are carried on by the poor aganwadi workers and helpers. So, the life of these children are in the safe hands of these selfless aganwadi workers.

But what is the wage they get? They do not have any approved regular pay scale. Even today, they get, what is called an honorarium. Sir, how can one live in this civilized society, with an honorarium. How can any aganwadi worker, maintain his house hold expenses, solely on an amount of six thousand, eight thousand or ten thousand a month?

So, what is their long pending demand? It is that, Aganwadi workers and helpers should be considered as Government employees. They should get a salary in parity with what a Central Government or State Government employee gets.

Another Demand. Do they have pension. The answer is "No.". Do they have medical facilities? "No". Are they covered under ESI or such Schemes. "No". Do they have the benefit of provident funds when they retire. Again the answer is a big "No".

No EPF, no ESI, no pension. So, these are burning issues which the Government must take into consideration. We know the services they have

performed during times of the Covid. This was pointed out by Mr. Shetty, who spoke before me. So these Anganwadi workers and helpers are like guardian angels for our children. We call our nurses as angels. Similarly, our anganwadi workers and helpers are also guardian angels.

Therefore, they should get a respectable salary to meet the demands of the inflation that exists today. Pension, medical facilities, these are all long pending legitimate demands.

Similarly, there is no proper system that is followed for the recruitment of the anganwadi workers. We need a mechanism, and a system for the selection process.

There is a lot of corruption going on, in the election procedure of the anganwadi workers. Lot of vested interests are at work now. A proper rule procedure, for selection should be followed.

The Centre should not leave the responsibility of maintaining anganwadi to the State Government. The Central Government is now washing its hands off. That should not happen.

Integrated Child Development is an issue, that is the responsibility of the Central Government. It was a concept that we ushered in by our former Prime Minister, Smt. Indira Gandhi. We can make it a success in this country. It is not enough, just to disburse some funds to the State Governments.

There should be a proper round the year, monitoring by the Central Government on the functioning of anganwadies. The Central Government should evolve a system to maintain at least basic amenities of anganvadies.

In Kerala, we are quite happy in comparison to the rest of the country. Kerala has the best anganvadies that are functioning in this country. 60% of anganwadies in Kerala have their own lands and buildings. There are smart anganwadies in Kerala, which get 15 lakhs as development fund. M.P. fund, MLA fund, State Government fund, Gram Panchayat funds are all used to develop the smart anganwadies.

Class rooms, furniture, and utensils for cooking good hygienic food all these are available in many anganwadies. in Kerala. Modern kitchen and surrounding walls are required. Some sixty percentage anganvadese in Kerala have these facilities. May be Kerala, can be a model for the functioning of anganwadies in this country.

Let me conclude, that the Central Government should take a proactive role in the maintenance of anganwadies.

Similarly, honorarium is an outdated concept. They have to be considered as Central Government or State Government employees and get salaries and perks in parity with other Government employees.

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Thank you hon. Chairperson Sir, for kindly permitting me to take part in this very important discussion concerning a major area of our public welfare service. The tragedy of our social fabric and the political attitude is that the major and sensitive fields of our public service are sometimes ignored. They are not taken into consideration. Those who work hard for the country, for the society, toiling day and night, they are being given meagre wages and are completely deprived of other kinds of facilities. They are rejected. This is related to our attitude. We have to change our attitudes when we discuss about the Anganwadi workers. The Anganwadi workers are really those people who nourish the country and also work hard for preserving the posterity of the country.

Sir, I am reminded of a famous couplet:

"हम और तुम खेल रहे थे, वह आंगन की मिट्टी है।"

इसलिए आंगन में खेलने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनके बीच में हमसा-ए-रवा-दारी और इक्वालिटी पैदा करने के लिए यह एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेन्टर है। Such kind of seriousness has not been paid to these Anganwadi workers.

15.59 hrs. (Shrimati Rama Devi *in the Chair*.)

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI : Due to time constraint, I would like to list a few suggestions. As already mentioned by the hon. speakers who spoke before me, the wages given to the Anganwadi workers are very meagre. So, the wages have to be enhanced. Their salaries have to be increased and a better payment has to be ensured to the Anganwadi workers. They need pension. At present, they do not have pension system. They have to be brought under the ESI scheme. The first and foremost thing, as already mentioned by the hon. speakers who spoke before me, is that they have to be recognised as the Government servants. Their very important and sensitive service to the society has to be considered as the Government service.

16.00hrs.

Then, there are other issues related to this. Actually, this is related to many other areas of our public welfare schemes. For example, they not only give training and education to our posterity, to our children, to our students till six years, but also, they look after their nutrition, their health and their pre-education needs. Important matters such as these have to be taken into consideration.

Recent reports have shown gaps in the utilization of services. Such reports have to be taken into consideration. They have to be given improved training. Now there are training programmes as already mentioned by the previous speaker, Mr. Kodikunnil Suresh. We have a better system in Kerala. Even when I was an MLA, I had brought a *Madhurga* Anganwadi, model Anganwadi in my constituency. In Kerala, we have a better service. But even in

Kerala, their condition of life is very, very poor. That has to be enhanced. So, it has to be made as a part of the national agenda.

Now, what the Centre is doing is that it has given the charge completely to the State Governments. But I cannot understand why such a very major area is not given enough consideration that it deserves by the Central Government. I think the hon. Minister will be taking into consideration these points. They need improved training. Many of the Anganwadi Centres are in a very poor condition. Drainage, water and sanitary conditions are very bad. Their condition has to be improved not only to help the children but to give better training to them. Many of them are lady teachers who have to look after their families also. So, very important issues like this have to be taken into consideration.

Finally, I am again reinstating and emphasising this point that they are the workers who are training our posterity. As the poet has said, हम और तुम खेल ही रहे थे, यह उस आंगन की मिट्टी है। जिस आंगन में कई मज़हब के बच्चे, मुख़्तलिफ़ तबकों और मज़हबों के हमारे बच्चे जो सीखते हैं, उनके बीच नेशनल इंटिग्रेशन, सेक्युलर वैल्युज पैदा करने के लिए यह एक ट्रेनिंग सेंटर है।

'देख लो छूकर अपने बदन को, मेरे बदन की मिट्टी है।'

इस मिट्टी में, इस आंगन में एकता पैदा करने के लिए, इंटिग्रेशन पैदा करने के लिए यह एक कल्चरल सेंटर भी है और एजुकेशनल सेंटर भी है।

So, I would like to request the hon. Minister to take into consideration these points while giving her reply. When the reply comes from the hon. Minister, we expect a better future for the lakhs and lakhs of Anganwadi teachers working throughout the country.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Madam Chairperson for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Resolution moved by Shri Ritesh Pandey regarding the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. Unfortunately, the Mover of the Resolution is not present. I think that the Mover of the Resolution should be present so as to hear the views of the Members of the House so that a Resolution can be adopted by this House.

Anyway, I would like to fully support, in letter and spirit, the Resolution moved by learned friend, Shri Ritesh Pandey on 20th March, 2020. Madam Chairperson, the Anganwadi workers and the Anganwadi helpers are the two classes of people who come under the Integrated Child Development Scheme being administered by the hon. Minister, Madam Smriti Irani Ji. So, we hope that a lenient view be taken as far as these two classes of people are concerned.

The Anganwadi workers and Anganwadi helpers are not being considered as teachers because there is no imparting of education in the Anganwadi establishments. It is not education that is being given. It is only nursing the children which is being done, and they are not educating the children. They are being taken care of. Care and caution of the children, their

nourishment, their development – mental as well as physical – everything is being done by these Anganwadi workers with the help of the helpers. So, this is what is meant by Anganwadi system. The integrated development of the child is the ultimate motto or the essence of the Anganwadi system which is coming under the Integrated Child Development Scheme.

Madam, I would like to state two or three points over and above the main issues to be considered as per the Resolution.

The first one is about the qualifications and the recruitment process of these anganwadi helpers and workers. As per the things which are existing now, there are no stringent or strict guidelines or norms for the recruitment of these anganwadi teachers and anganwadi workers. No qualification is prescribed. This is a very bad thing because the new generation of children, at the age two, are being brought to the anganwadis. Since the nursing care has to be provided to these children, and now since the scope of anganwadis has increased because the pregnant women are being trained or are being well taken care of in these Anganwadis, definitely the anganwadi workers as well as anganwadi helpers should be qualified. So, my first suggestion is that qualification for the anganwadi workers and helpers has to be well prescribed by the Government of India. It is well known to me that now-a-days, their appointment is totally a political appointment according to the whims and fancies of the concerned panchayat member and the panchayat committee. They are being appointed according to the whims and fancies of whichever party is ruling that panchayat. According to their political will or political

interest, they are being taken. The only qualification is that if she belonged to my party, she is well qualified. That has to be done away with. There should be a strict qualification prescribed. They should be better qualified. Their recruitment process should also be there. For that, guidelines have to be prescribed by the Government of India at the Centre because it is being financed by the Government of India also.

My second point is about their salaries. As far as their salaries are concerned, in the State of Kerala, per month salary of an anganwadi worker or teacher is Rs. 12,000; and for a helper, it is just Rs. 8,000. It is nothing because even a MGNREGS worker is getting more than this amount. A woman anganwadi teacher is coming early in the morning by 9 o'clock in the anganwadi and she has to stay there till 4 p.m. or 5 p.m. while they are getting - it is not a salary or an honorarium - a meagre allowance of Rs. 12,000 and Rs. 8,000. That has to be changed. That is why, the Private Member's Resolution specifically states that they should be regularised. Madam, my Private Member Bill is pending in Lok Sabha on the same issue in which I have demanded that anganwadi teachers and workers should be regularised as the last grade servants of the Central Government. That is the first demand that I would like to make.

Regarding their salaries, I would also like to mention that it is shared by both the Central Government and the State Government. Their salary is not same in other States. It is different in Karnataka; it is different in Tamil Nadu; and it is different in a Northern India State like UP. I think, Kerala is providing

them better allowances. I do not know fully about it, but they are being paid less than that in other States. My submission is that all these anganwadi teachers and workers should be regularised as the last grade servants of the Central Government or the State Government, as the case may be, so that they may be regularised. That is the point that I would like to make.

Regarding the welfare aspect, I would say that it is very easy to take care of it. Now-a-days, ESI's medical benefit is one of the best medical benefits which are available in our country. Today morning, I have made a submission that the ceiling limit of ESI has to be enhanced because now, it is Rs. 21,000. These poor women will come within the limit Rs. 21,000. My submission is that the ESI benefit should be extended to all these anganwadi workers and anganwadi teachers and helpers.

Madam, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that as far as government teachers or government staff or other government staff are concerned, they are getting all the benefits while those who are working in the factories or in the unorganised sector, they are getting the PF, the ESI and the gratuity, but these poor people, who are employed in Anganwadis, are not getting any benefit as that of the government servants or those working in the unorganised sectors.

They are not considered as unorganized workers and they also are not regularized workers. It is a pitiable situation as far as these poor women are concerned. So, the ESI medical benefits, gratuity and PF have to be given to all these workers. … (*Interruptions*)

Madam, there is no time restriction as far as the Private Members Resolution is concerned. … (*Interruptions*) Kindly give me two minutes. … (*Interruptions*) The last point that I would like to make is regarding infrastructure. Kindly look at the infrastructure provided to the Anganwadis. It is a pitiable condition as regards almost all the Anganwadis. I have spent lakhs of rupees in my Constituency to make them high-tech Anganwadis. Most of the Anganwadis are now fully air-conditioned. There was a World Bank project for renovation and establishment of modern Anganwadi buildings, that project is completed. So, I urge upon the Union of India to find out some schemes or funds so as to have high-tech Anganwadis in the country considering the climate change.

With these words, I once again fully support the Resolution moved by Shri Ritesh Pandey regarding the Angandwadi workers and Anganwadi helpers. Thank you, Madam.

*SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB):** Thank you, Madam Chairperson. Today, you have given me the opportunity to speak on an important aspect pertaining to the Government – the welfare of anganwadi workers. Anganwadi Scheme was started by the Indian Government in 1975. A child's mental and physical development is maximum till he attains six years of age. Nutritional food, health care and education to toddlers was needed, that is why Anganwadi Scheme was started. Integrated Child Development Service was needed and that is why it was initiated.

Today, approximately 4 lakh 37 thousand Anganwadi Centres are there. Anganwadi workers and helpers work in these Centres. They also do primary health check-up. They provide supplementary nutrition to children. Children are educated. Even our women are told about family planning measures.

Madam Chairperson, the Anganwadi workers play a pivotal role in the New Education Policy. Basic education is being imparted by them. The Anganwadi workers are facing a lot of hardships. They are getting a pittance as honorarium. Our Anganwadi sisters go to the field to implement all kinds of inoculation and vaccination programmes for kids. During corona times, the Anganwadi and Asha workers did a commendable job. We are proud of them. However, it is rather unfortunate that these Anganwadi workers get no help from the community or others.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

Madam, in several States, these workers get less honorarium than minimum wages given to workers. If a labourer does soil work, he is still getting more money in MNREGA than an Anganwadi worker. So, I urge upon the Government to give them regular jobs. They should be given the facility of provident fund.

If an Anganwadi worker dies accidentally, someone from the immediate family should be given a job as compensation on compassionate ground. The front line worker are the eyes and ears of the Government. In a sensitive State like Punjab, anti-Indian activities are done by anti-nationals. Our sisters in Anganwadi are the eyes and ears of Government. So, proper care should be taken for Anganwadi workers. They should not be left in the lurch.

Thank you. Jai Hind.

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, मुझे आंगनवाड़ी के इस बिल पर बोलने का सौभाग्य मिला है। यह एक ऐसा बिल है, जो गाँव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभान्वित कर रहा है। मैं माननीया मंत्री जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस देश के करीबन 27.41 लाख कर्मचारियों को सीधा-सीधा लाभ अगर किसी ने दिया है तो वह केन्द्र की सरकार ने दिया है।

महोदया, भारत में आंगनवाड़ी योजना की शुरूआत वर्ष 1975 में की गई थी तब यह सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था। धीरे-धीरे यह कार्यक्रम पीछे होता चला गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 के बाद इस कार्यक्रम को और गति दी और मैं समझता हूँ कि इस योजना के अंतर्गत अभी वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को, उनकी माताओं के स्वास्थ्य, उनके टीकाकरण और साफ-सफाई, स्कूल की पूर्व बुनियादी शिक्षा देने का काम एक आंगनवाड़ी केन्द्र कर रहा है। वर्तमान में देश के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें से 13 लाख 87 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। यानी देश में स्वीकृत कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 12,265 केन्द्र अभी भी संचालित नहीं हैं। इस बिल में आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अनुसार इस देश के अंदर महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनकी सहायिका को प्राथमिकता दी गई है।

महोदया, वर्ष 2020-21 के कोरोना काल के अंदर जब कोरोना ने देश और दुनिया में कोहराम मचाया था तब आंगनवाड़ी केन्द्रों से जुड़े बच्चों, महिलाओं पर सीधा प्रभाव पोषण के रूप में पड़ा था। उस समय नए रास्ते निकालने की जरूरत पड़ी, जिससे अधिकांश बच्चों को पोषण मिल सके। इस तरह की सुविधाएं केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदान की गई। राज्यों के मापदण्ड के अनुसार करीबन चार हजार करोड़ रुपये की जो राशि जारी की गई थी, उनका राज्यों ने अभी तक उपयोग नहीं किया है। मैं कह सकता हूँ कि वर्ष 2018-19 **में** 565 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 में करीबन 1,596 करोड़ रुपये की राशि, जो केन्द्र सरकार ने राज्यों को दी थी, उसका राज्यों ने उपयोग नहीं किया है। बहुत सारी आंगनवाड़ी तो सुचारू रूप से संचालित हैं, लेकिन देश में कई

ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनकी वर्तमान में स्थिति बहुत खराब है। या तो वहाँ भवन नहीं हैं, भवन है तो वह किराये पर चल रहा है। केन्द्र सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है।

महोदया, जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिल्डिंग नहीं है, काफी ऐसे केन्द्र हैं, जो किराये के भवन में चल रहे हैं। ऐसे केन्द्र स्कूल में भी चल रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा देना और होम विजिट करना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का प्रमुख काम है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कार्यकर्ता और सहायिका को जो मानदेय दिया जाता है, मेरे से पहले कई माननीय सांसदों ने इस बात को रखा होगा कि कार्यकर्ता को 8000 रुपये और सहायिका को 4800 रुपये मानदेय दिया जाता है। इस मानदेय को वेतन में चेंज किया जाए और इस मानदेय को बढ़ाया भी जाए। बच्चों को घर से लाना, घर पर छोड़ना और कार्यकर्ता का होम विजिट करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 8000 और सहायिका को 4800 रुपये दिये जाते हैं। यह जो मानदेय है, यह बहुत कम है। इस मानदेय को बढ़ाना चाहिए। इसे मानदेय के रूप में नहीं, बल्कि वेतन के रूप में देना चाहिए। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र की बात करूं, तो करीब 1974 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें से 790 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन में चल रहे हैं और बाकी सब स्कूलों में चल रहे हैं। वहां पर शौचालय है या नहीं, बिजली है या नहीं, बच्चों के लिए साफ-सुथरा पीने का पानी है या नहीं, ये सब देखने की बात है। आंगनवाड़ी केन्द्र अच्छे से संचालित हो, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता और सहायिका है, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति, रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जहां पर कोई भी नहीं जाता है, वहां डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होता है, वहां पर यदि कोई जाता है तो सिर्फ कार्यकर्ता और सहायिका ही जाती है। करीब 400 की आबादी पर एक सहायिका है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर 800 की आबादी है, 1000 की आबादी है या दो-दो हजार की आबादी है लेकिन 400 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में एक

आंगनवाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता और सहायिका देकर उस क्षेत्र के विकास के योगदान में आंगनवाड़ी केन्द्र एक बहुत बड़ा योगदान कर सकती है और उनको बढ़ावा देना चाहिए।

मैं आप सब के माध्यम से सरकार को इस बात के लिए ध्यान देना चाहूंगा कि बिल में वह इतना सहयोग कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी जवाब में भी यह बात कहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदया, आपने मुझे एक प्राइवेट मैम्बर बिल Welfare measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद । हमारे देश में लगभग 13 लाख 91 हजार 412 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने पिछली 9 दिसंबर को एक सवाल के जवाब में बताया है । उसमें करीब 25 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेंटर्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने खुद माना है कि करीब 3 लाख 60 हजार आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रॉपर टॉयलेट, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने एक रीजन भी दिया कि आंगनवाड़ी सेंटर में टॉयलेट बनाने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने वर्ष 2017-18 में केवल 12 हजार रुपये का प्रावधान किया था, जो कि नाकाफी था। अभी उसको बढ़ा कर लगभग 36 हजार रुपये कर दिये गये हैं। अब उम्मीद की जाती है कि आगे जो टॉयलेट्स बनेंगे, वहां अच्छे तरीके से साफ-सफाई का इंतजाम हो सकता है।

सभापति महोदया, कहने को बहुत आसान है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स गाँव-गाँव में रहती हैं, लेकिन उनका काम जो है, मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना, जब कोरोना के दौरान आपदा आई, तब इस देश की जनता, इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस देश की ब्यूरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गांव-देहात में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, वह कितनी चरमराई हुई हैं। गांव-देहात में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको हम आशा वर्कर्स के नाम से जानते हैं।

आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स और डॉक्टर्स ने देश में कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आंगनवाड़ी सेन्टर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात के रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल, स्कूल और उनके पालन-पोषण के लिए गाइड हैं। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और उनके हेल्पर्स उन लोगों के लिए सेकेंड मदर्स, पैरेंट्स के रूप में काम करते हैं। मुझसे पहले कई माननीय सांसदों ने जो यहां बोला है, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूं। अभी प्रेमचन्द्रन जी कह रहे थे कि केरल में आंगनवाड़ी वर्कर्स को 12,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। उन्होंने एक सुझाव भी रखा। देश में आज इतना अन-इम्प्लॉयमेंट है, खास तौर से पढ़े-लिखे लोगों में कि अब भारत सरकार एक गाइडलाइन तय कर दे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति के लिए एक मिनिमम क्वालीफिकेशन्स होनी चाहिए।

मैं अमरोहा लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। माननीय मंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से लोक सभा में इलेक्ट हुई हैं।... (व्यवधान) वे अमेठी से हैं।... (व्यवधान) अमेठी भी उत्तर प्रदेश में ही है। मंत्री जी ने कहा कि कंस्टीट्युएन्सी बताओ, इसलिए मैंने नाम रिपीट किया। ... (व्यवधान) अभी प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि केरल में 12,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति है। यह देखा नहीं जा सकता। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी विमेन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर यू.पी. से आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है, केन्द्र सरकार 4,500 रुपये देती है। उत्तर प्रदेश के अन्दर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000 रुपये और केरल जैसे राज्य में 12,000 रुपये मिलते हैं, यह तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और केन्द्र सरकार के जो फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी जैसी सारी फैसिलिटीज़ उन्हें दी जानी चाहिए।

मैडम, इन्हीं शब्दों के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब देंगी तो इस पर कुछ रोशनी डालेंगी।

धन्यवाद।

[کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے ایک پرائیویٹ ممبر بِل Welfare measure for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers پر بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ملک میں تقریباً 13 لاکھ 91 ہزار 412 آنگنواڑی سینٹرس ہیں، جس کے بارے میں محترم وزیر نے پچھلے 9 دسمبر کو ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے۔ اس میں تقریباً 25 فیصد آنگنواڑی سینٹس پرائیویٹ بلڈنگس میں چل رہے ہیں۔ مانئے منتری جی نے خود مانا ہے کہ قریب 3 لاکھ 60 ہزار آنگنواڑی سینٹرس میں پروپر ٹوائیلیٹ، سینیٹیشن کا انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ریزن بھی دیا ہے آنگنواڑی سینٹرس میں ٹوائیلیٹ بنانے کے لئے جناب نریندر مودی جی کی سرکار نے سال 2017-18 میں صرف 12 ہزار روپئے کا پراودھان کیا تھا، جو کہ ناکافی تھا۔ ابھی اس کو بڑھا کر لگ بھگ 36 ہزار روپئے کر دئے گئے ہیں۔ اب امید کی جاتی ہے کہ آگے جو ٹوائیلیٹس بنیں گے، وہاں اچھے طریقے سے صاف صفائی کا انتظام ہو سکتا ہے۔

چیرمین صاحب، کہنے کو بہت آسان ہے کہ آنگنواڑی ورکرس گاؤں گاؤں میں رہتی ہیں، لیکن انکا کام جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم کام ہے۔ جیسے عزت مآب وزیرِ اعظم صاحب نے کہا کہ آپدا میں اوسر تلاش کرنا ، جب کورونا میں آپدا آئی، تب اس ملک کے عوام، اس ملک کی سیاسی جماعت، اس ملک کی بیوروکریٹِک کلاس کو اندازہ ہوا کہ جو گاؤں دیہات میں صحت

سے متعلق انتظامات ہیں، وہ کتنی چرمرائی ہوئی ہے۔ گاؤں دیہات میں جو آنگنواڑی ورکرس ہیں، ان کو ہم آشا ورکرس کے نام سے جانتے ہیں۔

آنگنواڑی ورکرس، آشا ورکرس اور ڈاکٹرس نے ملک میں کورونا سے لڑنے کے لئے فرنٹ لائن ورکرس کے ساتھ کام کیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آنگنواڑی سینٹرس ہیں، یہ ملک کی عام جنتا کے لئے، دیہات کے رہنے والے لوگوں کے لئے ایک طریقے سے اسپتال، اسکول اور ان کے پالن پوشن کے لئے گائڈ ہیں۔ ہمارے آنگنواڑی ورکرس اور ان کے ہیلپرس ان لوگوں کے لئے سیکنڈ مدرس، پیرینٹس کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلے کئی معزّز ممبران نے جو یہاں بولا ہے، میں اسے دوہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ ابھی پریم چندرن جی کہہ رہے تھے کہ کیرل میں آنگنواڑی ورکرس کو 12000 روپئے محنتانہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک سُجھاؤ بھی رکھا۔ ملک میں آج اتنی بے روزگاری ہے، خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ اب بھارت سرکار ایک گائڈ لائن طے کر دے کہ آنگنواڑی ورکرس کا اپوئنٹمینٹ کے لئے ایک مِنیمم کوالیفیکیشن ہونی چاہئیے۔

میں امروہہ لوک سبھا حلقہ سے آتا ہوں ۔ ہم اُتر پردیش سے آتے ہیں۔ مانئیے منتری جی بھی اتر پردیش سے لوک سبھا میں الیکٹ ہوئی ہیں (مداخلت) وہ امیٹھی سے ہیں (مداخلت) امیٹھی بھی اتر پردیش میں ہی ہے۔ منتری جی نے کہا کہ کنسٹیٹوینسی بتاؤ، اس لئے میں نے نام ریپیٹ کیا۔ (مداخلت)۔ ابھی پریم چندرن جی نے کہا کہ کیرل میں 12000 روپئے ملتے ہیں، لیکن اتر پردیش کے آنگنواڑی ورکرس کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری وومین اینڈ چائلڈ ڈیولپمینٹ منسٹر، یو۔پی۔ سے آتی ہیں ۔ اتر پردیش میں بھی انہیں کی پارٹی کی سرکار

ہے۔ آنگنواڑی ورکرس کا جو محنتانہ ہے، مرکزی سرکار 4500 روپئے دیتی ہے۔ اتر پردیش کے اندر آنگنواڑی ورکرس کی حالت بہت ہی افسوسناک ہے۔ اتر پردیش جیسی ریاست میں 4000 اور کیرل جیسی ریاست میں 12000 روپئے ملتے ہیں، یہ تو نا انصافی ہے۔ میں اتر پردیش کی آنگنواڑی ورکرس کے لئے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ ان کے محنتانے کو بڑھایا جائے اور مرکزی سرکار کے جو فورتھ گریڈ کے ملازمین ہیں، ان کے جیسی ساری سہولیات انہیں بھی فراہم کی جانی چاہئیے۔

میڈم، میں انہیں الفاظ کے ساتھ ، اور اسی امید کے ساتھ کہ مانئے منتری جی جب اپنا جواب دیں گی تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں گی۔]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैडम, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, अचानक मुझे लगा कि यहां इसके बारे में दो-चार बातें कहना हमारे लिए भी जरूरी है। वह इसलिए जरूरी है कि जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो चाहे हम कोई जुलूस निकालें या किसी दूसरे पॉलिटिकल काम के लिए हम जाते हैं तो गांव में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, वे सारे वर्कर्स आकर हमसे गुज़ारिश करती हैं और वे एक ही मांग करती हैं कि आप लोग एम.पी. बन चुके हैं, आप दिल्ली जाकर सरकार से कह कर हमारे लिए कोई सुविधा मुहैया कराइए क्योंकि हमारी जिन्दगी गुज़ारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम इतने सारे काम करते हैं, लेकिन काम करने के बावजूद भी हमें हमारी जिन्दगी गुज़ारने के लिए जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए, जो वेतन मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है, ऐसा वे बार-बार गुहार लगाती हैं। जब मैंने देखा कि हमारे भाई रितेश पाण्डेय जी आज एक बड़ा अच्छा रिजॉल्यूशन लायक हैं तो मैंने सोचा कि आज उनकी बात आपके सामने रखूं। अगर यह सरकार उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देगी तो हम भी आभार प्रकट करेंगे।

रितेश पाण्डेय जी जिन पाँच मुद्दों को लेकर यह रिजॉल्यूशन लाये हैं, ये पाँच मुद्दे बिल्कुल वाज़िब हैं।

हम आज देश के एमपी बने हैं, सरकार के बड़े-बड़े मंत्री यहां उपस्थित हैं। Future will be ruled by our children. आज के बच्चे हमारे रूलर बनेंगे। आज के बच्चे अगर रूलर बनने के लायक हों, इसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। यह मेहनत करने के लिए हम सबको इकट्ठा प्रयास करना जरूरी है। इसके मद्देनजर वर्ष 1975 में इस देश में आईसीडीएस की धारणा लागू करने की कोशिश की गई। यह तब से चलता आ रहा है, कभी प्लानिंग कमीशन, कभी नीति आयोग, कभी कस्तूरीरंगन कमेटी। उन्होंने बहुत सारी अनुशंसायें भी की हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी अपनाई गई हैं। हम धीरे-धीरे प्रगति जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है।

महोदया, आंगनवाडी और आशाकर्मियों को 12 हजार रुपये एलाउंस मिलता है। हम लोग एलाउंस के बदले सैलरी की मांग करते हैं। यह बहुत ज्यादा मात्रा में है। बंगाल में तो यह सिर्फ 6 से

साढ़े 7 हजार रुपये है। मैं तो यह सुनकर हैरान होता हूं कि केरल में फिर भी 12 हजार रुपये देते हैं, जबकि बंगाल में 6 हजार रुपये या साढ़े 7 हजार रुपये ही देते हैं। कैसे काम चलेगा? आज बाजार में सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं। हमें सोचना चाहिए कि ये जो हमारे घर की छोटी-छोटी बहने हैं, उनकी जिंदगी में मदद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये सूबे की सरकार का हिस्सा होती हैं, केंद्र की सरकार का हिस्सा होती हैं। सूबे की सरकार कभी देती है, कभी नहीं देती है, केंद्र की सरकार कभी भेजती है, कभी नहीं भेजती है। सारी की सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स एक अनिश्चित जिंदगी गुजारती हैं। हमारे फ्यूचर जेनरशन के लिए हम मेहनत करते हैं। दानिश भाई ने कहा कि कोविड संक्रमण के समय ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हुए, अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने जिस कद्र सेवा की है, हिंदुस्तान के सब लोगों की जिंदगी बचाने में मदद की है, हम सबको तहे दिल से उनकी कद्र करनी चाहिए, तहे दिल से सबके के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। इन लोगों को बहुत सारी सुविधाओं से हम क्यों वंचित कर रहे हैं?

हमारे देश में 40 लाख करोड़ रुपये का बजट बनता है। रिवाइज्ड बजट 42 लाख करोड़ रुपये का हो जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारी नींव होती हैं, गांव-गांव में जो हमारे भविष्य प्रजन्म को बचाने के लिए, बच्चे और मां को बचाने के लिए जी-जान से मेहनत करते हैं, उनके लिए हम क्यों नहीं सोचते हैं? जो मांग की गई है, उसे सरकार मान ले।

मैं दो-तीन सलाह देना चाहता हूं। कस्तूरीरंगन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक, it has been stated that it is nearly impossible to fix the curve of education as an individual advances in age unless the imparting of education is done methodically from the toddler level. बचपन से, जब टोडलर होते हैं, उसमें से साइंटिफिकली हमें इन लोगों को पढ़ाना-लिखाना चाहिए। The need of the hour is for a method that blends an efficient supplementary nutrition programme with pedagogical process that makes learning exciting. एक तो न्युट्रिशन का मसला है, दूसरी तरफ लर्निंग का मसला है। लर्निंग और एजुकेशन को हमें इस ढंग से चलाना चाहिए, जिससे

कि हमारे भविष्य प्रजन्म, हमारे बच्चे जिंदगी में कुछ करने के लिए जब उभरकर आएंगे, तब उनकी अपनी ताकत हो, उनका अपना दिमाग हो और देश की तरक्की के लिए उनकी सहयोगिता हमें बराबर मिलती रहे।

ये आंगनवाड़ी वर्कर्स जनरल सर्विस देती हैं। गुड क्वालिटी मील चाहिए, ये मील देती हैं, काँट्रासेप्शन देती हैं, फ्रीक्वेंट हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग करती हैं। फिर भी, इन लोगों के बीच में स्किल की कमी है।

अब तक इन लोगों को अन-स्किल्ड वर्कर्स माना जाता है। मैं चाहता हूं कि इनको स्किल्ड वर्कर्स बनाने के लिए भी सरकार कुछ कदम उठाए, यहां बड़े-बड़े ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्किल्ड बनाने के लिए आप लोगों को कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए।

मैं इन सारे मुद्दों को आपके सामने रखते हुए तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराकर यह कहने की कोशिश कर रहा हूं और यह गुजारिश भी करता हूं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को आर्थिक सुविधा मुहैया करायी जाए। आर्थिक तंगी के साथ ज्यादा सेवा चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है। मैं इस रिजोल्यूशन का समर्थन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

महिला और बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): सभापति महोदया, मेरे संसदीय अनुभव और प्रशासनिक अनुभव में मैं पहली बार स्वयं साक्षी रही हूं कि एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पर मार्च, 2020 में चर्चा शुरू हुई। पांच सेशन के माध्यम से लगभग 20 सांसद 6 अलग-अलग तरीकों से इस विशिष्ट चर्चा में सहभागी रहे। सर्वप्रथम, मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करती हूं कि इस चर्चा के माध्यम से उन्होंने हमारे देश भर की आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान किया, उनका समर्थन किया और उन्हें सदन में महिमामंडित किया।

कुछ सेशन पहले मैंने एक विशिष्ट सांसद का भी अभिनंदन किया था। जगदम्बिका पाल जी आज सदन में नहीं हैं, लेकिन दो वर्ष की अवधि में सबसे लंबा अगर किसी ने आंगनवाड़ी बहन के

समर्थन में सदन में प्रस्तावना की है तो वह सौभाग्य जगदम्बिका पाल जी को प्राप्त है। उनकी अनुपस्थिति में ही सही मैं पुन: सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अभिनंदन करती हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं।

महोदया, इस सदन में दानिश भाई ने थोड़ी सी चुटकी ली, भाइयों का विशेष अधिकार है, मैं जेंटलमैन नहीं कह रही हूं, मैं भाई कह रही हूं और आशा करती हूं कि वह स्वीकार होगा। इस सदन में कई विशिष्ट व्यक्ति जो ट्रेजरी बेंच से नहीं हैं, जिनके पास सौभाग्य रहा कि एक दशक तक उन्होंने सत्ता के गलियारों में ऐसे विषयों पर अपना मार्गदर्शन दिया अथवा प्रशासनिक ढांचे में नेतृत्व दिया अथवा तब की सरकार में अपना योगदान दिया। आज विपक्ष में उन्होंने आंगनवाड़ी सेविका बहनों के बारे में गुहार लगाई। यह सत्य है कि वर्ष 1970 के दशक में पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रोच भारत में स्थापित की गई।

16.39 hrs. (Hon. Speaker *in the Chair.*)

जब वर्ष 1975 में इसकी शुरूआत हुई, इतने विशाल देश में, तब मात्र 33 प्रोजेक्ट्स में ही इसकी शुरूआत हुई। 33 प्रोजेक्ट्स से आज 13 लाख आंगनवाड़ियों में हमारी बहनें देश की महिलाओं और बच्चों को सेवा देती हैं, उनके बारे में रितेश पाण्डेय जी ने भी प्रस्ताव रखा। मैं रितेश पाण्डेय जी की अनुपस्थिति में आपकी अनुमति से दो-तीन तथ्य सदन में रखना चाहूंगी। जिन्होंने आज भारत सरकार से गुहार लगाई कि आप ऑनरेरियम क्यों नहीं बढ़ाते हैं? इसे ऑनरेरियम की दृष्टि से न देखकर सैलरीड क्लास की दृष्टि से देखें।

जब उनकी सरकार थी, वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में यह केस आया था, तब उनकी सरकार ने स्वीकार किया कि ऑनरेरियम ही पर्याप्त है, इनको एम्पलाई की दृष्टि से न देखा जाए। तब सरकार की इस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख जितने भी तथ्य आए, उन सभी तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चिंतन किया, मंथन किया बल्कि particularly on this issue, the hon. Supreme Court of India settled on the subject of whether honorarium should be given or they should be treated as

employees. After all the evidence -- which was presented before the hon. Supreme Court of India -- this issue was settled in the year 2006. However, तब सरकार चाहती और सरकार में जो सहभागी थे, वे चाहते तो अपनी तरफ से कोई और विशिष्ट प्रावधान कर सकते थे। अगर मैं वर्ष 2008 का उल्लेख करूं तो ऑनरेरियम 1400 रुपये था। तब मिनी आंगनवाड़ी में जो व्यवस्था थी, उसमें 750 रुपये दिए जाते थे। आज जो हिदायत दे रहे हैं, निश्चित रूप से वे प्रसन्नचित्त हुए होंगे जब नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 1400 रुपये से बढ़ाकर ऑनरेरियम 4500 रुपये कर दिया। आज जो हिदायत दे रहे हैं, वे निश्चित रूप से प्रसन्न हुए होंगे, जब नरेन्द्र मोदी सरकार ने 750 रुपये से बढ़ाकर मिनी आंगनवाड़ी में 3500 रुपये की व्यवस्था की।

आज जिन्होंने विशेष हिदायत दी, अब जेन्टलमैन कहूंगी तो सूली पर लटका दिया जाएगा। … (व्यवधान) मेरी अपेक्षा भी नहीं है, जहां महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वयं अपमान हो सकता है तो मैं क्या चीज़ हूं? … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप लोगों ने किया है। … (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: मैं आपके सम्मुख कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं, जो उनकी हकीकत को बयां करते हैं। … (व्यवधान) In 2011-12, when the Congress-led UPA Government was in power, for the anganwadi system, they pronounced a Budget Estimates of Rs. 10,000 crore. Sir, if I look at the budget which was spent in 2021-22, if I go back just to one year, the spend by the Modi Sarkar in one Financial Year was Rs. 18,208 crore. जो हिदायत दे रहे हैं, जब उनके पास सत्ता थी, तब उन्होंने इसी सिस्टम में कोई भी आर्थिक सहायता बढ़ाकर नहीं दी। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, पीएमबी में सब अपने मन की बात कहते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में कभी यह नहीं कहा गया कि इस सरकार ने नहीं किया या उस सरकार

ने नहीं किया। माहौल को बरकरार रखना चाहिए। हर चीज पर पोलिटिक्स ले आते हैं**,** यह ठीक नहीं है। … (व्यवधान)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I am not yielding. … (*Interruptions*) I am not yielding … (*Interruptions*) I would like to proceed with my comments. I have been patiently listening to the discussions on this Private Member's Bill since March, 2020. As a Minister, I am sure, after waiting for close to two years, I will be allowed to complete my presentation to this honourable House without intervention. … (*Interruptions*) I am facing an opportunity to place facts before this honourable House, and since I am accused of why I am politicising, I would like to highlight again that it is my constitutional duty to place facts on the floor of the House. Hence, one is an issue that was brought forth the hon. Supreme Court of India in 2006, and was settled; second, like I said, how much we appreciate the services of anganwadi workers and enhanced the honorarium from Rs. 750 to Rs. 3500.

And third Sir is the fact that in 2011-12, the Budget Estimates of the then Government were a mere Rs. 10,000 crore but of the Modi Government, the Budget spent in 2021-22 was Rs. 18,208 crores and it shows our commitment to this very need of women and children in our country.

महोदय, रितेश जी ने अपनी प्रस्तावना में कई विषय आंगनवाड़ी बहनों के संदर्भ में रखे हैं। यहां पर प्रेमचन्द्रन जी भी उपस्थित हैं। उन्होंने पेंशन, इंश्योरेंस, इन सभी विषयों पर हम सबका विशिष्ट ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी कि पहली बात यह है कि जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं और आशावर्कर्स हैं, वे दो विविध मंत्रालयों के अंतर्गत अपनी सेवाएं देती हैं। सरकरी खेमे में जितना भी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसका काम

specifically is done by the ASHA worker and not by the Anganwadi worker. However, Sir, कोविड का उल्लेख हुआ। गोपाल जी, अभी इस सदन में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है and we paid special homage, and gratitude was expressed to Anganwadi workers who were at the frontline of helping the nation during COVID-19. The Prime Minister pronounced in association with the Ministry of Health that the Pradhan Mantri Garib Kalyan Insurance Package for those Anganwadi workers who are designated by District and State Authorities to work in COVID times will also cover such workers up to Rs. 50 lakh.

Sir, to this day, I can confirm to this House that for Anganwadi workers under this very package, 1905 claims have been settled by the Government of India in collaboration with the State Governments.

Sir, this House is aware that Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Suraksha Bima Yojana were pronounced by this very Government. It was the endeavour of the Ministry that Anganwadi workers and helpers get the support even under these national initiatives.

Sir, I am happy to report to this House that a premium of Rs. 330 per worker under the Jeevan Jyoti Bima Yojana and Suraksha Bima Yojana, was paid by the Government of India covering all Anganwadi workers under these two schemes.

Also, Sir, these benefits were made available up to May, 2020 and post-May, 2020, a special procedure was pronounced in collaboration with States to cover all Anganwadi workers and a premium provision was also made

especially for this initiative of Rs. 64 crore on behalf of the Government of India.

Sir, this is the partnership that we are currently engaged with regards to State Governments. It is because as every learned Member of this House knows that it is the State Governments that help us implement all that is pronounced under the Programme by the Government of India.

महोदय, यहां पर विशेष रूप से कई आदरणीय सांसदों ने इस बात की चिंता व्यक्त की है कि जो हमारी आंगनवाड़ी बहने हैं, उनके ऊपर एडिशनल काम करने का विशेष भार आता है। जिन माननीय सांसदों ने इस विषय को उठाया है, मैं आपकी अनुमति से विशेष रूप से उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि भारत सरकार ने हमारे मंत्रालय की ओर से 5 नवंबर, 2019 को प्रदेश सरकारों के सभी चीफ सेक्रेटरीज़ को लिखकर ताकीद किया है। हम बार-बार इसका उल्लेख करते हैं कि कृपया आंगनवड़ी वर्कर्स को अतिरिक्त काम न दें। They are honorary workers who work for honorariums and are not employees and hence, cannot be given added work. This is a communication which I hold in my hand which is close to three years old. We do repeat it in our engagement, from the Ministry of Women and Child Development, with all Chief Secretaries of all States. We were not sure whether this written communication would suffice. We do repeat it in our verbal engagement, video conferences and one on one meetings with all State Governments and all State representatives including their many Anganwadi federations that have asked us for this very communication; and in support of the Anganwadi workers desire to have this communication simplified, we have done so Sir and forwarded that information to them as well.

सर, आज मैं विशेष रूप से इस चिट्ठी का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करती हूँ कि आपने कई बार इस सदन में विशेष रूप से पोषण के संदर्भ में सांसदों का ध्यान आकृष्ट किया है। आपने सांसदों को बार-बार प्रोत्साहित किया कि विशेष रूप से 'दिशा' की मीटिंग में और महापोषण पखवाड़ा में विशेष रूप से हर सांसद सम्मिलित हो और अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसको सदन में अथवा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करें। आपके आदेशानुसार हर सांसद ने जहां-जहां से हमारे पास शिकायत लाकर के दी अथवा हमें किसी ने भी सुझाव दिया तो हमने तत्परता से उस पर काम किया।

सर, मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहूंगी, चूँकि यहां पर रितेश जी नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव करते समय कहा था कि उनके अपने जनपद के आंगनवाड़ी सिस्टम में पानी की सुविधा नहीं है। सर, आज मैं आपके माध्यम से उनकी अनुपस्थिति में ही सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि उनके जनपद के आंगनवाड़ी में वाटर की फैसिलिटी सुनिश्चित हो चुकी है और इसकी टेक्नोलॉजिकली कन्फर्मेशन जनपद में काम करने वाली आंगनवाड़ी बहन ने स्वयं पोषण ट्रैकर पर दी है। रितेश जी ने तब अपने प्रस्ताव में इसका भी उल्लेख किया कि आंगनवाड़ी बहन के ऊपर विशेष भार आता है कि वे पल्स पोलियो की ड्रॉप दे रही है, लेकिन वह काम असल में आशा बहन करती है, आंगनवाड़ी बहन नहीं करती है। उन्होंने किसी प्रदेश में थैच रूफ, एस्बेस्टस शीट्स का भी उल्लेख किया था। हमने उस प्रदेश से सम्पर्क किया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकली चेक किया गया, वहां पर भी ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाई गई।

सर, यहां पर दानिश भाई ने वॉटर फैसिलिटी और टॉयलेट फैसिलिटी के बारे में विशेष उल्लेख किया है। मैं आपके माध्यम से उन्हें और सदन को अवगत करना चाहती हूँ कि यह सत्य है कि उनके लिए 12 हजार रुपये दिए जाते थे। स्टेट्स ने बोला कि आप इस राशि को बढ़ाएं इसलिए उसे 36 हजार रुपये किया गया। यह इस बात का संकेत है, that the Modi

Government is empathetic and quickly responsive to the needs of the State Governments and the anganwadi system.

सर, चूँकि यह बात उठी है तो दूर नहीं जाएगी, लेकिन मैं इतना संक्षेप में कहना चाहूंगी कि भले ही 1970 के दशक में यह व्यवस्था 33 प्रोजेक्ट्स से शुरू हुई थी और आज यह व्यवस्था 13 लाख आंगनवाड़ी तक पहुंची है। पानी और सेनिटेशन की बजट लाइन पर सभी माननीय सांसद इस बात से अवगत हैं कि मंत्रालय तभी स्पेंड करेगा, जब फाइनेंस के साथ समन्वयपूर्वक बजट की व्यवस्था की जाएगी। पहली बार आंगनवाड़ी सिस्टम में बजट लाइन मोदी सरकार वर्ष 2017 में लेकर आई थी। 70 के दशक में न तो इसकी कल्पना थी और न ही यूपीए के कार्यकाल में ऐसा कोई प्रावधान था।

मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। God is in details. This is the detail to which the administration applied itself. सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और जब प्रधान मंत्री महोदय ने डिजिटल इंडिया का उल्लेख किया था, उस समय कई लोगों ने उपहास भी किया था। वे बोले कि इतने विशाल देश में, जहां इतनी विशाल हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, वह इस व्यवस्था को कैसे अपनाएगी? मैं आज बड़े हर्षोल्लास के साथ कहना चाहती हूँ कि पोषण का एक जो नया संग्राम शुरू हुआ, उसके अंतर्गत प्रधान मंत्री जी ने हम सबको आदेशित किया कि अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो क्यों न डिजिटाइजेशन का वही सहयोग आंगनवाड़ियों तक पहुंचाया जाए।

सर, मैं आपकी अनुमति से सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि राष्ट्र में पहली बार आंगनवाड़ी को स्मार्ट फोन से लैस करने वाली अगर कोई सरकार है तो वह मोदी सरकार है। वर्तमान में आंगनवाड़ियों में 11 लाख से ज्यादा डिवाइसेज़ उपलब्ध हैं। जब हमने पोषण ट्रैकर की शुरूआत की थी तो उसकी कोविड के दरम्यान शुरूआत की थी। मैं रितेश पाण्डेय जी की अनुपस्थिति में फिर से बोल रही हूँ कि उन्होंने इस बात की चिंता व्यक्त की थी कि आंगनवाड़ी बहनों को 10-10, 12-12 रजिस्टर्स लेकर घूमना पड़ता है।

सर, उसी चुनौती से समाधान तक पहुंचाने के लिए स्मार्ट फोन का जब इंट्रोडक्शन हुआ, उसके पोषण ट्रैकर के माध्यम से हमने यह व्यवस्था बनाई कि हर महिला और बच्चा, जो आंगनवाड़ी में सेवा लेते हैं, उनकी जो भी दरकार है, उनके डिटेल्स – चाहे उनका पता हो, उनकी हाइट और वेट मेजरमेंट आदि को टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल कराएं, ताकि आंगनवाड़ी बहन को वे बड़े-बड़े थैले और रजिस्टर लेकर दर-दर घूमना न पड़े।

सर, मैं एक बार फिर आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी कि हमारी आंगनवाड़ी बहनें जो 10 करोड़ बेनिफिशरीज का डेटा डालती हैं, उस डेटा में भी एक अनोखी बात आई है। पहली बार हमारे देश में, इस 10 करोड़ में से 90 प्रतिशत, जो महिलाएं और बच्चे हैं, they are now Aadhaar-seeded. The data is completely verified all the way down to the grassroots. जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं – 'वन नेशन, वन राशन कार्ड', we ensure that there is portability of the rights of our beneficiaries - be it the mother or the child. अब अगर कोई महिला या परिवार मान लीजिए झारखण्ड में आंगनवाड़ी की सेवा लेते हैं और वे अगर झारखण्ड छोड़कर दिल्ली आते हैं तो उनको पोर्टेबल सर्विस मिलेगी। उनके बारे में भारत सरकार और दोनों प्रदेश सरकारों को पता होगा कि यह महिला अथवा यह बच्चा उस प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में गया है, ताकि उनके अधिकारों का हनन न हो।

सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो प्रस्तावना की गई, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहा गया और इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे मंशा शायद यह है कि हम जिस उद्देश्य के साथ आंगनवाड़ी व्यवस्था को देखते हैं कि बच्चे के स्वास्थ्य को और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को कैसे सहायता मिले, सहयोग मिले, उसकी दृष्टि से मैं कहना चाहूंगी कि आज जो सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरवेंशन की दरकार थी, वह थी कि हमने सिस्टम बना दिया, लेकिन सिस्टम में रिजल्ट मेजर करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। मैं पुन: प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि पहली बार ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइसेस चाहिए, उनको भारत सरकार ने पोषण अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराया है और आज लगभग 12 लाख 60 हजार

ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस देश भर में आंगनवाड़ी में उपलब्ध हैं । 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में आज हम पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजिकली मैप करते हैं । अश्वनी जी यहां उपस्थित हैं, हमने उनसे यह भी कहा कि आप पूरे देश को ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि आंगनवाड़ी भी इससे अछूता नहीं होना चाहिए । अब यह व्यवस्था भी आंगनवाड़ी तक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है ।

सर, सबसे बड़ा विषय, जो मैं आज आपकी अनुमति से आपके सम्मुख रखना चाहती हूं, पहले आंगनवाड़ी सिस्टम एक आइसोलेशन में चलता था, एक मंत्रालय के सौजन्य से चलता था । प्रधानमंत्री जी ने जब उल्लेख किया – 'सबका साथ और सबका विकास', तो वह उल्लेख सिर्फ नागरिकों तक सीमित नहीं था, प्रशासनिक समन्वय में भी उसे पोषण ने चरितार्थ कर दिखाया और 18 मंत्रालयों ने एक साथ देश में आंगनवाड़ी सर्विसेज को हम कैसे और मजबूत कर सकें, सशक्त कर सकें, उसके सन्दर्भ में अपना काम शुरू किया ।

सर, आपने इसी सदन में विशेष रूप से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में, बल्कि सप्लीमेंटरी न्युट्रिशन में भी कोई त्रुटि न हो, इसकी भी चिन्ता व्यक्त की । आपके शुभाशीष से, आपके आशीर्वाद से देश के सभी सांसदों तक हमने रीजनवाइज डाइट डायवर्सिटी की सूचना भी पहुंचाई । हमने 13 जनवरी, 2021 की स्ट्रीमलाइन्ड गाइडलाइंस भी दीं ।

इसमें प्रेमचन्द्रन जी ने रिक्रूटमेंट का विशेष उल्लेख किया है । रिक्रूटमेंट के सन्दर्भ में भी स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि पोलिटिकल इंटरफेरेंस न हो, इसकी भी चिन्ता की जाए । आज ही, शायद यह किस्मत को मंजूर था कि सुबह जब मैं पेपर ले कर रही थी, इसका गज़ेट मैं सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर पाई ।

सर, आज रितेश जी इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मार्च, 2020 से वार्ता का यह क्रम शुरू हुआ । मैंने बार-बार इस सदन में कहा है कि हम पक्षपात और विशेषत: राजनीतिक पक्षपात के न आदी हैं, न इच्छुक हैं । मैं विशेष रूप से इस सदन और आपका आभार मानना चाहूंगी कि महिला और बाल विकास से संबंधित जब भी कोई प्रस्ताव आता है, चाहे

वह लेजिस्लेटिव हो अथवा चर्चा की दृष्टि से हो, पूरे सदन ने अपनी राजनीति छोड़कर, समन्वय के साथ उसका समर्थन किया है।

17.00hrs

मैं आशावादी हूं कि आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। रितेश जी ने जो भी विषय और चिंताएं अपने उद्बोधन में प्रस्तुत कीं, मैंने उनका जवाब दे दिया है। मैं एक और बात उसमें जोड़ना चाहती हूं। जहां टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर और इन्फ्रास्ट्रक्चर की विशेष चिंता की गई है, अगर वहां पर रेंट देना होता है और सरकार किसी प्रदेश में रेंट देने की अवस्था में है और पक्की बिल्डिंग बनाने की स्थिति में है तो वहां कंटीनुअस कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। हमने मनरेगा के साथ समन्वय किया है। हमने इस तीन साल की अवधि में 50 हजार से ज्यादा नए आंगनवाड़ी बनाए और जो रेंटेड प्रेमाइसिस में थे, हमने उनको शिफ्ट कराया। लगभग 55 हजार से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। … (व्यवधान) दानिश भाई ने तीन लाख का विषय उठाया कि अभी भी तीन लाख परमानेंट नहीं हैं तो एक लाख से ज्यादा आंगनवाड़ीज़ को परमानेंट स्ट्रक्चर में शिफ्ट करने का प्रावधान ऑलरेडी कर दिया गया है।

सर, इसके साथ ही जब रेंट की बात आती है तो विशेषत: ग्रामीण अंचल में इसी सरकार ने रेंट को डबल करके दिया है। हम प्रदेश सरकारों पर निर्भर करते हैं। प्रदेश सरकारों को हमने व्यवस्था दी है, ढांचा दिया है और पैसा दिया है। वे उसको तीव्र गति से आंगनवाड़ी सर्विसेज़ को और सशक्त करने के लिए लगाती हैं। निश्चित रूप से दानिश भाई ने मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश और अमेठी का उल्लेख किया। मैं आभारी हूं कि अमरोहा वाले अमेठी का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हां, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि 750 रुपये से 3500 रुपये का मोदी सरकार ने जो फासला तय किया है, वह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बहनों को भाया है, इसलिए उन्होंने दो बार कमल खिलाया है। … (व्यवधान) हमारे सीनियर मैंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि मैं फॉल्स एश्योरेंसेज़ नहीं देती हूं। मैंने हाउस के सामने फैक्ट्स प्रस्तुत कर दिए हैं। सर,

रितेश जी की अनुपस्थिति में मैं सदन से यही आग्रह करूंगी कि आप मार्गदर्शन करें कि आगे मेरा मार्ग कैसे प्रशस्त हो। धन्यवाद। … (व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : ओनेरेरियम को इंस्टैंट एनहांस करने के लिए कुछ एश्योरेंस दे दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें क्लेरिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सर, प्राइवेट मैंबर रेजोल्यूशन है।

माननीय अध्यक्ष : प्राइवेट मैंबर रेजोल्यूशन है, आपने अपनी बात कह दी है।

… (व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सर, इसमें कुछ बात ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी, माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत करवा दिया।

श्री निहाल चन्द चौहान : अध्यक्ष जी, मुझे एक बात निवेदन करनी है।

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको अलाऊ थोड़े ही किया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, चूंकि रितेश पाण्डेय, जिन्होंने इस संकल्प को पेश किया है, सभा में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए उनके द्वारा पेश किए गए संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाडी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं महिलाओं, बच्चों और किशोरों को अनेक अनिवार्य स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए-

(1) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोजगार को नियमित करना;

(2) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर "वेतन" करना;

(3) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो समाज के प्रति उनकी सेवाओं के महत्व को दर्शाए;

(4) आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना तथा प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित संवातन सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनका उन्नयन करना; और

(5) देश में किराए के आवासों में चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों की लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना।"।

<u>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।</u>

17.04 hrs.

(ii) Beautification and modernization of railway stations under the Adarsh Station Scheme, etc.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मद संख्या 19,

माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं श्री एन. रेड्डप्प जी को आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के संबंध में अपने गैर सरकारी सदस्य के संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूं, इस संकल्प पर चर्चा के लिए सभा द्वारा समय आबंटित किया जाना है। यदि सभा सहमत हो तो दो घंटे का समय आबंटित कर दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य **:** जी, हां।

माननीय अध्यक्ष : व्यवस्था से फिर समय आगे बढ़ा दिया जाएगा।

आइटम नं**.** 19, आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण, श्री एन**.** रेड्डप्प जी।

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Hon. Speaker Sir, I beg to move:-

"Having regard to the facts that-

(i) Indian Railways are one of the largest transportation and logistics networks in the world and are drivers of the socio-economic development of the country; Indian Railways account for one per cent of India's Gross National Product and serve as the backbone of core sector's freight needs;

(ii) India has a vast history of railway development with an extensive network of train lines and stations built in the last

century; Railways transport over twenty-four million passengers each day, connecting 8000 stations across the country;

(iii) Railway stations in the country have evolved as key urban centres with commercial and infrastructural developments around over the years;

(iv) owing to the rapid changes taking place in the Indian economy huge investments are necessary to transform and modernise railway infrastructure;

(v) various schemes including Model, Modern and Adarsh Station Scheme have been formulated for beautification and modernization of stations on Indian Railways in the last two decades and the priority under said modernisation schemes have been on improving passenger amenities at select A1 and A category stations only;

(vi) there is an inordinate delay in the operationalization of the Visakhapatnam-based South Coast Railway Zone in the State of Andhra Pradesh with the Detailed Project Report of the zone is pending with the Railway Ministry; and

(vii) there is no Railway Recruitment Board Beautification and Modernization of Railway Stations under the Adarsh Station Scheme, etc. 9 in the upcoming South Coast Railway Zone in the State of Andhra Pradesh due to which job seekers are forced to

travel to the State of Telangana to appear for railway recruitment exams,

this House urges upon the Government to-

(a) take immediate action for the beautification and modernization of the remaining stations targeted to be developed under the Adarsh Station Scheme;

(b) ensure modernization and upgradation of all the railway stations in the country; and

(c) expedite the operationalisation of the South Coast Railway Zone and creation of a Railway Recruitment Board for the zone."

Thank you very much, Sir, for giving me the opportunity to move the Resolution relating to the beautification and modernization of railway stations under the Adarsh Station Scheme, etc.

17.05 hrs. (Shrimati Rama Devi *in the Chair*.)

The Indian Railways are deemed to be one of the world's largest transportation and logistics networks. They are the drivers of socio-economic progress in the country, serving the freight requirements. With over 23,000 trains running across the country and connecting about 8,000 stations, the Railways carry about 2.4 crore passengers per day on average.

Before moving on to the topic of discussion, I would like to highlight a few important contributions made by the Railways in our everyday lives to symbolize the critical nature of the topic I have raised. Since pre-

Independence, the achievements like the growth of textile industry in Mumbai, jute industry in areas surrounding Kolkata and coal industry in Jharkhand, are largely attributed to the development of the railway network in these areas. Due to its wide network, the Railways remain the cheapest and among the most convenient modes of passenger transport for long distances. With freight revenues for Indian Railways being over $16 billion in 2021 and an 18% increase in freight loading as of 2021-22, the sector remains vital for long haulage of heavy goods like coal, petroleum, and ores. By connecting various regions, the Railways have also acted as an important factor in national integration. In this context, I take this opportunity to bring the attention of the House towards an urgent need to modernise our railway stations. As the railway stations have evolved as key urban centres with commercial and infrastructural developments over the years, aiding economic growth in the area, our focus should be towards better maintenance and redevelopment of the railway stations. Apart from the upgradation of infrastructures like the foot-over bridge and proper signage, there are some other important aspects that I would like to highlight in terms of the modernisation of the railway stations.

My first point is regarding prevention of accidents and mishaps. With a rapid increase in passenger and goods traffic, the frequency of train accidents has also raised serious public safety concerns. Owing to heavy traffic, overcrowding and a large number of people aiming for a single train, mishaps like stampedes take place.

As per the data of the National Crime Records Bureau 2021, the Indian Railways registered an increase of around 38.2% in accidents in 2021 compared to the previous year. Further, as per NCRB data on accidental deaths between 2010-2019, about 2.52 lakh lives were lost due to railway accidents. There were instances such as people falling from overcrowded trains; being hit by poles while hanging out of overcrowded trains; falling in gaps between the railway coach footboard and the platform; and trespassing on tracks within the railway station premises.

Many of these incidents like falling from the trains or hitting the signal poles occur near the railway stations. The main reason behind that is severe overcrowding and improper measures for crowd control. Thus, I request the Government to ensure proper measures to control the traffic and prevent overcrowding through designated entry/exit points to the train. Also, there is a need to increase deployment of Police personnel to ensure congestion-free movement of people. The length of the platforms may be re-assessed to ease the crowd and also the number of train coaches may be increased wherever required.

Some other measures that should be taken for the modernisation of the stations are installation of proper user-friendly international signage and the segregation of arrival and departure points for passengers to reduce instances of overcrowding, thereby decreasing accidents and other mishaps.

Secondly, I come to safety of passengers. Apart from accidents, another important factor in passenger safety is, terror threats or the smuggling of illegal goods. Many instances are indicating such aspects, from the entry of terrorists into the railway station and attacking common people during the 2008 Mumbai terror attacks to incidents of raids by security forces in which they have found drugs being smuggled between States.

Many railway stations have body scanners and luggage scanners installed at the entry points to identify weapons, explosives and narcotics. But many reports are suggesting that the scanners remain defunct or damaged for quite some time. The case of CCTV surveillance cameras is also similar.

Thus, in the endeavour to modernise the railway stations, the Government must pay heed to the security concerns and loopholes present at the stations. This should be augmented by investment in new surveillance equipment, assessing the functionality of the existing security equipment and engaging adequate manpower to do proper security checks, especially, at the entry/exit points of the railway stations.

Along with this, the installation of full body scanners and walk-in security checks would ensure proper security measures are in place as well as reduce the crowding of passengers at the security check area.

Thirdly, I come to the point of making railway stations accessible for persons with disability. The Ministry of Railways has launched the 'Sugamya Bharat Abhiyan' (Accessible India Campaign) in 2015 to provide persons with

disability with convenient and barrier-free transportation across the railway network.

But for several senior citizens and persons with disabilities, the railway stations and trains still lack in providing accessibility. The space on the stairs for getting on to the train is very narrow and there is a significant gap between the train and the platform, making it difficult for people using walking sticks to get on to the trains.

Further, without the presence of ramps for entry into the trains, PwDs using wheelchairs often have to undergo the difficult ordeal of carrying the wheelchair up and down the stairs.

Other concerns relating to heights of platforms, toilets for the disabled remaining under lock and key, absence of tactile flooring and prominent displays for passenger assistance information across stations, still prevail across most of the railway stations.

With the value of the right to life and prohibition of discrimination enshrined as Fundamental Rights in our Constitution, the problems faced by PwDs become pertinent. Through this Resolution, I would like to shift the attention towards these issues and urge the Government to keep these in priority while upgrading the infrastructure of the railway stations.

Fourthly, I come to management of freight. The Indian Railways is one of the world's largest railways at the moment, with a network of 68,000 kilometres and dedicated freight corridors crossing the country.

Reports suggest that the goods carried through passenger trains and vans account for only about 0.23 per cent of railways’ freight traffic. Other freight trains face many infrastructural constraints like the absence of separate loading/unloading space at railway stations, poor holding area/warehousing conditions, choked road access-points for entry of trucks and high transit time in railways due to multiple stoppages.

Also, as most parcels are handled at passenger platforms, they obstruct commuters' free movement. With these issues prevalent across the county, I urge upon the Government to take cognizance of the matter and place special focus on better management of the loading/unloading points at the railway stations.

Fifthly, modernisation schemes should focus on smaller stations. The Adarsh Station Scheme of the Ministry of Railways aims to upgrade the suburban stations in India to adarsh stations, but so far, the focus under various modernisation schemes has been on improving passenger amenities only at select stations. The development or redevelopment of certain railway stations of metro cities and important junctions as world-class stations being a priority, even the private sector investments are mostly utilised to develop state-of-the-art amenities to provide a world-class experience to passengers in these select stations. With an increase in the movement of migrants from small towns and the increasing role of transportation in the development of the economy, it is essential that the railway stations act as extensions for development across the country. Smaller stations are already very congested

due to haphazard suburban growth around them. They often suffer from heavy traffic and cannot take any more new trains. Hence, in order to curb such pertinent issues at smaller railway stations, it is essential that they are upgraded with adequate investment and infrastructure development.

Sixthly, I will talk about funds for modernization of railway stations. Modernization is not only about technological upgradation, rather it is about convenience to the passengers. The Government must deliberate on creating a dedicated Station Modernization Fund from which State-wise allocation and distribution can happen in terms of stations with heavy footfalls like the Vizag Station and pilgrim tourist destinations like Tirupathi Station.

This must be a reserve Fund with the provision of carrying forward the balance year to year. It could also be utilized for maintenance and repair work at the stations.

All the issues are being discussed to highlight the importance and an urgent need to modernize the railway stations across the country, I would like to end my speech by saying that the transportation of the future is not only about providing boarding and deboarding services; rather modern facilities such as automatic kiosks, functioning escalators and beautified station buildings are going to be an integral part of station services along with them, proving to be a mark of progress in the country. Hence, I request the House to pass the Resolution unanimously.

Now, I come to my last point. I hail from Andhra Pradesh and it relates to my State. I would like to bring to the notice of the hon. Minister, who is here,

that there is an inordinate delay in operationalization of the Visakhapatnam-based South Coast Railway Zone in the State of Andhra Pradesh as the Detailed Project Report of the zone is pending with the Railway Ministry.

Secondly, there is no Railway Recruitment Board in the upcoming South Coast Railway Zone in the State of Andhra Pradesh due to which the job-seekers are forced to travel to the State of Telangana to appear in the railway recruitment exams.

Sir, this House urges upon the Government to take immediate action for the beautification and modernization of the remaining stations targeted to be developed under the Adarsh Station Scheme; to ensure modernization and upgradation of all the railway stations in the country; and to expedite the operationalization of the South Coast Railway Zone and creation of a Railway Recruitment Board for the Zone.

Thank you very much.

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ**:-**

"निम्नलिखित तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि –

(i) भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी परिवहन और संभार तंत्र प्रणालियों में से एक है तथा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की वाहक है; भारतीय रेल भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक प्रतिशत है और कोर सेक्टर की माल ढुलाई आवश्यकताओं के मुख्य आधार के रूप में कार्य करती है;

(ii) विगत शताब्दी में निर्मित रेल लाइनों और स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क के साथ भारत में रेल विकास का एक विस्तृत इतिहास रहा है; रेलवे प्रतिदिन चौबीस मिलियन से अधिक यात्रियों का परिवहन करती है तथा देश भर में 8000 स्टेशनों को जोड़ती है;

(iii) विगत वर्षों में देश भर में रेलवे स्टेशन वाणिज्यिक और बुनियादी विकास के प्रमुख शहरी केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं;

(iv) भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे तीव्र परिवर्तनों के कारण रेलवे के बुनियादी ढांचे को बदलने और आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाना आवश्यक है;

(v) विगत दो दशकों में भारतीय रेल के स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के लिए मॉडल, आधुनिक और आदर्श स्टेशन योजना सहित विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं तथा उक्त आधुनिकीकरण योजनाओं के अंतर्गत केवल चुनिंदा ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों पर ही यात्री सुविधाओं में सुधार को प्राथमिकता दी गई है;

(vi) आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम में स्थित दक्षिण तटीय रेलवे जोन के संचालन में अत्यधिक विलंब हो रहा है तथा जोन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रेल मंत्रालय के पास लंबित है; और

(vii) आंध्र प्रदेश राज्य में प्रस्तावित दक्षिण तटीय रेलवे जोन में कोई रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं है, जिसके कारण नौकरी के इच्छुकों को रेलवे भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए तेलंगाना राज्य की यात्रा करने के लिए विवश होना पड़ता है,

यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह-

(क) आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले शेष स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के लिए तत्काल कार्रवाई करे;

(ख) देश के सभी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और उन्नयन सुनिश्चित करे; और

(ग) दक्षिण तटीय रेलवे जोन के परिचालन में तेजी लाए और इस जोन के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना करे।" ।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Madam, thank for you giving me an opportunity for participating in the discussion on the Private Members' Resolution on the subject 'Adarsh Station Scheme'. This Scheme was declared by the Railways in the year 2009-10 and it is still continuing. More than 1253 stations were included in this Scheme. I am happy to note that eight stations in my Parliamentary constituency were declared as Adarsh Stations at the time when the constituency was represented by my predecessor, Shri Jose K. Mani, who is our Party Chairman.

Madam, I also thankful to the Railway Minister for completing most of the works connected with Adarsh Stations. In Kottayam railway station itself, entire station's outlook has become a modern outlook and people are very happy about condition of stations now. But still there are certain aspects which are to be completed in that station. It is the Sabrimala season, and last month only, hon. Minister of State for External Affairs opened the pilgrimage centre which was designed for the Sabrimala pilgrims who are coming via Kottayam railway station. That pilgrim centre is a very beautiful building which has a three-storeyed building with facilities for more than 900 pilgrims to stay for 'verivagga' that is what we call for the pilgrims. They have got the best facilities for this pilgrimage.

There is another multi-storeyed parking lot for the two wheelers that also has been completed under this Scheme. The station building has been re-

modelled in the Kerala architectural model and it looks very nice now. But I have to point out a fact that people of Kottayam were demanding for a second entry for more than 15 or 20 years. We want construction of the second entry from the good shed site, and I myself have contributed from the MPLADS fund for fixing a ticket vending machine over there. But the Railways could not complete the civil structure which has been proposed to be constructed as a three storeyed building. I would request the hon. Minister to look into this matter and direct the concerned officers to complete that second entry building also at the earliest.

This programme is very good. Ettumanoor is in my Parliamentary constituency. There was an old building which was situated on the other side of the road. Now, a new building has been constructed and the facilities have been improved and the station looks very nice now. In Chingavanam also, that station is totally re-modelled and that looks very good now. Kuruppanthara, Mulanthuruthy, Pirawan Road, Vaikam road is also having a better look now. But I have one request. Even at Ettumanoor, in the list of facilities being made available as per Adarsh station scheme, for example, In Ettumanoor, a new platform was built even though a canopy is made, but it is only covering partially the platform.

The entire platform should be covered by canopy so that the passengers waiting over there need not suffer because of rain as well as sun. This work should be done at the earliest. Kumaranalloor is a small station where you

have constructed a new platform, but the old platform that was the second platform is not raised properly due to which the passengers are suffering over there.

This scheme is very good, and I would request the Minister to look into these matters and give direction to the concerned officers to complete the renovation of the Kottayam Railway Station at the earliest so that it will have an international outlook with all facilities including escalators, lifts, etc. Two lifts are being constructed there for the past many months now, but the work has not been completed yet.

There are seven platforms in the Kottayam Railway Station after completion of the doubling work. Earlier, there were only three platforms. I have proposed that there should be a Foot Over Bridge connecting the platforms. A new Foot Over Bridge has to be constructed, which has actually been agreed to by the Railway authorities. I would request the Minister to see that these new facilities are provided at the earliest. Thank you very much.

*__SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB):__ Thank you, Madam, Chairperson. Railways is the backbone of our country. Over 2.5 crore people commute by Railways. There are 8000 stations. Freight is being transported through goods trains in large numbers. Whether it was industrial revolution on green revolution, the foodgrains from Punjab are transported to every nook and corner of India via Railways. Railway contributes to the growth of the country and its share is 1% of GDP. So, it is essential to take care of Railways.

Madam, after Army, Railways is the other Department that has ample land with it. So, I urge upon the Hon. Minister to utilize this land judiciously. This land should be exploited commercially. All encroachments on railway land should be removed and commercially viable schemes should be made. It will lead to profitability.

I am sorry to state that railways, that has lakhs of employees, is represented very less by Punjab. I don't know, why? I urge upon the Hon. Minister to recruit the youths from Punjab too for railway jobs. In the last 15 to 20 years, Punjab has been neglected. Please look into this.

The Railways teams are considered very good in sports. Once, the Railways hockey team used to be a force to reckon with in all tournaments. But, recently, hockey has been ignored by railway officials. This is double

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

service. Sports talent gets a boost. And railways gets a good name. So, hockey should be further promoted in railways. Other sports should also get a boost. The railways teams in all sports should be strengthened.

Madam, Hon. Minister is here. Amritsar is such a city where international airport, international bus stand and international railway station are there. Over 1.5 lakh people visit Amritsar daily to pay obeisance at Golden Temple and they visit Jallianwalla Bagh too to pay their regards to martyrs. They also visit Wagah border to watch 'Retreat Ceremony' by our jawans. They also go to Harike Bird Sanctuary. However, there are many shortcomings as far as railway station at Amritsar is concerned. Earlier too, I had requested the Hon. Minister and some work was initiated. I thank the Hon. Minister for it. A G-22 function will also be held at Amritsar. So, the facilities at Amritsar Railway Station should be up to the mark. It needs to be upgraded and modernized further. Ma'am, Radhaswami, Beas is a large Organization. Lakhs of devotees visit Beas. Tarn Taran Sahib is another important place for devotees. Sultanpur Lodhi is a place where Guru Nanak Dev ji spent time. These are holy sites. So, these stations should be developed into pilgrimage centres.

People love railways. But, when we attend a railway meeting, they give us just a memento. If souvenir shops are opened at these railway stations, it will add to the revenue of railways. These souvenirs can be sold. So, please look into this matter. At cities like Amritsar, where 1.5 lakh visitors come daily, please build 100 room rest houses. Tarn Taran is a district headquarter. A

border district where ISI and Pakistani agents are very active. Over there, it is main line where trains commute to and fro Delhi, Mumbai and Jaipur. The manned gates are closed there for long periods. City is divided into two parts. R.O.B. or underpass is the need of the hour. The problem will be solved. Please help us.

We have had a vision of being Vishwaguru today. We are the 5th largest economy now. So, our infrastructure in railways should be of a particular standard. It should be up to the mark. So that visitors are proud of it.

We have Shatabdi and Rajdhani trains. But, cleanliness level needs to be improved. Railway belongs to all of us. We should be proud of it.

Madam Chairperson, the Hon. Prime Minister has dreamed about Bullet trains. Work is going on between Ahmedabad and Mumbai. It has not yet come in North India. Vande Bharat trains are being launched. This is a good step. Its speed is 160 kms/hr. But, in North India, 90% trains run at the speed of 110 kms/hr. on existing tracks. 10% trains run at a speed of 130 km/hr. We must upgrade the tracks in North India so that high-speed trains can also run here. The Patti-Ferozepur 40 kms. stretch is there. The Katra-Mumbai train that plys on this route will be able to save 2 to 2.5 hours if tracks are upgraded. People will gain out of it.

In the end, I hope that Hon. Minister Sir will look into the just demands of Amritsar, Beas and Tarn-Taran and these stations will be further developed.

Thank you. Jai Punjab. Jai Hind.

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): सभापति महोदया, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जो बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन्स हैं, उनको एक मॉडल के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के बगल में जो जगह है, उसको पीपीपी मॉडल पर हाईटेक बनाने का काम देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमें मालूम है कि वर्ष 2014 के पहले मेरे लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में एक रेल लाइन हुआ करती थी। आज इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि चाहे हमारे यहां प्रतापगढ़ स्टेशन हो, देश के जितने भी बड़े स्टेशन हैं, उनको एक मॉडल के तौर पर डेवलप करने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। आज स्टेशन डेवलप भी हो रहे हैं। कोरोना काल में जो संकट आया था, उसमें रेलवे विभाग की एक बड़ी अहम भूमिका रही। उस समय रेल के माध्यम से देश के हर प्रदेश में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हुआ था। आज देश के माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे मंत्रालय द्वारा स्टेशनों को एक मॉडल के तौर पर पूरे देश में विकसित किया जा रहा है, उसमें चाहे लाइन बिछाने का काम हो या अन्य काम हो। वर्ष 2014 के बाद देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, वह चाहे लाइनें बिछाने का काम हो या नई-नई ट्रेनें चलाने का काम हो। हमारी सरकार ने रेलवे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और पारदर्शिता लेकर आई है।

पहले ट्रेनें लेट हुआ करती थीं। जो हमारी रेलगाड़ियां हैं, वे लेट न हो पाएं, इसलिए हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि देश में जितने भी रेलवे फाटक हैं, अण्डरपासेज हैं, उन्हें बंद किया जाए। यह एक बड़ा कदम है।

अयोध्या से होते हुए प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज है, क्योंकि अयोध्या का लिंक चित्रकूट से है। वहां से सीधे चित्रकूट जाने की कोई ट्रेन नहीं है। हम माननीय रेल मंत्री जी से यह मांग करते हैं कि चित्रकूट के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाए, जिससे प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर की जनता अयोध्या से सीधे चित्रकूट पहुंच सके और उनकी यात्रा सुगम हो सके, क्योंकि, जब भगवान राम

अयोध्या से निकले तो उन्होंने चित्रकूट में 14 साल वनवास काटा, इसलिए चित्रकूट से लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है।

हमारे यहां एक 81-बी ओवरब्रिज का काम बाकी है। उससे हमारे यहां के 40 गांवों को लाभ मिल सकता है। भारत सरकार ने उसे पिंक बुक में ले लिया है। अगर उस पर आर.ओ.बी. का काम शुरू हो जाता है, तो इससे भी क्षेत्र का विकास होगा। प्रतापगढ़ में रेलवे के कई काम चल रहे हैं। प्रतापगढ़ का रेलवे स्टेशन भी एक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है। जहां भी देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधान मंत्री का निर्णय है और हमारे माननीय रेल मंत्री जी की सोच है कि रेल से यात्रा करने वाले हमारे यात्रियों को देरी न हो और उनकी अपने स्थानों तक की यात्रा सुगम हो, इसके लिए बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं, ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जिस तरीके से रेलवे में परिवर्तन हुआ है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को, देश के माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

यही मांग करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): सभापति महोदया, आपने हमें प्राइवेट मेम्बर्स बिल - आदर्श स्टेशन योजना के अन्तर्गत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण एवं सौन्दर्यीकरण - पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

महोदया, वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उस सरकार के माध्यम से देश के अन्दर रेल मंत्रालय के द्वारा अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैंने देखा है कि हम लोग जब कभी भी कहीं रेल से यात्रा करते थे तो मैं रेलवे स्टेशनों पर देखता था कि वहां गन्दगी के अंबार लगे रहते थे। वहां दोने, पत्तल पड़े रहते थे, थूकदान में, पीकदान में इतनी गन्दगी रहती थी कि एक बार उसे देख लेने पर मन घबराता था। अगर कहीं टॉयलेट जाना होता था तो वहां पर जाने के बाद भी काफी देर तक दिमाग से वह गन्दगी नहीं निकलती थी। आज हिन्दुस्तान के किसी भी स्टेशन पर आप जाएंगे तो आपको वहां आपके घर से भी अच्छे टॉयलेट्स मिलेंगे, घर से भी अच्छे वहां के प्लेटफॉर्म मिलेंगे। आप पूरे स्टेशन पर घूमिए। कहीं पर भी आपको

कोई गन्दगी नहीं मिलेगी। यहां तक कि रेलवे लाइन के बीच का जो स्थान है, वहां पर भी बाकायदा सफाई मिलेगी और ढूँढ़ने से भी गन्दगी नहीं मिलेगी। यह अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और हमारे जो मंत्री जी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब स्टेशन साफ-सुथरे हुए हैं।

यात्रियों की सुविधाओं के संबंध में मैंने देखा है कि जो प्लेटफार्म्स जीर्णशीर्ण थे, कहीं टीन शेड टूटा हुआ था, बरसात का पूरा पानी प्लेटफार्म पर आता था, लोगों के बैठने के लिए बेंचेज़ नहीं थीं, यात्रियों के ठहरने के लिए स्टेशन पर कोई व्यवस्था नहीं थी। इन सभी सुविधाओं में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।

महोदया, देश के अंदर लगभग 8 हजार स्टेशंस हैं। उन 8 हजार स्टेशंस में, जिस तरह से पूरे देश के लोग यात्रा कर रहे हैं, यह अपने में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। जब हम स्टेशन में जाते हैं और सफर करते हैं तो एक चलता-फिरता भारत दिखाई देता है। यातायात के साधन हों या माल ढुलाई का माध्यम हो, वह सब काम रेल विभाग के माध्यम से ही हो रहा है।

कोरोना काल के समय में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के समय में लोगों के पास खाद्यान्न पहुंचाना था। ऑक्सीजन की कमी थी, तो ऑक्सीजन भी पहुंचानी थी। कहीं पर भी खाद्यान्न की कोई कमी नहीं हुई। किसानों के लिए चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, हमारे जो रासायनिक उर्वरक हैं, वे भी समय से किसानों तक पहुंचाये गए। गरीबों के पास खाद्यान्न पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई की गई। रेल मंत्रालय के द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के साथ-साथ किसानों की मदद की गई। कोरोना काल में किसान अपने उत्पाद को देश की विभिन्न मंडियों में ले जाकर बेचें, इसके लिए रेल मंत्रालय ने किसान रेल के माध्यम से कम रेट में, आधे किराये पर किसानों को सुविधा दी, जिससे उसकी फसलें खराब न हों। हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां हैं, ये सब्जियां दूरगामी क्षेत्र में ताजी उपलब्ध हों, इसके लिए रेल मंत्रालय ने किसानों और उपभोक्ताओं के लिए जो सुविधायें उपलब्ध कराईं, वह भी किसी से छिपा नहीं है। इससे किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिला और किसानों की आय दुगुना होने में भी सहायक हुआ।

कोरोना काल में इसमें एंबुलेंस का भी काम किया गया। जब कहीं पर भी कोई अस्पताल किसी को एवलेबल नहीं हो रहा था, तो कोरोना काल की बोगी को मॉडीफाइड करके अस्पताल के रूम में चेंज किया गया। इससे जो लोग अस्पताल में नहीं जा सकते थे, उनको वहां सुविधा मिली। ऐसे लोगों की कोरोना काल में रेल मंत्रालय के द्वारा सेवा की गई, वह भी स्मरणीय है।

पूरे देश में अपना जनपद छोड़कर जो दूसरी जगह जॉब करते थे, दूसरी जगह रहते हुए लॉकडाउन लगने के समय वे अपने क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे थे। घर वाले चिंतित थे कि हमारे परिजन कैसे होंगे, हमारा घर का मुखिया कैसा होगा? घर के मुखिया को चिंता थी कि हमारा परिवार कैसा होगा? इन दोनों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए, हमारे देश के अंदर जो श्रमिक थे, उनको विभिन्न शहरों से, महानगरों से उनके घर तक पहुंचाने में रेल मंत्रालय ने जो योगदान किया, उसके लिए मैं उन श्रमिकों के माध्यम से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने श्रमिकों, लोगों की अच्छी तरह से सेवा की।

रेल स्टेशनों पर बहुत एन्क्रोचमेंट है। जब मैं पश्चिम बंगाल गया तो देखा कि कई स्टेशनों पर काफी एन्क्रोचमेंट है। जो साथी प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए हैं, वे भी मेरे साथ थे। वहां इतना एन्क्रोचमेंट था कि उस इन्क्रोचमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि हम कहीं मार्केट में आ गए हैं। हम लोग रेल मंत्रालय की तरफ से पूरे भारत में जहां भी गए, वहां इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी जैसी व्यवस्था पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। भीड़भाड़ वाली स्टेशन पर भी एन्क्रोचमेंट है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अुनरोध है कि जहां-जहां प्लेटफार्म पर एन्क्रोचमेंट है, उस एन्क्रोचमेंट को हटाना चाहिए। मैंने देखा कि प्लेटफार्म पर ही दुकानें हैं, कुछ लोग झोपड़ी में रहने लगे हैं। जब वे वहां रहेंगे और जब यात्री को ट्रेन पकड़नी है तो वह भीड़भाड़ वाली स्टेशन पर कैसे ट्रेन पकड़ सकता है? यह लोगों के आवागमन में बहुत बड़ी असुविधा बनी हुई है।

मेरा आपके माध्यम से पुन: रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उस एन्क्रोचमेंट को हटाया जाए जिससे लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके। प्रयागराज में जब कुम्भ का मेला हुआ, उस कुम्भ

मेले में जिस तरह से रेल मंत्रालय द्वारा व्यवस्थाएं की गईं, वह किसी से छिपी नहीं है। पहले जब कुम्भ मेला लगता था तो कई घटनाएं और दुर्घटनाएं होती थीं। मेले के लिए काफी स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। कहीं एक भी कैजुअलटी नहीं हुई, यात्रियों को कुम्भ में आने-जाने के लिए ट्रेन से जैसी सुविधा मिली, वह उनके अपने निजी वाहनों से भी नहीं मिली। भारत सरकार ने प्रयागराज में कुम्भ मेले में जिस प्रकार से व्यवस्था की थी, मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्थाएं रेल मंत्रालय करेगा।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, मैंने देखा है कि बहुत सारे छोटे स्टेशन्स हैं, जो आदर्श स्टेशन्स हो गए हैं, लेकिन जब वहां बुजुर्ग लोग आते हैं तो वहां स्वचालित सीढ़ियां नहीं होती हैं। जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, एक स्टेशन से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए लोगों को स्वचालित सीढ़ियां मिलें, लेकिन, ये स्टेशन ए कैटगरी में नहीं आते हैं, ऐसे में वहां स्वचालित सीढ़िया नहीं बन सकती हैं।

मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह है कि कम से कम लिफ्ट सिस्टम ही वहां हो जाए, जिससे कम से कम वृद्ध यात्री या अस्वस्थ व्यक्ति लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जा सकता है और अपनी यात्रा को सुगम बना सकता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के स्टेशनों को सुविधाजनक बनाया जाए। आज से 30-40 साल पहले कुछ स्टेशन काफी डेवलप्ड थी, लेकिन वहां धीरे-धीरे सुविधाएं न मिलने के कारण कुछ स्टेशनों को प्राइवेटाइज्ड कर दिया गया। वेंडर्स को स्टेशन दे दिए गए, जब वेंडर्स के हाथ में स्टेशन चली जाती है तो वहां की सुविधा भी वेंडर्स के हाथ में आ जाती है।

मैं बताना चाहता हूं कि वहां वेंडर्स यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते। प्लेटफार्म टूट गया, छत टूट गई या टॉयलेट खराब है, ऐसे स्टेशन जो वेंडर्स को दिए गए हैं, रेल मंत्रालय को अपनी देखरेख में उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए।

यात्री तो यात्री है, जब वह देखता है कि बड़े स्टेशनों पर ये सुविधाएं मिल रही हैं और गांव के स्टेशनों पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो उसे फर्क लगता है क्योंकि वह भी तो हिन्दुस्तान में ही है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उनका भी ख्याल रखा जाए।

मैं आपके माध्यम से एक और अनुरोध करना चाहता हूं। माल ढुलाई के लिए माल गोदाम होते हैं और लोडिंग-अनलोडिंग के लिए अलग से प्लेटफार्म होता है। अब कई गुना यात्री भी बढ़ गए हैं। एक ही स्टेशन से यात्रा, माल ढुलाई की लोडिंग-अनलोडिंग, ट्रकों और ट्रेक्टरों के कारण जाम की स्थिति बन जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं और यात्रियों को भी असुविधा होती है।

मेरा एक और छोटा सा अनुरोध है, खाद, सीमेंट, अनाज, फल या सब्जियों की लोडिंग के लिए, जहां बड़े रैक्स आते और जाते हैं, स्टेशन शहर से लगे होने चाहिए। माल ढुलाई स्टेशन को 10 या 15 किलोमीटर की रेंज में, जहां रेलवे विभाग की जमीनें हैं, आने-जाने की सुविधा है, ऐसे स्टेशनों को डेवलप किया जाए। इससे ढुलाई भी समय से हो जाएगी और स्थानीय लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। यहां तक कि यात्रा करने वाले लोगों को भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जनहित और यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए सर्वे कराकर इसे ठीक कराने का काम करें।

सभापति जी, मैंने कई बार आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है कि फर्रुखाबाद और कानपुर के बीच में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है और यह दिल्ली तक आती है। यह ट्रेन फर्रुखाबाद से आती है, फिर मेनपुरी, टुंडला, अलीगढ़ और दिल्ली आती है। हम लोगों को उस ट्रेन में 10-12 घंटे यात्रा करनी पड़ती है और फिर हम दिल्ली में आ पाते हैं। फर्रुखाबाद से दिल्ली की दूरी मात्र 350 किलोमीटर है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी छोटा सा अनुरोध है कि यदि हम अलीगढ़ से सीधा कासगंज जोड़ दें तो मात्र 52 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछानी होगी। रेलवे लाइन प्रारंभ हो जाएगी तो जो सफर हमें 10-12 घंटे करना पड़ता है, उसका समय घटकर चार या पांच घंटे रह जाएगा। इससे कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज चार पांच लोकसभा क्षेत्रों को इससे बेनिफिट मिलेगा। सीधी ट्रेन का संचालन

होने से समय बचेगा। यही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। हमारे साथी बिल लाए हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं, रेलवे मंत्रालय और स्टेशनों को आदर्श बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं।

पिछली सरकारों ने जो काम नहीं किया, वह काम इन आठ सालों में हुआ है और आगे भी शेष काम होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 19, 2022/Agrahayan 28, 1944 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)